VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

राजव्यवस्था

क्लासरूम स्टडी मटेरियल

(अप्रैल, 2023 से दिसंबर, 2023)

www.visionias.in 8468022022, 9019066066

enquiry@visionias.in /c/VisionIASdelhi /visionias.upsc /vision _ias VisionIAS_UPSC

अहमदाबाद बैंगलोर भोपाल चंडीगढ़ दिल्ली गुवाहाटी हैदराबाद जयपुर जोधपुर लखनऊ प्रयागराज पुणे रांची

फाउंडेशन कोर्स
सामान्य अध्ययन

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2025

इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम

- प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
- मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
- एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
- अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
- योजनाबद्ध तैयारी हेतु करेंट ओरिएंटेड अप्रोच
- नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन

- सीसैट कक्षाएं
- PT 365 कक्षाएं
- MAINS 365 कक्षाएं
- PT टेस्ट सीरीज
- मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
- निबंध टेस्ट सीरीज
- सीसैट टेस्ट सीरीज
- निबंध लेखन - शैली की कक्षाएं
- करेंट अफेयर्स मैगजीन

नोट: ऑनलाइन छात्र हमारे पाठ्यक्रम की लाइव वीडियो कक्षाएं अपने घर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। छात्र लाइव चैट विकल्प के माध्यम से कक्षा के दौरान अपने संदेह और विषय संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। वे अपने संदेह और प्रश्न नोट भी कर सकते हैं और दिल्ली केंद्र में हमारे कक्षा सलाहकार को बता सकते हैं और हम फोन/मेल के माध्यम से प्रश्नों का उत्तर देंगे।

Scan the QR CODE *to* download **VISION IAS** app

DELHI: 5 मार्च, **1 PM | 20** फरवरी, **1 PM**

BHOPAL: 11 जून

LUCKNOW: 5 जून

JODHPUR: 7 मार्च

JAIPUR: 21 फरवरी

Lakshya

PRELIMS MENTORING PROGRAM 2024

UPSC प्रीलिम्स 2024 के लिए एक रणनीतिक रिवीजन, प्रैक्टिस और मेंटरिंग प्रोग्राम

1 मार्च 2024

समयावधि: 2.5 माह

- निरंतर सहायता और मार्गदर्शन के लिए अत्यधिक अनुभवी एवं योग्य मेंटर्स की टीम
- प्रारंभिक परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन, CSAT और करेंट अफेयर्स के रिवीजन हेतु एक सुनियोजित योजना
- तैयारी के लिए आवश्यक रिसोर्सेज, जैसे– विगत वर्षों के प्रश्न (PYQs), क्विक रिवीजन मॉड्यूल (QRMs), और PT–365 का बेहतर तरीके से उपयोग
- रिसर्च पर आधारित व विषयवार स्ट्रैटजी डॉक्यूमेंट्स
- रणनीति पर चर्चा, लाइव प्रैक्टिस और अन्य प्रतिस्पर्धियों से चर्चा के लिए पूर्व निर्धारित ग्रुप–सेशन
- अधिकतम अंक दिलाने वाले विषयों और टॉपिक्स पर विशेष ध्यान
- तैयारी को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने हेतु मेंटर्स के साथ वन–टू–वन सेशन
- अभ्यर्थियों के प्रदर्शन का लगातार मूल्यांकन एवं सुधार
- तैयारी से संबंधित सलाह और प्रेरणा हेतु टॉपर्स एवं ब्यूरोक्रैट्स के साथ इंटरैक्टिव सेशन

राजव्यवस्था और शासन (Polity & Governance)

विषय-सूची

1. संविधान से संबंधित मुद्दे (Issues Related to Constitution) 5

1.1. मूल ढांचे का सिद्धांत (Basic Structure Doctrine) 5

1.1.1. जिला न्यायालयों की स्वतंत्रता: मूल ढांचा (Independence of District Judiciary: Basic Structure) 6

1.2. अनुच्छेद 370 का निरसन (Abrogation of Article 370) 7

1.3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2023 {Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Act 2023} 8

1.4. प्रिवेंटिव डिटेंशन (Preventive Detention) 9

1.5. व्यक्तित्व अधिकार (Personality Rights) 10

1.6. हेट स्पीच (Hate Speech) 12

1.7. उपासना स्थल अधिनियम, 1991 (Places of Worship Act, 1991) 13

1.8. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News) 14

2. संसद, राज्य विधान-मंडल/ स्थानीय सरकार की कार्यप्रणाली (Functioning of Parliament, State Legislature/Local Government) 17

2.1. अविश्वास प्रस्ताव (No-confidence Motion) 17

2.2. कानून निर्माताओं के संसदीय विशेषाधिकार (Parliamentary Privileges of Lawmakers) 17

2.2.1. विधि-निर्माताओं का निष्कासन (Expulsion of Lawmakers) 19

2.3. दल-बदल रोधी कानून (Anti-Defection Law) 21

2.4. राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति (Ordinance making power of President and Governor) 21

2.5. संसद का सचिवालय (Secretariat of the Parliament) 22

2.6. भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण (Democratic Decentralisation in India) 23

2.6.1. पंचायती राज संस्थानों की वित्तीय स्थिति {Finances of Panchayati Raj Institutions (PRIs)} 24

2.6.2. शहरी स्थानीय निकायों का क्षमता निर्माण {Capacity Building of Urban Local Bodies (ULBs)} 25

2.7. पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 {Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996} 27

2.8. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News) 28

3. केंद्र-राज्य संबंध (Centre-State Relations) 32

3.1. राज्यपाल की भूमिका (Role of Governor) 32

3.2. सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) 33

3.3. अंतर-राज्यीय सीमा विवाद (Inter-state Border Disputes) 34

© Vision IAS

3.4. अंतर्राज्यीय जल विवाद (Inter-State Water Dispute) 35

4. न्यायपालिका (Judiciary) 38

4.1. न्यायिक नियुक्तियां (Judicial Appointment) 38

4.1.1. अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (All India Judicial Services: AIJS) 39

4.2. कानूनी सहायता (Legal Aid) 39

4.3. मध्यस्थता अधिनियम, 2023 (Mediation Act, 2023) 41

4.3.1. लोक अदालत (Lok Adalats) 43

4.4. मॉडल जेल अधिनियम, 2023 (Model Prisons Act 2023) 44

4.5. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News) 45

5. चुनाव (Elections) 49

5.1. मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 (Chief Election Commissioner and other Election Commissioners Act, 2023) 49

5.2. चुनाव प्रक्रिया और सुधार के पहलू (Aspects of Election Process and Reform) 50

5.3. एक साथ चुनाव (Simultaneous Elections) 51

5.4. राजनीति का अपराधीकरण (Criminalization of Politics) 51

5.5. चुनावी फंडिंग (Electoral Funding) 52

5.6. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News) 53

6. महत्वपूर्ण अधिनियम/ विधेयक (Important Legislations/Bills) 57

6.1. नारी शक्ति वंदन {संविधान (106वां संविधान संशोधन)} अधिनियम, 2023 [Nari Shakti Vandan {Constitution (106th Amendment)} Act, 2023] 57

6.2. बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2023 {Multi-State Co-operative Societies (Amendment) Act, 2023} 58

6.3. सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) अधिनियम, 2023 {Cinematograph (Amendment) Act, 2023} 59

6.3.1. भारत में OTT विनियमन (OTT Regulation in India) 60

6.4. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (Digital Personal Data Protection Act, 2023) 61

6.4.1. डिजिटल सर्विसेज एक्ट (Digital Services Act) 63

6.5. आपराधिक कानून में सुधार से संबंधित अधिनियम (Criminal Law Reform Acts) 64

6.5.1. भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023) 64

6.5.2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023) 65

6.5.3. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023) 65

6.6. जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 {Registration of Birth and Death (Amendment) Act, 2023} 66

6.7. प्रेस और पत्र-पत्रिका पंजीकरण अधिनियम, 2023 {Press and Registration of Periodicals (PRP) Act, 2023} . 67

6.8. दूरसंचार अधिनियम, 2023 (Telecommunications Act, 2023) 68

6.8.1. इंटरनेट शटडाउन (Internet Shutdowns) 69

6.9. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News) 70

7. सुर्ख़ियों में रहे महत्वपूर्ण संवैधानिक/ सांविधिक/ कार्यकारी निकाय (Important Constitutional/ Statutory/ Executive Bodies in News) 72

7.1. लोकपाल (Lokpal) 72

7.2. परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) 73

7.3. प्रवर्तन निदेशालय (Directorate of Enforcement) 73

7.4. केंद्रीय जांच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation: CBI) 74

7.5. राष्ट्रीय कैडेट कोर (National Cadet Corps: NCC) 75

7.6. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News) 77

8. शासन के महत्वपूर्ण पहलू (Important Aspects of Governance) 80

8.1. मिशन कर्मयोगी (Mission Karmayogi) 80

8.2. सूचना का अधिकार (Right to Information: RTI) 81

8.3. आधार (Aadhaar) 82

8.4. ऑनलाइन गेमिंग का विनियमन (Regulation of Online Gaming) 84

8.5. भारत में उपभोक्ता संरक्षण (Consumer Protection in India) 85

8.6. सेलिब्रिटिज़, इन्फ्लुएंसर्स और वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स के लिए दिशा-निर्देश (Guidelines for Celebrities, Influencers, and Virtual Influencers) 86

8.7. अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 या वन अधिकार अधिनियम (FRA) {Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 or Forest Right Act (FRA)} 87

8.8. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News) 89

SMART QUIZ

विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

अभ्यर्थियों के लिए संदेश

प्रिय अभ्यर्थी,

PT 365 (हिंदी) डाक्यूमेंट के अंतर्गत, व्यापक तौर पर विगत 1 वर्ष (365 दिन) की महत्वपूर्ण समसामयिकी को समेकित रूप से कवर किया गया है, ताकि प्रीलिम्स की तैयारी में अभ्यर्थियों को सहायता मिल सके।

अभ्यर्थियों के हित में PT 365 डॉक्यूमेंट को और बेहतर बनाने के लिए इसमें निम्नलिखित नवीन विशेषताओं को शामिल किया गया है:

इन्फोग्राफिक्स: महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के साथ प्रासंगिक इन्फोग्राफिक्स को शामिल किया गया है, ताकि उन्हें समझने में आसानी हो।

इनमें शामिल हैं:

- **संवैधानिक और कानूनी प्रावधान**
- **महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय**
- **महत्वपूर्ण संवैधानिक/ सांविधिक निकाय,**

विभिन्न रंगों का प्रयोग: टॉपिक्स के आसान वर्गीकरण और विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को रेखांकित तथा याद करने के लिए इस डॉक्यूमेंट में कई रंगों का उपयोग किया गया है।

क्विज़: अभ्यर्थी ने विषय को कितना बेहतर समझा है, इसके परीक्षण के लिए QR आधारित स्मार्ट क्विज़ को शामिल किया गया है।

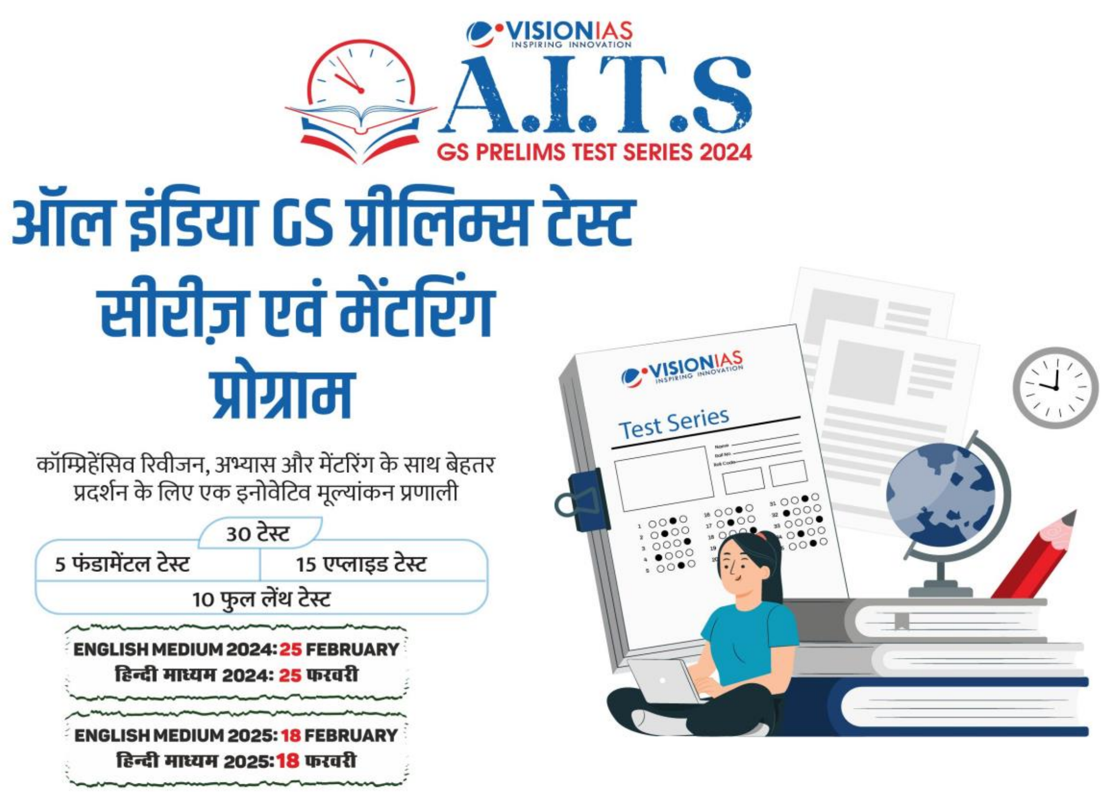

1. संविधान से संबंधित मुद्दे (Issues Related to Constitution)

1.1. मूल ढांचे का सिद्धांत (Basic Structure Doctrine)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, ऐतिहासिक केशवानंद भारती निर्णय (1973) के **50 वर्ष** पूरे हुए हैं। गौरतलब है कि इस वाद से जुड़े निर्णय में सुप्रीम कोर्ट द्वारा **मूल ढांचे के सिद्धांत** को प्रतिपादित किया गया था।

केशवानंद भारती वाद (1973) के बारे में

- यह वाद केरल सरकार के विरुद्ध दायर एक याचिका से संबंधित था। **केरल भूमि सुधार अधिनियम, 1963** के तहत केरल सरकार द्वारा जमींदारों और मठों के पास मौजूद भूमि का अधिग्रहण करने का निर्णय लिया गया था। राज्य सरकार के इस निर्णय को **"केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य" वाद** में चुनौती दी गई थी। इस याचिका में राज्य सरकार पर भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 25, 26 और 31 में निहित मूल अधिकारों (FRs)[1] के अतिक्रमण** का आरोप लगाया गया था।
- इस वाद की सुनवाई **13 न्यायाधीशों की एक पीठ द्वारा की गई थी। यह सुप्रीम कोर्ट में गठित अब तक की सबसे बड़ी पीठ है।**
- **इस वाद से जुड़े कुछ मुख्य प्रावधान:**
  - **मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया:** सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में **24वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार** रखा था। साथ ही, यह निर्णय दिया था कि **संसद को संविधान के किसी भी या सभी प्रावधानों (मूल अधिकारों सहित) में संशोधन करने की शक्ति** प्राप्त है,
    - बशर्ते संशोधन द्वारा **संविधान की मूलभूत विशेषताओं या मूल सिद्धांतों में परिवर्तन या उनकी क्षति अथवा लोप नहीं** होना चाहिए।
    - इससे पहले **गोलक नाथ वाद (1967)** में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि **अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति असीमित नहीं है।** कोर्ट ने यह भी कहा था कि संविधान के तहत गारंटीकृत मूल अधिकारों को संविधान संशोधन द्वारा **निरस्त या सीमित नहीं** किया जा सकता।
  - **न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की शक्ति:** कोर्ट ने निर्णय दिया कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति **संविधान के मूल ढांचे का एक अभिन्न अंग है।**

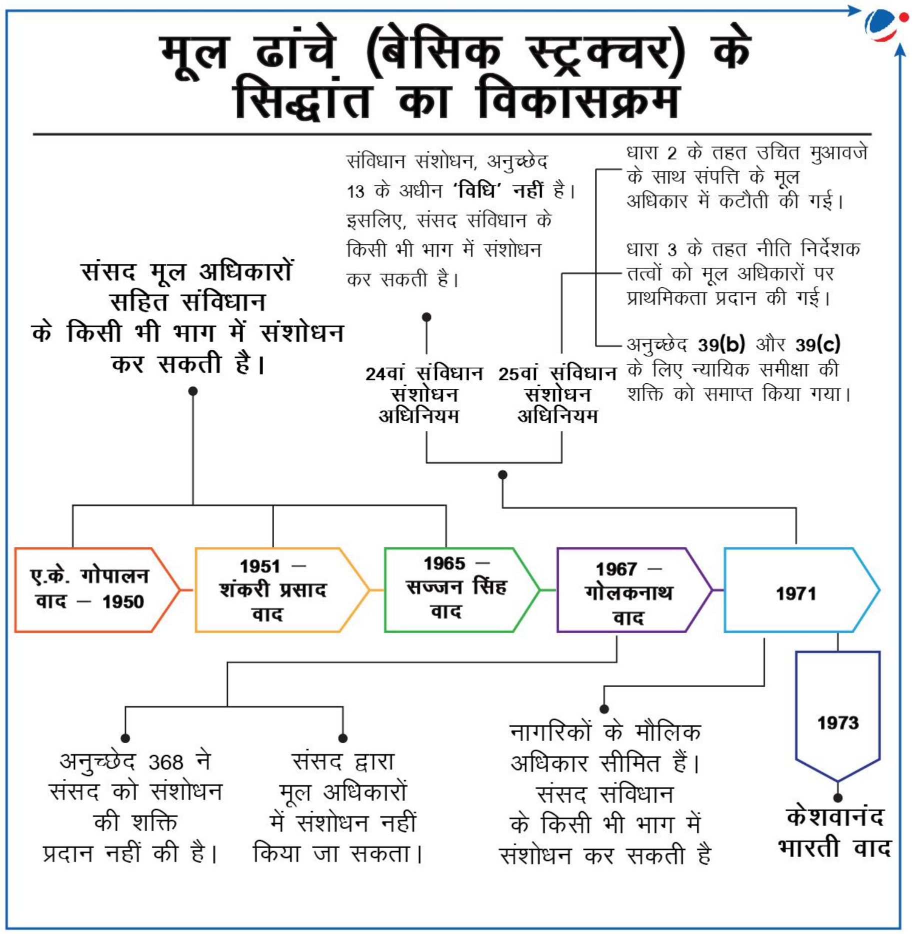

[1] Fundamental Rights

© Vision IAS

- **अन्य निर्णय:** सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति को कम करने वाले हिस्सों को छोड़कर **25वें एवं 29वें संविधान संशोधन** के अन्य भाग की वैधता को बनाए रखा। साथ ही, यह भी कहा कि उद्देशिका (Preamble) संविधान का एक भाग है, इसलिए इसमें संशोधन किया जा सकता है।

मूल ढांचे के सिद्धांत के बारे में

- मूल ढांचे के सिद्धांत के अनुसार, **संविधान में कुछ ऐसी मूलभूत विशेषताएं विद्यमान हैं, जिन्हें संविधान संशोधन के माध्यम से संसद द्वारा संशोधित या निरस्त नहीं** किया जा सकता है।
- भारत के **संविधान में कहीं भी "मूल ढांचा" पद का उल्लेख नहीं** किया गया है।
- **मूल ढांचे के सिद्धांत का महत्त्व:**
  - यह संविधान में संशोधन करने की **संसद की शक्ति को उचित रूप से नियंत्रित** करता है।
  - यह सुनिश्चित करता है कि **संविधान एक जीवंत दस्तावेज बना रहे।** साथ ही, अपने मूलभूत मूल्यों और सिद्धांतों को संरक्षित करते हुए समय के साथ बदलती परिस्थितियों के अनुरूप कार्य करता रहे।
  - इसके तहत **कानून का शासन, शक्तियों का पृथक्करण** जैसे कई सिद्धांतों को मूल ढांचे में शामिल किया गया है। ये भारत में **संवैधानिक कानून का आधार** बन गए हैं।
  - यह सुनिश्चित करता है कि **संविधान का संघीय ढांचा कमजोर न हो।**
  - **यह संविधान की व्याख्या करते समय भारतीय न्यायपालिका के दृष्टिकोण को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।**

कुछ सिद्धांत, जो वर्तमान में "मूल ढ़ांचे" का भाग हैं

- भारत की संप्रभुता,
- नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा,
- कल्याणकारी राज्य का निर्माण,
- संविधान की सर्वोच्चता,
- गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक सरकार,
- संविधान का पंथनिरपेक्ष और संघीय स्वरूप,
- विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण,
- राष्ट्र की एकता और अखंडता,
- न्यायिक समीक्षा का अधिकार,
- मौलिक अधिकारों और राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के बीच सामंजस्य व संतुलन आदि।

1.1.1. जिला न्यायालयों की स्वतंत्रता: मूल ढांचा (Independence of District Judiciary: Basic Structure)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट (SC) ने **'अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघ वाद'** में फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि **जिला न्यायालयों की स्वतंत्रता भी संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा** है।

अन्य संबंधित तथ्य

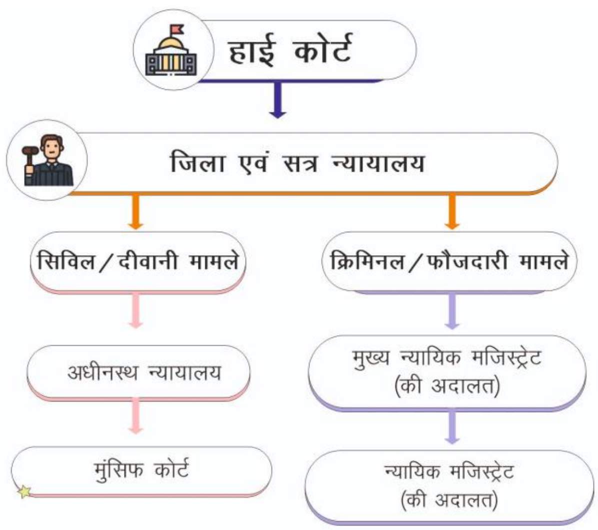

- कोर्ट ने इस केस में फैसला सुनाते हुए **न्यायपालिका से संबंधित कुछ सिद्धांतों पर प्रकाश डाला है।** इनमें शामिल है:
  - जिला न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच **वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवा शर्तों के मामले में देश भर में एकरूपता बनाए** रखी जानी चाहिए।
  - **शक्तियों का पृथक्करण:** न्यायपालिका के पदाधिकारियों को विधायिका और कार्यपालिका के कर्मचारियों से अलग माना जाना चाहिए।
  - **पदनाम और सेवा शर्तों में एकरूपता:** एकीकृत न्यायपालिका का अर्थ है कि एक राज्य के न्यायाधीशों की सेवा शर्तें अन्य राज्यों में समान पद पर नियुक्त न्यायाधीशों की सेवा शर्तों के समान होनी चाहिए।

जिला न्यायालय

- जिला न्यायाधीश **जिले में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी** है।
- अधीनस्थ न्यायपालिका का **संगठनात्मक ढांचा, अधिकारिता और नामकरण** राज्य **निर्धारित** करते हैं। इस कारण से जिला न्यायालयों की स्थिति एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग-अलग हो सकती है। जिला न्यायालय मुख्यतः त्रि स्तरीय ढांचे पर आधारित है (इन्फोग्राफिक देखें)।

- जिला न्यायाधीशों की **नियुक्ति, पदस्थापन (पोस्टिंग) और पदोन्नति हाई कोर्ट के परामर्श से राज्य का राज्यपाल** करता है।

1.2. अनुच्छेद 370 का निरसन (Abrogation of Article 370)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से **अनुच्छेद 370** को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। गौरतलब है कि 2019 में, केंद्र सरकार ने **"अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर की विशेष दर्जे"** की स्थिति को समाप्त कर दिया था।

अन्य संबंधित तथ्य

- 5 अगस्त, 2019 को राष्ट्रपति ने **'संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू) आदेश, 2019'** जारी किया था। इस आदेश में कहा गया था कि भारतीय संविधान के प्रावधान बिना किसी अपवाद के जम्मू और कश्मीर राज्य में भी लागू होंगे।
  - इसके अलावा संसद ने **"जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019"** को भी पारित कर लागू किया था। इसके तहत **जम्मू और कश्मीर राज्य को निम्नलिखित दो केंद्र शासित प्रदेशों (UTs)** में विभाजित कर दिया गया- जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख।
- याचिकाकर्ताओं ने **संघ की इस कार्रवाई की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती** दी थी।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

- सुप्रीम कोर्ट ने **अगस्त 2019 में जारी राष्ट्रपति की उद्घोषणा को बरकरार रखते हुए,** कहा है कि 1947 में जम्मू-कश्मीर के भारत में विलय के बाद **उसकी स्वयं की कोई संप्रभुता नहीं रह गई थी।**
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि **अनुच्छेद 370 संविधान में 'एक अस्थायी व संक्रमणकालीन प्रावधान'** था।
- कोर्ट ने कहा कि संसद किसी भी राज्य से उसका कोई राज्यक्षेत्र अलग करके उसे केंद्र शासित प्रदेश बना सकती है।
  - संसद कानून द्वारा **किसी भी राज्य से किसी क्षेत्र को अलग करके या दो या दो से अधिक राज्यों या राज्यों के कुछ हिस्सों को आपस में मिलाकर या किसी भी राज्यक्षेत्र को किसी भी राज्य के एक हिस्से में मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है।**
  - संविधान के **अनुच्छेद 3** के स्पष्टीकरण-1 के अनुसार, **अनुच्छेद 3(a)** में प्रयुक्त शब्द **"राज्य"** में केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं।
- सुप्रीम कोर्ट ने **एस. आर. बोम्मई** मामले पर दिए अपने फैसले को भी दोहराया। उसने कहा कि **'राज्य में आपातकाल या राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति की कार्रवाई, न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती हैं'।**

अनुच्छेद 370: एक ऐतिहासिक परिदृश्य

- **विलय-पत्र (Instrument of Accession: IoA):** अक्टूबर 1947 में जम्मू-कश्मीर के अंतिम शासक महाराजा हरि सिंह ने IoA पर हस्ताक्षर किए थे। इस विलय-पत्र के माध्यम से वह अपने राज्य को भारतीय राज्यक्षेत्र में शामिल करने के लिए सहमत हुए थे।
- **जम्मू-कश्मीर के लिए अस्थायी प्रावधान:** भारत का संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ था। तब **अनुच्छेद 370 को संविधान के भाग 21 में जोड़ा** गया था। **भाग 21 का शीर्षक है- "अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध"।**
- **अनुच्छेद 370: रक्षा, विदेश मामले, वित्त और संचार को छोड़कर,** अन्य सभी कानूनों को लागू करने के लिए संसद को राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता थी।
- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35A:** यह **अनुच्छेद 370 से ही उत्पन्न** हुआ था। **अनुच्छेद 35-A** में जम्मू-कश्मीर राज्य के **स्थायी निवासियों तथा उनके विशेष अधिकारों और उन्हें मिलने वाली विशेष सुविधाओं का प्रावधान** किया गया था।

अनुच्छेद 3

- यह प्रावधान करता है कि संसद कानून द्वारा **नए राज्यों का निर्माण कर सकती है और मौजूदा राज्य के राज्यक्षेत्रों, सीमाओं या नाम में परिवर्तन** कर सकती है।
- **अनुच्छेद के पहले हिस्से में कहा गया है कि उपर्युक्त कानून के लिए किसी विधेयक को:**
  - **राष्ट्रपति की सिफारिश** पर ही संसद के **किसी भी सदन में पेश** किया जाएगा।
  - यदि विधेयक **किसी राज्य के राज्यक्षेत्र, सीमा या नाम को प्रभावित** करता है, तो राष्ट्रपति को **ऐसे विधेयक को संबंधित राज्य विधान-मंडल के विचार के लिए उसे भेजा जाना** चाहिए।

© Vision IAS

1.3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2023 {Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Act 2023}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संसद द्वारा पारित किए गए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (NCTD) (संशोधन) विधेयक, 2023 को राष्ट्रपति से अनुमोदन प्राप्त हो गया है। अब यह विधेयक अधिनियम बन गया है।

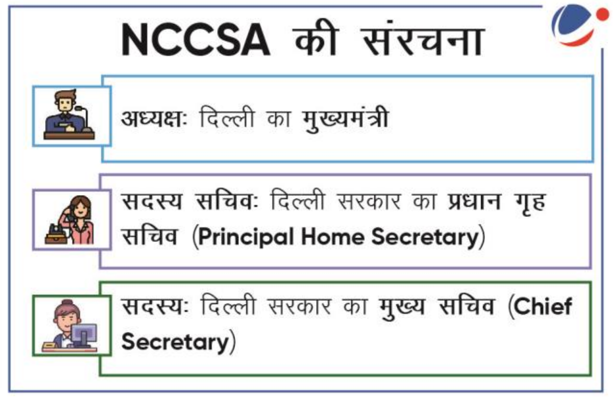

NCTD (संशोधन) अधिनियम के मुख्य प्रावधान

- **राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (NCCSA):** इस अधिनियम में **NCCSA** के गठन का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य **सेवाओं से संबंधित कुछ मामलों (जैसे- ट्रांसफर, पोस्टिंग, विजिलेंस एवं अन्य महत्वपूर्ण मामले) पर दिल्ली के L-G को सिफारिशें** करना है।
  - NCCSA के सभी निर्णय **उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत** के आधार पर लिए जाएंगे।
  - दिल्ली में प्रधान गृह सचिव और मुख्य सचिव दोनों की **नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी।**
- **L-G की शक्तियां:** ऐसे मामले, जिनमें L-G पूर्णतया अपने विवेक से कार्य कर सकता है, निम्नलिखित हैं:
  - ऐसे मामले जो **दिल्ली विधान सभा की विधायी क्षमता से बाहर** हैं, किंतु उन्हें L-G को सौंपा गया है, या
  - ऐसे मामले जहां L-G को **कोई न्यायिक या अर्द्ध-न्यायिक कार्य करने की आवश्यकता** होती है।
- **L-G को प्रमुखता:** यह कानून L-G के **विवेकाधिकार का विस्तार** करता है। इसके तहत वह **NCCSA की सिफारिशों को स्वीकार** कर सकता है या उन्हें **पुनर्विचार** के लिए वापस भेज सकता है।
  - L-G और NCCSA के बीच मतभेद होने की स्थिति में, L-G का निर्णय अंतिम होगा।
- **मंत्रियों द्वारा मामलों का निपटान:** कुछ विशेष मामलों में आदेश जारी करने से पहले दिल्ली सरकार के मंत्रियों को मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के माध्यम से **उन मामलों को L-G की राय हेतु उसके समक्ष प्रस्तुत** करना होगा। ये मामले निम्नलिखित से संबंधित हो सकते हैं-
  - दिल्ली में शांति व्यवस्था,
  - दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट या अन्य राज्य सरकारों के बीच संबंध,
  - विधान सभा सत्र को बुलाना, सत्रावसान एवं विघटन, तथा
  - ऐसे मामले जिन पर L-G को अपने विवेकाधिकार से आदेश देना है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) दिल्ली की शासन-व्यवस्था

- **केंद्र शासित प्रदेश (UT) के रूप में वर्गीकरण:** राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत **दिल्ली को एक UT के रूप में वर्गीकृत** किया गया है। ध्यातव्य है कि केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन का प्रावधान संविधान के **अनुच्छेद 239** के तहत किया गया है।
  - इस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि UTs का प्रशासन **सीधे राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा किया जाएगा।**
- **विशेष दर्जा:** एस. बालाकृष्णन समिति की सिफारिशों के बाद **69वें संविधान संशोधन**

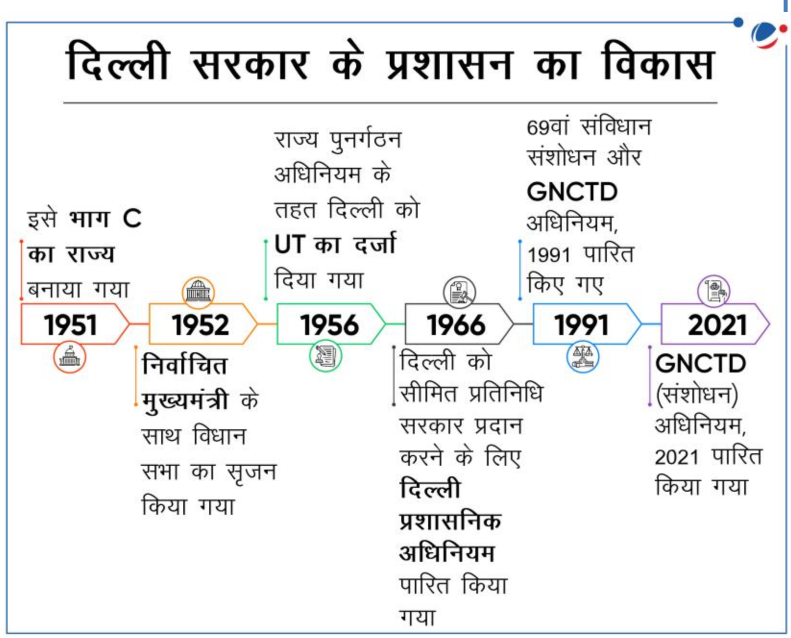

अधिनियम, 1991 द्वारा दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान किया गया था। साथ ही, इसे **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (NCTD)** के रूप में नामित किया गया था।

- इस संशोधन द्वारा संविधान में **अनुच्छेद 239AA** को जोड़ा गया और दिल्ली को **विधान सभा एवं मंत्रिपरिषद** से युक्त एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया।
- **उप-राज्यपाल (L-G) को दिल्ली के प्रशासक** के रूप में नामित किया गया। वह दिल्ली सरकार की मंत्रिपरिषद की सहायता और परामर्श से कार्य करता है।

- **दिल्ली विधान सभा की शक्तियां:** दिल्ली विधान सभा के पास **पुलिस, लोक व्यवस्था और भूमि को छोड़कर राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने** की शक्ति है।
  - संसद दिल्ली से संबंधित **राज्य और समवर्ती सूची के सभी विषयों** पर कानून बना सकती है।
- **GNCTD अधिनियम:** 'दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम (GNCTD), 1991' के तहत दिल्ली विधान सभा और दिल्ली सरकार के काम-काज के लिए रूपरेखा तैयार की गई है।

1.4. प्रिवेंटिव डिटेंशन (Preventive Detention)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन (निवारक निरोध) का केवल असाधारण परिस्थितियों में ही उपयोग किया जाना चाहिए।

प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में

- प्रिवेंटिव डिटेंशन का अर्थ है- **अपराध करने से पहले ही** किसी ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लेना **जो कानून और व्यवस्था के समक्ष खतरा उत्पन्न कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अभी तक कोई अपराध नहीं किया होता है,** लेकिन प्राधिकारियों को लगता है कि वह ऐसा कर सकता है। ऐसे में व्यक्ति द्वारा भविष्य में किसी अपराध को अंजाम देने से रोकने हेतु उसे डिटेन (गिरफ्तार) किया जाता है।
  - इसके तहत, व्यक्ति को **बिना कोई मुकदमा चलाए हिरासत** में रखा जाता है।
- भारत का संविधान **अनुच्छेद 22(1) और 22(2) के तहत गिरफ्तारी तथा हिरासत से सुरक्षा प्रदान** करता है।
  - **प्रिवेंटिव डिटेंशन कानूनों के तहत गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति पर संविधान के ये प्रावधान लागू नहीं होते {अनुच्छेद 22(3)}।**
- संसद को **भारत की रक्षा, विदेशी मामलों और सुरक्षा से जुड़े मामलों के लिए** प्रिवेंटिव डिटेंशन संबंधी कानून बनाने का **अनन्य प्राधिकार** प्राप्त है।
- राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था को बनाए रखने तथा आपूर्ति और सेवाओं के रख-रखाव से संबंधित मामलों के लिए **संसद के साथ-साथ राज्य विधान-मंडल भी कानून बना** सकता है।
- **निम्नलिखित कुछ कानून हैं, जिनमें प्रिवेंटिव डिटेंशन के प्रावधान किए गए हैं:**
  - **दंड प्रक्रिया संहिता;**
  - **नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985;**
  - **गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम आदि।**

© Vision IAS

प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान	प्रिवेंटिव डिटेंशन के संबंध में कोर्ट के मुख्य निर्णय
अनुच्छेद 22(1): किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी दिए बिना उसे कस्टडी में रखकर डिटेन नहीं किया जा सकता या अपनी रूचि के वकील से परामर्श करने या बचाव कराने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।	**ए. के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950):** सुप्रीम कोर्ट ने **प्रिवेंटिव डिटेंशन अधिनियम को स्वीकृति** दी थी।
अनुच्छेद 22(2): प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया है या कस्टडी में रखकर डिटेन किया गया है, उसे ऐसी गिरफ्तारी के **24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा।**	**शिब्बन लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वाद:** सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि **अदालत डिटेन करने की वास्तविकता या डिटेन करने लिए कोर्ट में पेश तथ्यों की जांच** करने में सक्षम नहीं है।
अनुच्छेद 22(3): उपर्युक्त दो खंड उस व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे, जो उस समय भारत के किसी शत्रु देश का नागरिक है या जिसे किसी प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून के तहत गिरफ्तार या डिटेन किया गया है।	**शंभू नाथ शंकर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य वाद:** हालांकि, प्रिवेंटिव डिटेंशन की अवधारणा अपने आप में कठोर है और संविधान में गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, लेकिन **कभी–कभी देश की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए राज्य द्वारा इस तरह के अत्यधिक कठोर कदम उठाने आवश्यक होते हैं।**
अनुच्छेद 22(4): किसी भी व्यक्ति को **3 महीने से अधिक की अवधि के लिए डिटेन नहीं** किया जा सकता है। हालांकि, सलाहकार बोर्ड यह पुष्टि कर दे कि इस तरह के डिटेंशन के लिए पर्याप्त कारण मौजूद हैं, तो किसी व्यक्ति को **3 महीने से अधिक के लिए भी डिटेन किया जा सकता है।**	
अनुच्छेद 22(7)(b): किसी व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड की राय के बिना **3 महीने से अधिक समय के लिए डिटेन किया जा सकता है, यदि संसद कानून द्वारा यह प्रावधान करती है कि–** ➤ **ऐसे डिटेंशन की अधिकतम अवधि कितनी होगी, तथा** ➤ **परिस्थितियां, व्यक्तियों के वर्ग और ऐसे मामले जिन पर ऐसा कानून** लागू हो सकता है।	

1.5. व्यक्तित्व अधिकार (Personality Rights)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉलीवुड के एक प्रसिद्ध अभिनेता के "व्यक्तित्व अधिकारों" को किसी तीसरे पक्ष द्वारा दुरुपयोग किए जाने से संरक्षण प्रदान किया है।

व्यक्तित्व अधिकार के बारे में

- व्यक्तित्व अधिकार से तात्पर्य किसी व्यक्ति के **"निजता के अधिकार" या "संपत्ति के अधिकार"** के तहत उसके व्यक्तित्व की रक्षा करने के अधिकार से है।
    - व्यक्तित्व अधिकार **नाम, आवाज, हस्ताक्षर, छवियों या जनता द्वारा आसानी से पहचानी जाने वाली किसी अन्य विशेषता** को व्यक्त करते हैं, जो किसी सेलिब्रिटी आदि के व्यक्तित्व का प्रतीक हैं।

भारत में व्यक्तित्व अधिकार

- देश में व्यक्तित्व अधिकार या उसके संरक्षण का **किसी भी कानून में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं** किया गया है। हालांकि, **निजता के अधिकार और संपत्ति के अधिकार** में इसके तत्व विद्यमान हैं।
- **भारत में "व्यक्तित्व अधिकार" में निम्नलिखित दो प्रकार के अधिकार शामिल हैं:**
    - **पब्लिसिटी का अधिकार (Right of Publicity):** यह किसी व्यक्ति की छवि एवं अन्य विशेषताओं को बिना उसकी अनुमति या संविदात्मक मुआवजे के व्यावसायिक रूप से दुरुपयोग होने से बचाने के अधिकार से संबंधित है।
        - यह **ट्रेडमार्क्स अधिनियम, 1999 और कॉपीराइट अधिनियम, 1957** जैसे कानूनों द्वारा शासित होता है।
    - **निजता का अधिकार (Right to Privacy):** इसमें किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बिना उसकी अनुमति के सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित न करने का अधिकार शामिल है।
        - निजता का अधिकार मोटे तौर पर **संविधान के अनुच्छेद 21 और न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) मामले (2018) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले** के तहत शासित होता है।

मरणोपरांत "व्यक्तित्व अधिकार"

- **प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1950[2]:** यह कानून इस अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध कुछ गणमान्य व्यक्तियों के नामों और प्रतीकों के अनधिकृत उपयोग पर रोक लगाता है।
- **भारतीय दंड संहिता (IPC):** यदि कोई व्यक्ति किसी मृतक या उसके परिवार की प्रतिष्ठा के खिलाफ नकारात्मक टिप्पणी करता है या अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करता है, तो **भारतीय दंड संहिता के तहत मानहानि का मुकदमा** दायर किया जा सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों के तहत व्यक्तित्व अधिकार

- वर्तमान में **पब्लिसिटी के अधिकारों के संरक्षण** से संबंधित कोई स्पष्ट अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय या संधि नहीं है।
- हालांकि, पब्लिसिटी संबंधी कुछ अधिकार निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों से प्राप्त किए जा सकते हैं:
    - **रोम अभिसमय (1961):** यह कलाकारों के अधिकारों, फोनोग्राम प्रोड्यूसर के अधिकारों और प्रसारण अधिकारों की रक्षा करता है।
    - **बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलू (TRIPS/ट्रिप्स) समझौता (1994):** यह समझौता फोनोग्राम प्रोड्यूसर व लाइव प्रदर्शन करने वालों के कुछ अधिकारों और प्रसारण अधिकारों की रक्षा करता है।
    - **WIPO प्रदर्शन और फोनोग्राम संधि (WPPT)[3]:** यह संधि विशेष रूप से डिजिटल परिवेश में कलाकारों और फोनोग्राम प्रोड्यूसर के अधिकारों की रक्षा करती है।

[2] Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950

[3] WIPO Performances and Phonograms Treaty

व्यक्तित्व अधिकारों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान	व्यक्तित्व अधिकारों से संबंधित न्यायिक निर्णय
अनुच्छेद 21 के अनुसार, 'किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं'।	**दीपा जयकुमार बनाम ए. एल. विजय वाद (2019):** मद्रास हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही उसके व्यक्तित्व अधिकार भी समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व अधिकार उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को विरासत में नहीं मिल सकते हैं।
अनुच्छेद 300A "संपत्ति का अधिकार" प्रदान करता है। इस अनुच्छेद को **44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978** के तहत संविधान में जोड़ा गया था। ➤ इस अनुच्छेद के अनुसार **'किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से कानून के प्राधिकार के अलावा वंचित नहीं किया जाएगा'।**	**साक्षी मलिक बनाम वेंकटेश्वर क्रिएशन्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य वाद (2021):** बॉम्बे हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि किसी अन्य व्यक्ति की छवि और विशेष रूप से उसकी निजी छवि का उसकी सहमति के बिना उपयोग करना गैर–कानूनी है।

1.6. हेट स्पीच (Hate Speech)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने हितधारकों से हेट स्पीच की समस्या का स्थायी समाधान खोजने के लिए आपस में सहयोग करने की आवश्यकता पर बल दिया।

हेट स्पीच के बारे में

- हेट स्पीच को भारत के **किसी भी कानून के अंतर्गत परिभाषित नहीं किया गया है।**
    - हेट स्पीच आम तौर पर व्यक्तियों के एक समूह के खिलाफ घृणा को बढ़ाने वाला वक्तव्य होता है।
- हेट स्पीच को अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। इन रूपों में **चित्र, कार्टून, मीम्स, वस्तुएं, हावभाव और प्रतीक चिन्ह शामिल हैं। इसे ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीकों से प्रसारित किया जा सकता है।**

भारत में हेट स्पीच को नियंत्रित करने वाले कानून

- **संवैधानिक प्रावधान: संविधान का अनुच्छेद 19(2)** सभी नागरिकों को वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। हालांकि, इस अधिकार पर अन्य बातों के साथ-साथ 'लोक व्यवस्था, सदाचार या नैतिकता' के संरक्षण हेतु 'युक्तियुक्त निर्बंधन' लगाए गए हैं।
- **भारतीय न्याय संहिता, 2023:**
    - **धारा 196(1)** धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर **विविध समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने को दंडित** करती है।

- **धारा 299** किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से किए गए **जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों के लिए दंड** को परिभाषित करती है।
- **धारा 353(1) और 353(2)** विभिन्न वर्गों के बीच लोक हानि व शत्रुता, घृणा या दुर्भावना पैदा करने वाले किसी भी **कथन, अफवाह या रिपोर्ट के प्रकाशन या प्रसार के कार्य को दंडित** करती है।

- **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951:**
  - **अधिनियम की धारा 8 ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित** करती है, जो **वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का गलत उपयोग** करने का दोषी पाया जाता है।
  - **धारा 123(3A) और धारा 125** निर्वाचन के संबंध में धर्म, मूल वंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर **शत्रुता फैलाने वाली गतिविधियों** को एक भ्रष्ट चुनावी आचरण मानती है। साथ ही, इन गतिविधियों को प्रतिबंधित भी करती है।
- **नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955:**
  - **धारा 7 के तहत** कहे गए या लिखे गए शब्दों के माध्यम से या संकेतों या तस्वीरों द्वारा या अन्यथा **अस्पृश्यता को उकसाने** और उसे बढ़ावा देने के विरुद्ध दंड का प्रावधान करती है।

हेट स्पीच से संबंधित न्यायिक निर्णय

प्रवासी भलाई संगठन बनाम भारत संघ वाद (2014): सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के नकारात्मक प्रभावों पर संज्ञान लेते हुए मामले की गहन जांच के लिए इसे विधि आयोग को सौंप दिया था।

श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ वाद (2015): सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध केवल तभी लगाया जा सकता है, जब यह हिंसा या सार्वजनिक अव्यवस्था का कारण बनती है।

अमीश देवगन बनाम भारत संघ वाद (2020): इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि फ्री स्पीच (स्वतंत्र अभिव्यक्ति) और हेट स्पीच के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है। साथ ही, कोर्ट ने फ्री स्पीच के प्रतिस्पर्धी हितों को संतुलित करने तथा घृणा और सांप्रदायिक असामंजस्य के प्रसार को रोकने की आवश्यकता को रेखांकित किया।

- **धार्मिक संस्था (दुरूपयोग निवारण) अधिनियम[4], 1988:**
  - **धारा 3(g) धार्मिक संस्थानों या उनके प्रबंधकों** को विविध धार्मिक समूहों के बीच वैमनस्य या नफरत को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक परिसरों का उपयोग करने से रोकती है।

1.7. उपासना स्थल अधिनियम, 1991 (Places of Worship Act, 1991)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह **उपासना स्थल अधिनियम** के तहत विवादित धार्मिक स्थलों से संबंधित मामलों की सुनवाई करने से अन्य अदालतों को रोकने का आदेश नहीं दे सकता।

उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991 के बारे में

- यह अधिनियम घोषित करता है कि किसी भी **उपासना स्थल का धार्मिक चरित्र वही रहेगा, जो 15 अगस्त, 1947** को था।
- इसमें कहा गया है कि **कोई भी व्यक्ति** किसी भी धार्मिक संप्रदाय के उपासना स्थल को किसी अलग संप्रदाय या उसके किसी दूसरे वर्ग में **परिवर्तित नहीं** करेगा।
- यह अधिनियम **राज्य पर प्रत्येक उपासना स्थल के धार्मिक चरित्र को बनाए रखने (जैसा कि स्वतंत्रता के समय मौजूद था) का सकारात्मक दायित्व** भी डालता है।
- यह घोषणा करता है कि उपासना स्थल के स्वरूप को परिवर्तित करने के संबंध में **सभी मुकदमे, अपील या कोई अन्य कार्यवाही,** जो 15 अगस्त, 1947 को किसी भी अदालत या प्राधिकरण के समक्ष लंबित हैं, कानून लागू होते ही समाप्त हो जाएंगे।

---

[4] Religious Institutions (Prevention of Misuse) Act

© Vision IAS

- **इस अधिनियम के अपवाद:**
  - **अयोध्या** में विवादित स्थल को इस अधिनियम से छूट दी गई थी।
  - इसके अलावा, यह अधिनियम-
    - **प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम[5], 1958** के अंतर्गत आने वाले स्मारकों व पुरातत्वीय स्थलों पर लागू नहीं होता,
    - कोई भी विवाद जिसका अंतिम रूप से निपटारा या निस्तारण हो गया हो,
    - वे मामले भी इसमें शामिल नहीं हैं, जो पहले ही निपट चुके हैं या सुलझ गए हैं, और
    - ऐसे किसी स्थल का कोई रूपांतरण, जिसे पूर्व रज़ामंदी से किया गया हो। यह भी अधिनियम के दायरे में नहीं आएगा।
- **जुर्माना:** अधिनियम की **धारा 6** में इसके प्रावधानों का उल्लंघन करने पर **जुर्माने के साथ अधिकतम तीन साल की कैद की सजा** का प्रावधान किया गया है।

1.8. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News)

संविधान की 8वीं अनुसूची	• ओडिशा मंत्रिमंडल ने संविधान की **8वीं अनुसूची में कुई भाषा को शामिल करने** के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। • **भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची:** ○ **इसमें देश की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। वर्तमान में, इसमें 22 भाषाएं शामिल हैं।** ○ **मूल संविधान में 14 भाषाएं सूचीबद्ध थीं** और बाकी भाषाओं को बाद में जोड़ा गया है। ○ **सिंधी भाषा** को 1967 में और **कोंकणी, मणिपुरी एवं नेपाली** को 1992 (71वें संविधान संशोधन अधिनियम) में इस सूची में शामिल किया गया था। साथ ही, 2003 के 92वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से इसमें **संथाली, डोगरी, मैथिली तथा बोडो** भाषाओं को जोड़ा गया था।
संविधान की 9वीं अनुसूची	• इसे **प्रथम संविधान संशोधन (1951) द्वारा संविधान में शामिल** किया गया था। इसके लिए संविधान में **अनुच्छेद 31B को जोड़ा** गया था। • 9वीं अनुसूची में शामिल **केंद्रीय और राज्य कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर अदालतों में चुनौती नहीं** दी जा सकती है। • हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने **आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007) मामले** में फैसला सुनाया था कि **24 अप्रैल, 1973** के बाद इस अनुसूची में शामिल किए गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा (पुनर्विलोकन) की जा सकती है। ○ इस प्रकार के कानूनों को न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है, यदि वे संविधान के **अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत गारंटीकृत मूल अधिकारों या संविधान के 'मूल ढांचे' का उल्लंघन** करते हैं।

[5] Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act

चुप रहने का अधिकार (Right to Silence)	• सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि **सभी आरोपियों को "चुप रहने का अधिकार"** है और जांचकर्ता उन्हें बोलने या अपराध स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं।
	• **'चुप रहने का अधिकार' अनुच्छेद 20(3) में निहित है।** इस अनुच्छेद के अनुसार किसी को भी अपने खिलाफ साक्षी बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।
	  ○ हालांकि, यह संरक्षण केवल **आपराधिक कार्यवाही** तक ही सीमित है।
	  ○ जिस व्यक्ति से **सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 या विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999** के तहत पूछताछ की जा रही हो उसे यह अधिकार उपलब्ध नहीं है। इसका कारण यह है कि वह व्यक्ति **"किसी अपराध का अभियुक्त" नहीं होता है और वह वकील रखने का हकदार** भी नहीं है।
	  ○ **नंदिनी सत्पथी बनाम पी.एल दानी मामले में,** सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी व्यक्ति को **पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर** किसी सवाल का जवाब देने के लिए मजबूर करना अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन हो सकता है।

निजी क्षेत्रक में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण	• **पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने "हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार अधिनियम, 2020" को रद्द किया**
	  ○ गौरतलब है कि इस अधिनियम के तहत **निजी क्षेत्र में 30,000 रुपये से कम मासिक वेतन वाली नौकरियों** में हरियाणा के स्थानीय लोगों को **75% आरक्षण** दिया गया था।
	• हाई कोर्ट ने इस अधिनियम को **असंवैधानिक** घोषित किया है। न्यायालय के अनुसार यह अधिनियम **भारत के संविधान के भाग III (मौलिक अधिकार) का उल्लंघन** करता है।
	  ○ कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि यह अधिनियम **संवैधानिक नैतिकता** का भी उल्लंघन करता है।
	    ▪ **संवैधानिक नैतिकता** का तात्पर्य **संविधान के मौलिक सिद्धांतों के पालन** से है।
	  ○ न्यायालय ने कहा कि एक राज्य इस तथ्य के आधार पर **बाहरी व्यक्तियों के साथ भेदभाव नहीं कर सकता कि वे उस राज्य** से संबंधित नहीं हैं। यह **नकारात्मक भेदभाव** है।
	• आंध्र प्रदेश (2019) जैसे कुछ अन्य राज्यों ने भी इसी तरह के कानून बनाए थे।

अफरमेटिव एक्शन (Affirmative Action)	• अफरमेटिव एक्शन से तात्पर्य **सकारात्मक कार्रवाई/ पक्षपात** से है। इसे **अमेरिका में कुछ विशेष पहचान वाले व्यक्तियों के खिलाफ पक्षपात के ऐतिहासिक प्रतिरूप से निपटने** के लिए उपयोग में लाया गया था।
	  ○ इसके तहत **अमेरिका के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अश्वेत, हिस्पैनिक तथा अन्य अल्पसंख्यक छात्रों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया** जाता है।
	• **भारत में 'आरक्षण'** अफरमेटिव एक्शन का एक **उदाहरण** है। इसके माध्यम से ऐतिहासिक रूप से **वंचित समूहों का शिक्षा, नौकरियों, सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्ति और राजनीति में प्रतिनिधित्व** बढ़ाया जाता है।
	  ○ संविधान के **अनुच्छेद 15(4) और 16(4)** सरकार को आरक्षण से संबंधित प्रावधान करने की अनुमति देते हैं।
	  ○ सुप्रीम कोर्ट ने **इंदिरा साहनी वाद** में रोजगार एवं शिक्षा दोनों में OBC, SC और ST के लिए **आरक्षण पर 50% की सीमा** तय की थी।

रंगनाथ मिश्रा आयोग	• **रंगनाथ मिश्रा आयोग के बारे में:**
	  ○ इसे आधिकारिक तौर पर **धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग** के रूप में जाना जाता है।
	  ○ इसका गठन **देश में भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों से संबंधित अलग-अलग मुद्दों** को रेखांकित करने के लिए किया गया था।
	  ○ आयोग की रिपोर्ट (2007) में यह सिफारिश की गई थी कि **अनुसूचित जाति का दर्जा पूरी तरह से धर्म से अलग** कर देना चाहिए। साथ ही, इसे अनुसूचित जनजातियों की तरह **धर्म-तटस्थ बनाया** जाना चाहिए।
	  ○ इसने **इस्लाम और ईसाई धर्म अपनाने वाले दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त करने की अनुमति** देने की सिफारिश की थी।

© Vision IAS

अनुच्छेद 355	• अनुच्छेद 355 संविधान के **भाग XVIII (अनुच्छेद 352 से 360 तक) में निहित आपातकाल से संबंधित प्रावधानों का एक हिस्सा है।** ○ अनुच्छेद 355 के अनुसार, **"संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। साथ ही संघ का यह भी कर्तव्य है कि वह, प्रत्येक राज्य की सरकार का संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे।"**
पैदल चलने का अधिकार (Right To Walk)	• **पंजाब "पैदल चलने के अधिकार"** को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। • यह अधिकार **NHAI[6] सहित सड़क-स्वामित्व वाली सभी एजेंसियों के लिए सड़क पर फुटपाथ और साइकिल ट्रैक की सुविधा प्रदान करना** अनिवार्य बनाता है।

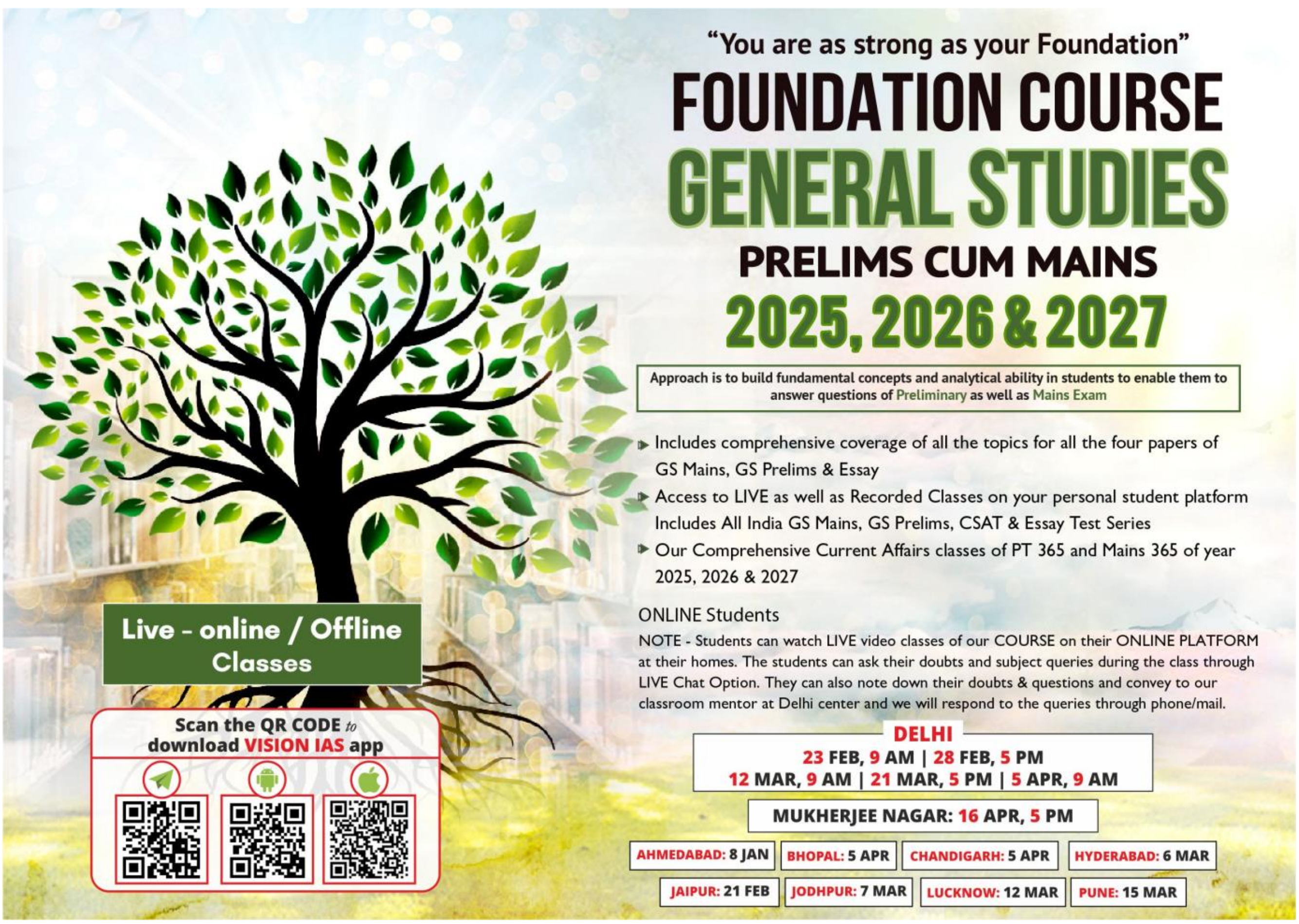

[6] National Highways Authority of India/ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

2. संसद, राज्य विधान-मंडल/ स्थानीय सरकार की कार्यप्रणाली (Functioning of Parliament, State Legislature/Local Government)

2.1. अविश्वास प्रस्ताव (No-confidence Motion)

सुर्ख़ियों में क्यों?

संसद के मानसून सत्र में केंद्र सरकार के खिलाफ **अविश्वास प्रस्ताव** लाया गया था।

अविश्वास प्रस्ताव के बारे में

- **अविश्वास प्रस्ताव:** यह एक **विधायी प्रस्ताव** है। इसे **केवल लोक सभा में ही पेश** किया जाता है। इसके द्वारा **विपक्ष सरकार के बहुमत और शासन करने की क्षमता को चुनौती** दे सकता है।
    - संसदीय लोकतंत्र में, कोई सरकार तभी सत्ता में रह सकती है जब उसके पास प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन अर्थात लोक सभा में बहुमत हो। इसका अर्थ है कि यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो मौजूदा सरकार गिर जाती है।
    - अविश्वास प्रस्ताव केवल **लोक सभा में उस सदन के किसी सांसद द्वारा ही लाया** जा सकता है।
- **संवैधानिक अनुच्छेद/ लोक सभा में कार्य संचालन के नियम:**
    - **अनुच्छेद 75(3):** भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद में उल्लेख है कि **मंत्रिपरिषद लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।**
        - इसी प्रकार, **राज्य स्तर पर अनुच्छेद 164(2)** में यह प्रावधान किया गया है कि **मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होगी।**
    - **लोक सभा के 'प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों[7]' के नियम 198** में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में प्रावधान किए गए हैं।
- **अविश्वास प्रस्ताव का आधार:** अविश्वास प्रस्ताव के लिए **कोई आधार निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं** है।
- **भाषण: जब तक सदन द्वारा प्रस्ताव पेश करने की अनुमति नहीं दी जाती, तब तक प्रस्ताव के समर्थन में कोई भी भाषण नहीं दिया जा सकता है।**
- **दोबारा नया प्रस्ताव:** एक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होने और सदन द्वारा उसे अस्वीकार कर दिए जाने के बाद उसी सत्र में दूसरा अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है।

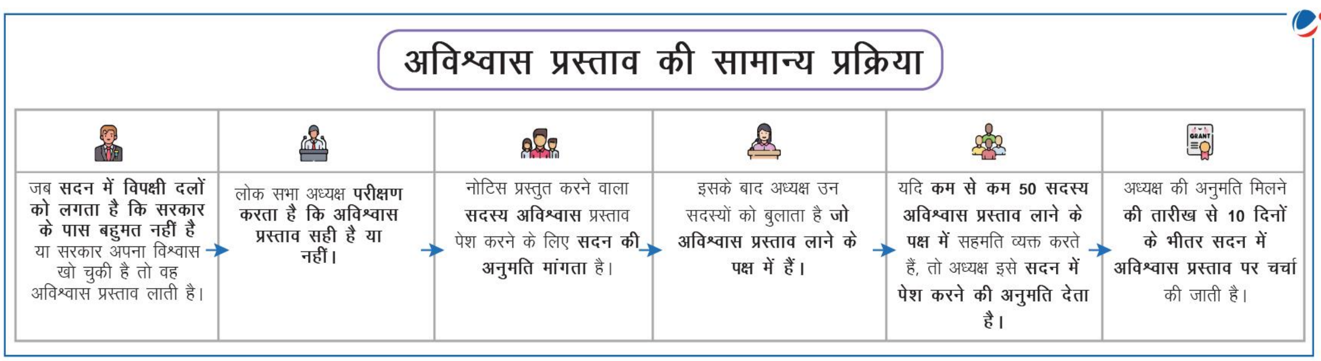

2.2. कानून निर्माताओं के संसदीय विशेषाधिकार (Parliamentary Privileges of Lawmakers)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में **सात-न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ का गठन** किया है। यह पीठ **पी.वी. नरसिम्हा राव वाद (1998) में पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा दिए गए निर्णय पर पुनर्विचार** करेगी।

---

[7] Rules of Procedure and Conduct of Business

 © Vision IAS

अन्य संबंधित तथ्य

- गौरतलब है कि **पी.वी. नरसिम्हा राव वाद (1998)** में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय **झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) रिश्वत मामले (1993)** से जुड़ा हुआ है। ज्ञातव्य है कि 1993 में नरसिम्हा राव सरकार ने अविश्वास प्रस्ताव से बचने के लिए कथित तौर पर सभी दलों के कई सांसदों को रिश्वत दी थी।
    - निर्णय के अनुसार, **संविधान के अनुच्छेद 105(2) और 194(2) के तहत सांसद व विधायक को प्राप्त कानूनी उन्मुक्ति संसद व विधान-मंडल में किसी भी भाषण या मत के लिए रिश्वत के आरोप में आपराधिक मुक़दमे से भी संरक्षण** प्रदान करती है।

संसदीय विशेषाधिकारों के बारे में

- संसदीय विशेषाधिकार **विधायिका के सदस्यों को प्राप्त कानूनी प्रतिरक्षा है। इनके तहत कानून निर्माताओं को उनके विधायी कर्तव्यों के दौरान किए गए कुछ कृत्यों या दिए गए बयानों के लिए सिविल या दण्डनीय दायित्वों से सुरक्षा प्रदान की जाती है।**
    - यदि कोई व्यक्ति या प्राधिकारी **किसी सदस्य या सदन के संसदीय विशेषाधिकार की उपेक्षा करता है या उसे कमजोर करता है,** तो इसे **'विशेषाधिकार का उल्लंघन'** कहा जाता है।
- यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि **संसद ने अभी तक सभी विशेषाधिकारों को विस्तृत रूप से संहिताबद्ध करने के लिए कोई विशेष कानून नहीं बनाया है।**
- **केवल संसद** को ही यह सुनिश्चित करने का **अधिकार है कि सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन या सदन की अवमानना हुई है अथवा नहीं।** किसी भी न्यायालय को यह शक्ति नहीं सौंपी गई है।
    - **सदन का कोई भी सदस्य** सभापति या अध्यक्ष की सहमति से **विशेषाधिकार हनन से जुड़ा प्रश्न उठा सकता है।**

विशेषाधिकार निम्नलिखित स्रोतों पर आधारित हैं:

- **संवैधानिक प्रावधान:**
    - **अनुच्छेद 105: संसद के दोनों सदनों और उसके सदस्यों** तथा समितियों की शक्तियों और विशेषाधिकारों से संबंधित है।
    - **अनुच्छेद 194: राज्य विधान-मंडलों के सदनों और उनके सदस्यों तथा समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों एवं उन्मुक्तियों (Immunities) की रूपरेखा** का प्रावधान करता है।
    - **अनुच्छेद 105(2):** इसमें प्रावधान किया गया है कि **कोई भी सांसद संसद के किसी भी सदन के प्राधिकार के तहत प्रकाशित** किसी भी प्रतिवेदन, पत्र, मतपत्र या कार्यवाही के संबंध में उत्तरदायी नहीं होगा।
        - **अनुच्छेद 194(2)** के तहत **राज्य के विधान-मंडल के सदस्यों के लिए भी** समान प्रावधान किए गए हैं।
    - **संसद में बोलने की स्वतंत्रता: अनुच्छेद 105(2)** के अनुसार, **"संसद में या उसकी किसी समिति में संसद के सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके खिलाफ किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।"**

विशेषाधिकार समिति (Privilege Committee)

- यह एक **स्थायी संसदीय समिति** है। यह समिति **संसद के दोनों सदनों में गठित** होती है।
    - **लोक सभा से संबंधित समिति में 15 सदस्य होते हैं, जबकि राज्य सभा से संबंधित समिति में 10 सदस्य** होते हैं। लोक सभा से इस समिति के सदस्यों को **लोक सभा अध्यक्ष** नामित करता है, जबकि राज्य सभा से समिति के सदस्यों को **राज्य सभा का सभापति** नामित करता है।
- **मुख्य कार्य:** सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा इसे भेजे जाने वाले **सदन या सदस्यों के विशेषाधिकारों के उल्लंघन से जुड़े प्रश्नों की जांच** करना।

- यह स्वतंत्रता **संविधान के प्रावधानों तथा संसद के नियमों और प्रक्रियाओं के अधीन है,** जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 118 में वर्णित है। हालांकि, अनुच्छेद 121 सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा करने से रोकता है।
  - **अनुच्छेद 122:** इस अनुच्छेद के अनुसार, **न्यायपालिका प्रक्रिया की कथित अनियमितता के आधार पर संसद की किसी भी कार्यवाही की वैधता की जांच नहीं** कर सकती है।
- **संसद द्वारा बनाए गए कानून:**
  - **गिरफ्तारी पर रोक:** सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी **कानून निर्माता को सदन के सत्र से 40 दिन पहले, सत्र के दौरान और सत्र के स्थगन से 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं** किया जाएगा।
    - हालांकि, यह विशेषाधिकार **दीवानी मामलों तक ही सीमित** है। किसी संसद सदस्य को सत्र के दौरान या अन्यथा, **किसी आपराधिक मामले में कार्रवाई से कोई छूट प्राप्त नहीं है।**
- **दोनों सदनों के नियम:**
  - **प्रक्रिया के नियमों और दृष्टांतों पर आधारित विशेषाधिकार:** संसद को किसी भी दंड योग्य आरोप या अपराध के लिए किसी सदस्य की गिरफ्तारी, हिरासत, दोषसिद्धि, कारावास और रिहाई के संबंध में तत्काल जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है।
  - **अज्ञात व्यक्तियों को बाहर करने का अधिकार:** सदन के सदस्यों को **गैर-सदस्यों को सदन की कार्यवाही से बाहर करने की शक्ति तथा अधिकार प्राप्त है।** सदन में स्वतंत्र और निष्पक्ष चर्चा सुनिश्चित करने के लिए यह अधिकार आवश्यक है।
- **अन्य स्रोत:** संसदीय परंपराएं एवं न्यायिक व्याख्याएं।

सदन की अवमानना (Contempt of the House)

- विशेषाधिकार का उल्लंघन **सदन की अवमानना से अलग होता है।**
- **इसे ऐसे किसी भी कार्य के रूप में परिभाषित किया गया है जो-**
  - संसद के किसी भी सदन के काम-काज में **बाधा उत्पन्न** करता है, या
  - जो ऐसे सदन के किसी सदस्य या अधिकारी के कर्तव्य के निर्वहन में बाधा उत्पन्न करता है, या
  - जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे परिणाम उत्पन्न करने की प्रवृत्ति होती है।
- **संसद** यह सुनिश्चित करने के लिए **एकमात्र प्राधिकारी है कि सदन की अवमानना हुई है या नहीं।** किसी भी अदालत को यह सुनिश्चित करने का अधिकार नहीं दिया गया है।
  - **सदन द्वारा किसी दोषी को अवमानना के लिए हिरासत या जेल भेजने की अवधि, सदन के सत्र की अवधि तक सीमित होती है।**
  - यदि सदन के सदस्य दोषी पाए जाते हैं, **तो उन्हें सदन से निलंबित किया जा सकता है या उन्हें निष्कासन का सामना करना पड़ सकता है।**

2.2.1. विधि-निर्माताओं का निष्कासन (Expulsion of Lawmakers)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **लोक सभा** ने **आचार समिति** की रिपोर्ट के आधार पर **अपने एक सदस्य को "अवैध रूप से उपहार एवं परितोषण (Gratification) स्वीकार" करने के आरोप में सदन से निष्कासित** कर दिया है।

भारत में विधि-निर्माताओं का निष्कासन

भारत में किसी सांसद का निष्कासन संवैधानिक और कानूनी (सदन के नियम) आधार पर हो सकता है।

- **निष्कासन का संवैधानिक आधार:** संसदीय विशेषाधिकारों के उल्लंघन या सदन की अवमानना का दोषी पाए जाने वाले किसी भी सांसद को सदन से निलंबित या निष्कासित किया जा सकता है।
  - प्रत्येक सदन में निष्कासन के प्रस्ताव को पारित करने के लिए **साधारण बहुमत की आवश्यकता** होती है।
  - **निष्कासन के लिए आचार समिति की आगे की भागीदारी हमेशा आवश्यक नहीं** होती है।

लोक सभा की आचार समिति (Ethics committee of Lok sabha)

- इसमें **अध्यक्ष द्वारा नामांकित अधिकतम 15 होते हैं और वे एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पद पर बने** रहते हैं।
- **कार्य:**
  - अध्यक्ष द्वारा संदर्भित किसी सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत की जांच करना।
  - सिफारिशें करना और सदस्यों के लिए आचार संहिता बनाना।
  - आचार संहिता में संशोधन का सुझाव देना।
- **लोक सभा की पहली आचार समिति 2000 में और राज्य सभा की 1997 में गठित** की गई थी।

 © Vision IAS

- **सांसदों के निलंबन एवं निष्कासन का कानूनी आधार:**
  - सदन की सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए **सदन का पीठासीन अधिकारी** (लोक सभा अध्यक्ष और राज्य सभा सभापति) किसी भी सदस्य को **सदन से बाहर जाने का आदेश** दे सकता है।
  - **अत्यधिक कदाचार** के मामलों में सदन **"सदस्यता के लिए अयोग्य व्यक्तियों से सदन को मुक्त करने हेतु"** किसी भी सदस्य को निष्कासित कर सकता है।

लोक सभा और राज्य सभा में निलंबन से संबंधित प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम	
लोक सभा में नियम	**राज्य सभा में नियम**
नियम 373: यदि लोक सभा अध्यक्ष को यह लगता है कि किसी सदस्य का व्यवहार अव्यवस्थापूर्ण है, तो वह उस सदस्य को तत्काल सदन से बाहर चले जाने का निर्देश दे सकता है। वह सदस्य **उस दिन की शेष बैठक के समय तक सदन से अनुपस्थित रहेगा।**	**नियम 255:** यह राज्य सभा के सभापति को **अव्यवस्थित आचरण के लिए किसी भी सदस्य को तुरंत सदन से बाहर जाने का निर्देश** देने की अनुमति देता है।
नियम 374: अध्यक्ष जरूरी समझते हुए उस सदस्य का नाम ले सकता है, जो अध्यक्ष के प्राधिकार की उपेक्षा कर रहा है, या जानबूझकर सदन के कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहा है। इस तरह नाम लिए जाने पर अध्यक्ष उस **सदस्य को सदन के शेष काल तक सदन से निलंबित** करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। इसके बाद वह सदस्य तुरंत सदन से बाहर चला जाएगा।	**नियम 256:** यह नियम सभापति को अपने प्राधिकार की उपेक्षा करने या सभा के नियमों का उल्लंघन करने वाले सदस्यों का नाम लेने की अनुमति देता है। इसके बाद सदन सदस्य को **सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित** करने का प्रस्ताव अपना सकता है।
***नियम 374A (2001 में लाया गया):** यदि कोई सदस्य लोक सभा की कार्यवाही में बाधा डालता है या जानबूझकर सभा के नियमों का उल्लंघन करता है, तो **लोक सभा अध्यक्ष द्वारा उसका नाम लिए जाने पर वह लोक सभा की पांच बैठकों या सत्र की शेष अवधि के लिए (जो भी कम हो) स्वतः निलंबित** हो जाता है।	**लोक सभा (नियम 374A के तहत) के विपरीत, राज्य सभा अपने सदस्यों को बिना प्रस्ताव पारित किए निलंबित नहीं कर सकती।**

- **संविधान के अनुच्छेद 122** के प्रावधानों के अनुसार, **न्यायपालिका प्रक्रिया की कथित अनियमितता के आधार पर संसद की किसी भी कार्यवाही की वैधता की जांच नहीं** कर सकती है। हालांकि, न्यायालय ने कई मामलों में हस्तक्षेप किया है, उदाहरण के लिए-
  - **राजा रामपाल वाद (2007)** में न्यायालय ने राजा रामपाल के निष्कासन को बरकरार रखा था, लेकिन यह भी कहा था कि किसी भी अवैध आधार पर इस तरह कार्यवाहियां न्यायिक जांच के दायरे में आती हैं।
- **यह ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि निष्कासन और अयोग्यता एक समान नहीं हैं।** भारतीय संविधान **निष्कासन और अयोग्यता** दोनों का प्रावधान करता है। अयोग्यता के तहत संसद का कोई सदस्य आगे चुनाव नहीं लड़ सकता, जबकि निष्कासन के तहत वह चुनाव लड़ सकता है।
- **संसद के किसी भी सदन के सदस्यों की अयोग्यता:**
  - **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951:** इस अधिनियम की **धारा 8(3A)** के अनुसार दोषी ठहराए जाने वाले विधायिका के किसी भी सदस्य को यदि **दो वर्ष से अधिक के कारावास** की सज़ा सुनाई जाती है, तो उसे दोषी ठहराए जाने की तिथि से **आयोग्य** माना जाएगा। ऐसे व्यक्ति को सज़ा पूरी किए जाने की तिथि से अगले **6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य** माना जाएगा।
  - **दसवीं अनुसूची:** यदि कोई व्यक्ति **दसवीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत दल-बदल के आधार पर अयोग्य** ठहराया जाता है।
  - **संविधान का अनुच्छेद 102(1) और 191(1) निम्नलिखित कुछ शर्तों के तहत सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान करता है-**
    - यदि वह केंद्र या राज्य सरकार के अधीन **कोई लाभ का पद** धारण करता है;
    - यदि वह **मानसिक रूप से विकृत है और अदालत द्वारा ऐसा घोषित** किया गया है;
    - यदि वह **अनुन्मोचित दिवालिया (undischarged insolvent)** है;
    - यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या **उसने स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता हासिल कर ली है** या किसी अन्य देश के प्रति निष्ठावान है; तथा
    - यदि वह संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया गया है।

2.3. दल-बदल रोधी कानून (Anti-Defection Law)

सुर्ख़ियों में क्यों?

महाराष्ट्र विधान सभा के अध्यक्ष ने दल-बदल विरोधी कानून के तहत विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दीं।

दसवीं अनुसूची से संबंधित न्यायिक निर्णय

- **किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिलु और अन्य वाद (1992):** इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था स्पीकर का निर्णय **'न्यायिक समीक्षा'** के अधीन है।
- **कीशम मेघचंद्र सिंह बनाम माननीय अध्यक्ष मणिपुर विधान सभा एवं अन्य वाद (2020):** इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि **दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता संबंधी याचिकाओं पर अध्यक्ष द्वारा तीन महीने के भीतर निर्णय** लिया जाना चाहिए।
    - सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राजनीतिक निष्ठाओं के तहत विधान सभा अध्यक्षों की ओर से किए जाने वाले पक्षपातपूर्ण व्यवहार के मुद्दे पर भी गौर किया। साथ ही, दसवीं अनुसूची के तहत मामलों का फैसला करने के लिए एक **स्थायी अधिकरण** का भी **सुझाव** दिया।

दल-बदल क्या है?

- इसे **52वें संशोधन अधिनियम, 1985** के माध्यम से **10वीं अनुसूची** में शामिल किया गया था।
    - दल-बदल से उत्पन्न होने वाली अयोग्यता के संबंध में किसी भी प्रश्न का **निर्णय सदन का पीठासीन अधिकारी** करता है।
- **अयोग्यता के आधार: निम्नलिखित आधार पर सदस्यता समाप्त हो जाती है-**
    - यदि कोई सदस्य
        - **स्वेच्छा से अपने दल की सदस्यता छोड़ देता है।**
        - सदन में अपने राजनीतिक दल द्वारा जारी किसी **निर्देश के विपरीत** और दल की पूर्व **अनुमति प्राप्त किए बिना** मतदान करता है या **मतदान से अनुपस्थित** रहता है और इस तरह के कृत्य को उस दल द्वारा **15 दिनों के भीतर माफ** नहीं किया जाता है।
    - यदि कोई **निर्दलीय सदस्य** चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो वह अयोग्य हो जाता है।
    - कोई **मनोनीत सदस्य** यदि सीट ग्रहण करने की तारीख से 6 महीने की समाप्ति के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, तो वह अयोग्य घोषित हो जाता है।
- **दल-बदल कानून के अपवाद:** दल-बदल कानून किसी राजनीतिक दल को **किसी अन्य दल में** या **उसके साथ विलय** करने की अनुमति देता है बशर्ते कि उसके कम से कम **दो-तिहाई विधायक विलय के पक्ष में** हों।
    - यदि कोई व्यक्ति **लोक सभा अध्यक्ष या राज्य सभा के सभापति** के रूप में चुना जाता है, तो वह अपने दल से इस्तीफा दे सकता है। पद छोड़ने के बाद वह फिर से उस दल में शामिल हो सकता है।
- वर्तमान में, पीठासीन अधिकारियों के लिए दल-बदल विरोधी मामले पर निर्णय लेने की **समय-सीमा निर्धारित करने वाला कोई कानून मौजूद नहीं** है।

व्हिप (Whip) के बारे में

- दल-बदल विरोधी कानून का **नियम 2,** दल के सदस्यों को दल के व्हिप और नीतियों का पालन करने के दायरे में रखता है।
- संसद की भाषा में **व्हिप का तात्पर्य है:**
    - **दल के सदस्यों** को एक निश्चित निर्देश का पालन करने के लिए जारी **लिखित आदेश,** और
    - इस तरह के निर्देश जारी करने के लिए **दल के अधिकृत सदस्य** को भी **व्हिप या सचेतक** कहा जाता है।
- भारत में व्हिप की अवधारणा **ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से विरासत** में मिली है। ब्रिटेन में विधि-निर्माताओं को व्हिप के माध्यम से दल के आदेशों का पालन करना होता है।

2.4. राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति (Ordinance making power of President and Governor)

सुर्ख़ियों में क्यों?

एक हालिया विश्लेषण से पता चला है कि **2019 के बाद से राष्ट्रपति द्वारा जारी किए जाने वाले अध्यादेशों की संख्या में गिरावट** आई है। **2022 में कोई अध्यादेश जारी नहीं** किया गया था। पिछले 59 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है।

© Vision IAS

राष्ट्रपति और राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति

- जब **केंद्र या राज्य सरकारें, विधायिका की स्वीकृति के बिना कोई कानून** बनाती हैं तो उसे "अध्यादेश" कहा जाता है। संसद या राज्य विधान-मंडल के दोनों सदनों में से किसी एक के सत्र (जहां केवल विधान सभा है, वहां केवल विधान सभा का सत्र) में नहीं होने पर "अध्यादेश" जारी किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, अध्यादेश एक अस्थायी प्रावधान है। यह तब जारी किया जा सकता है जब संसद सत्र में नही होती है।
    - अध्यादेश जारी करने का प्रावधान **भारतीय परिषद अधिनियम, 1861; भारत शासन अधिनियम, 1909 और भारत शासन अधिनियम, 1935** में भी था।

अध्यादेश के संदर्भ में महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय

आर. सी. कूपर बनाम भारत संघ वाद, 1970: इस वाद में शीर्ष अदालत ने कहा था कि राष्ट्रपति के फैसले को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि **'तत्काल कार्रवाई' की आवश्यकता नहीं है।** साथ ही, अगर अध्यादेश को मुख्य रूप से विधायिका में बहस और चर्चा से बचने के लिए पारित किया गया है, तो भी उसे चुनौती दी जा सकती है।

डी. सी. वाधवा बनाम बिहार राज्य वाद, 1987: इस वाद में न्यायालय ने कहा था कि अध्यादेश जारी करने के लिए कार्यपालिका की विधायी शक्ति का उपयोग **केवल असाधारण परिस्थितियों में ही** किया जाना चाहिए। इसका विधायिका की कानून बनाने की शक्ति के विकल्प के रूप में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य वाद, 1994: इस वाद में न्यायालय ने माना था कि अध्यादेश जारी करते समय अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति और अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल की संतुष्टि या शक्ति का दुरुपयोग **न्यायिक समीक्षा के अधीन** है।

- संविधान के **अनुच्छेद 123** और **अनुच्छेद 213 में अध्यादेश संबंधी उपबंध** किए गए हैं। अनुच्छेद 123 **राष्ट्रपति** को संसद के विश्रांति काल (जब दोनों सदनों के सत्र न चल रहे हों) के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 213 **राज्यपाल** को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।
    - अध्यादेशों की **शक्ति और प्रभाव विधायिका द्वारा पारित कानून के समान** ही होती है। हालांकि, ये कानून **अस्थायी प्रकृति** के होते हैं।
    - अध्यादेश **सदन के अगले सत्र के शुरू होने की तिथि से 6 सप्ताह तक ही वैध** रहता है।
    - यदि दोनों सदन अलग-अलग तिथियों पर अपने सत्र शुरू करते हैं, तो उन तिथियों में से बाद की तिथि को प्रभावी माना जाएगा।
    - यदि **राष्ट्रपति/ राज्यपाल इसे वापस ले लेता है या दोनों सदन इसे अस्वीकार करते हुए 'संकल्प (Resolutions)' पारित कर देते हैं तो अध्यादेश पहले भी समाप्त** हो सकता है।
    - राज्य विधायिका के मामले में, इसे **अस्वीकार करने वाला संकल्प विधान सभा द्वारा पारित** किया जाता है और **विधान परिषद (यदि है तो) द्वारा सहमति व्यक्त** की जाती है।
    - अध्यादेश केवल **उन्हीं मामलों पर जारी किए जा सकते हैं, जिन पर संसद या विधान-मंडल को कानून बनाने का अधिकार है।** साथ ही, इन अध्यादेशों की भी वहीं संवैधानिक सीमाएं होती हैं, जो संसद/ विधान-मंडल द्वारा बनाए गए कानूनों की होती हैं।
- **हालांकि, किसी राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित मामलों में राष्ट्रपति के निर्देश के बिना अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है:**
    - **यदि समान उपबंधों वाले विधेयक** को राज्य विधान-मंडल में प्रस्तुत करने के लिए **राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक** हो।
    - यदि राज्यपाल **समान उपबंधों वाले विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित** रखना आवश्यक समझे।
    - यदि **समान उपबंधों वाला राज्य विधान-मंडल का कोई अधिनियम राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त किए बिना अमान्य** हो गया है।

2.5. संसद का सचिवालय (Secretariat of the Parliament)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय संसद के गठन के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस दौरान संसदीय सचिवालय दोनों सदनों (राज्य सभा और लोक सभा) की प्रक्रियाओं, परंपराओं और विधायी ज्ञान का संरक्षक रहा है।

संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 98:** संसद के प्रत्येक सदन का **अलग सचिवालयी स्टाफ** होगा।
    - **संसद, कानून द्वारा** संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालयी कर्मचारियों की भर्ती और नियुक्ति तथा उनकी सेवा की शर्तों को विनियमित कर सकती है।
        - हालांकि, अभी तक ऐसा कोई कानून पारित नहीं किया गया है।
    - यह अनुच्छेद संसद के **दोनों सदनों के लिए सम्मिलित पदों के सृजन** की भी अनुमति देता है।
- **अनुच्छेद 187:** इस अनुच्छेद के तहत राज्य विधान मंडलों के सचिवालय के लिए अनुच्छेद 98 के समान ही प्रावधान किए गए हैं।
- **राज्य सभा और लोक सभा 1952** में अस्तित्व में आई थीं।
    - हालांकि, **लोक सभा के सचिवालय को 'संसदीय सचिवालय'** ही कहा जाता रहा है। इसके विपरीत, राज्य सभा के लिए **'राज्य परिषद सचिवालय'** नामक एक नए सचिवालय का निर्माण किया गया था।

    - **वर्ष 1954 में दोनों सचिवालयों के नाम बदलकर** क्रमशः **राज्य सभा सचिवालय** और **लोक सभा सचिवालय** कर दिया गया था।
- दोनों सदनों के सचिवालयों को **कार्यात्मक आधार पर 10 सेवाओं में वर्गीकृत** किया गया है। इन 10 सेवाओं में **विधायी, कार्यकारी और प्रशासनिक सेवाएं, शब्दशः (Verbatim) रिपोर्टिंग सेवाएं** आदि शामिल हैं।
- **लोक सभा अध्यक्ष और राज्य सभा सभापति** अपने-अपने सचिवालयों में **नए पद सृजित** कर सकते हैं। हालांकि, श्रेणी **I** या श्रेणी **II** के पदों के लिए **केंद्रीय वित्त मंत्रालय के साथ पूर्व-परामर्श** करना अनिवार्य है।
- **दोनों सदनों के महासचिव** का पद भारत सरकार के **कैबिनेट सचिव के समकक्ष** है।
    - हालांकि, **वरीयता सूची** में **कैबिनेट सचिव** को **11वें** स्थान पर रखा गया है, जबकि लोक सभा/ राज्य सभा के महासचिवों को 23वें स्थान पर रखा गया है।

सचिवालयों की संरचना	
लोक सभा सचिवालय	**राज्य सभा सचिवालय**
• **लोक सभा अध्यक्ष:** लोक सभा सचिवालय **लोक सभा अध्यक्ष** के मार्गदर्शन और नियंत्रण में कार्य करता है। • **प्रशासनिक प्रमुख:** लोक सभा महासचिव। • **भर्ती और सेवा की शर्तें:** ये **लोक सभा सचिवालय (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1955** द्वारा शासित होती हैं। इन नियमों को **राष्ट्रपति** ने लोक सभा अध्यक्ष के परामर्श से प्रख्यापित (Promulgated) किया था।	• **राज्य सभा सभापति:** राज्य सभा सचिवालय सभापति के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। • **प्रशासनिक प्रमुख:** महासचिव। • **भर्ती और सेवा की शर्तें:** ये **राज्य सभा सचिवालय (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1957** द्वारा शासित होती हैं। इन नियमों को **राष्ट्रपति** ने राज्य सभा सभापति के परामर्श से प्रख्यापित (Promulgated) किया था।

2.6. भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण (Democratic Decentralisation in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वर्ष 2023 में **भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों के 30 वर्ष पूरे** हो गए। 73वें और 74वें संशोधन के परिणामस्वरूप ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की स्थापना हुई थी।

© Vision IAS

भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण

- भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय **केंद्र/राज्य सरकारों से स्थानीय सरकारों, जैसे- पंचायत और नगरपालिका को शक्ति, संसाधनों तथा निर्णय-निर्माण के अधिकार के हस्तांतरण** से है।
- **संसद ने 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों को 1992 में पारित** किया था। इन्हें 1993 में लागू किया गया था। ये अत्यंत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन थे, जिन्होंने **भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत की थी।**

73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों के बारे में	
73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992	**74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992**
• संसद में अधिनियम के माध्यम से **पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।** • **भारत के संविधान में एक नया भाग, भाग-IX को जोड़ा गया।** साथ ही, इस भाग में **अनुच्छेद 243 से लेकर 243(O)** तक प्रावधान शामिल हैं। • **संविधान में एक नई सूची 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया।** इस सूची में पंचायतों के लिए **29 कार्यात्मक विषय शामिल हैं।**	• **शहरी स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।** • **संविधान में भाग IX-A को जोड़ा गया।** इसमें **अनुच्छेद 243-P से लेकर 243-ZG तक** प्रावधान शामिल हैं। • **संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया।** इस सूची में **नगर पालिकाओं के लिए 18 कार्यात्मक विषय शामिल हैं।**

भारत में पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदम

- **राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA):** इसे स्थानीय विकास की जरूरतों के प्रति PRIs को अधिक उत्तरदायी बनाने तथा उनकी क्षमताओं को विकसित और मजबूत करने हेतु शुरू किया गया है।
- **ई-ग्राम स्वराज:** यह उपयोगकर्ता के अनुकूल एक **वेब-आधारित पोर्टल** है। इसके जरिए ग्राम पंचायतों की योजना, लेखा-जोखा और निगरानी कार्यों को एकीकृत किया गया है।
- **सबकी योजना सबका विकास - जन योजना अभियान (People's Plan Campaign: PPC):** इसे देश भर में ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (GPDPs) को तैयार करने के लिए शुरू किया गया है।
- **पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (Backward Regions Grants Fund: BRGF):** इसके तहत, कुछ चिन्हित पिछड़े जिलों में **स्थानीय स्तर पर बुनियादी ढांचे और अन्य विकास आवश्यकताओं में विद्यमान कमियों को दूर करने के लिए फंड** दिए जाते हैं।

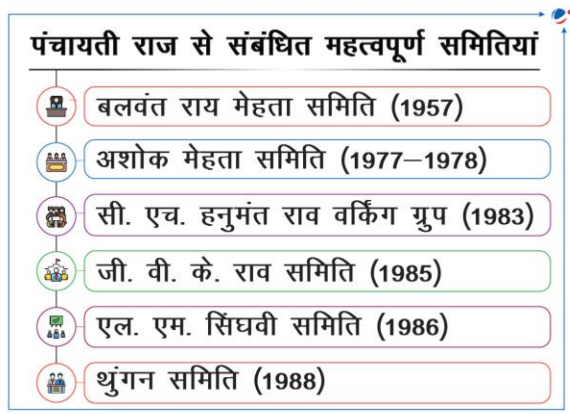

- **राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान:** यह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। यह संस्थान ग्रामीण विकास से जुड़े अधिकारियों, PRIs के निर्वाचित प्रतिनिधियों, बैंकरों, गैर-सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों की **क्षमता निर्माण** का काम करता है।
- **राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार:** इसके तहत अलग-अलग मानदंडों और संकेतकों के आधार पर **सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों का चयन कर उन्हें अवार्ड** दिया जाता है।
- **स्वामित्व (SWAMITVA) योजना:** इसका उद्देश्य गांव में अपने **घरों के मालिकों को संपत्ति कार्ड जारी कर उन्हें "रिकॉर्ड ऑफ़ राइट्स (संपत्ति अधिकार अभिलेख)'** प्रदान करना है।

2.6.1. पंचायती राज संस्थानों की वित्तीय स्थिति {Finances of Panchayati Raj Institutions (PRIs)}

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने **"पंचायती राज संस्थानों की वित्तीय स्थिति"** शीर्षक से अपनी रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में **2020-21 से 2022-23** के लिए PRIs की वित्तीय स्थिति पर चर्चा की गई है।

पंचायतों के वित्तीय सशक्तीकरण हेतु संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 243H:** राज्य का विधान-मंडल कानून पारित करके राज्य की संचित निधि से पंचायतों के लिए सहायता अनुदान का प्रावधान कर सकता है।
    - यह पंचायतों को **कर, शुल्क, पथकर और फीस लगाने, एकत्र करने एवं आवंटित करने का अधिकार** देता है।
- **अनुच्छेद 243-I:** पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए सिफारिशें करने हेतु **हर 5 साल में एक राज्य वित्त आयोग** का गठन किया जाएगा।
- **अनुच्छेद 280(3)(bb): केंद्रीय वित्त आयोग का कर्तव्य** है कि वह राज्य में पंचायतों के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने हेतु **आवश्यक उपायों के बारे में राष्ट्रपति से सिफारिश करे।**

PRIs के लिए वित्त के स्रोत	
राजस्व के आंतरिक/ स्वयं के स्रोत	• **कर राजस्व:** भूमि (कृषि भूमि के अलावा) या भवन अथवा दोनों पर सम्पत्ति कर, निजी शौचालयों पर कर, प्रकाश कर, पंचायत क्षेत्र में व्यवसाय या वृत्ति करने वाले व्यक्तियों पर कर। • **गैर कर राजस्व:** पंचायत क्षेत्र में विक्रय के लिए **बाहर से माल मंगाने वाले व्यक्तियों पर बाजार कर**, पंचायत क्षेत्र में पशुओं के विक्रय के पंजीयन पर शुल्क।
केंद्रीय वित्त आयोग (CFC) और राज्य वित्त आयोग (SFC) से धन का अंतरण	• **शर्तों के तहत दिया गया अनुदान:** स्वच्छता, शिक्षा आदि जैसे विशिष्ट उद्देश्यों या क्षेत्रों के लिए निर्धारित। • **गैर-शर्त अनुदान (सामान्य प्रयोजन अनुदान):** ये **अनुदान विशिष्ट शर्तों या प्रतिबंधों** के बिना दिए जाते हैं। इनका उपयोग **स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं** के लिए किया जा सकता है। • **प्रदर्शन-आधारित अनुदान: केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों और विशिष्ट प्रदर्शन मानदंडों के आधार पर PRIs को अतिरिक्त धनराशि** दी जाती है। • **विशेष श्रेणी अनुदान:** ये अनुदान अतिरिक्त वित्तीय सहायता के तौर पर दिए जाते हैं। यह विशिष्ट क्षेत्रों या संदर्भों में PRIs की अनूठी चुनौतियों या विशेष जरूरतों का समाधान करने के लिए दी जाती है।
अन्य स्रोत	• मनरेगा, **प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण)**, सांसद आदर्श ग्राम योजना आदि जैसी विभिन्न योजनाओं के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार से अंतरित निधि। • विश्व बैंक आदि जैसे **अंतर्राष्ट्रीय निकायों से दिए जाने वाले अनुदान।**

2.6.2. शहरी स्थानीय निकायों का क्षमता निर्माण {Capacity Building of Urban Local Bodies (ULBs)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, क्षमता निर्माण आयोग (CBC)[8] ने आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) के सहयोग से शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के क्षमता निर्माण पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। इसका उद्देश्य पूरे भारत में **ULBs की क्षमता विकास के लिए एकीकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा देना** है।

[8] Capacity Building Commission

© Vision IAS

अन्य संबंधित तथ्य

- इस कार्यशाला में **तीन मुख्य पहलों के शुरुआत की घोषणा** की गई। ये पहलें हैं:
    - **MoHUA की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए वार्षिक क्षमता निर्माण योजना (ACBP)**[9]।
    - **6 ULBs के लिए पायलट आधार पर वार्षिक क्षमता निर्माण योजना (ACBP)। ये ULBs हैं-** अहमदाबाद, भुवनेश्वर, मैसूर, राजकोट, नागपुर और पुणे।
    - **ULBs के लिए क्षमता निर्माण योजना तैयार करने हेतु व्यापक टूलकिट:** इसका उद्देश्य ULBs की संवृद्धि और विकास में मदद करने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना है।

क्षमता निर्माण आयोग (Capacity Building Commission: CBC)

उत्पत्तिः इसका गठन 2021 में भारत के राजपत्र में प्रकाशित एक अधिसूचना के जरिए किया गया।

CBC के बारे में: इसे एक स्वतंत्र निकाय के तौर पर गठित किया गया है। आयोग को **पूरी तरह से कार्यकारी और वित्तीय स्वायत्तता** प्राप्त है।

- यह **राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम (NPCSCB) - मिशन कर्मयोगी** का प्रमुख घटक है।
- **कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT)** द्वारा आयोग की सहायता की जाती है।

उद्देश्यः सहयोगात्मक और साझा नज़रिया अपनाते हुए **विश्वसनीय एवं समान दृष्टिकोण वाले क्षमता निर्माण को आकार देना।**

संरचनाः अध्यक्ष और दो सदस्य, जिन्हें एक सचिव (भारत सरकार के संयुक्त सचिव ग्रेड का एक अधिकारी) की अध्यक्षता वाले आंतरिक सचिवालय द्वारा प्रदान की जाती है।

कार्य और जिम्मेदारियांः

- **सरकारी विभागों, संगठनों और एजेंसियों के साथ उचित समन्वय स्थापित करना,** ताकि क्षमता में सुधार और साझा संसाधनों के निर्माण के लिए एक सामंजस्यपूर्ण व एकीकृत दृष्टिकोण विकसित हो सके।
- लक्ष्य की प्राप्ति के साथ-साथ **सिविल सेवाओं की स्थिति पर हर साल मानव संसाधन रिपोर्ट** तैयार करना।
- सरकारी सेवा में कार्यरत **मानव संसाधनों का ऑडिट करना।**

शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के बारे में

- ULBs **लघु आकार वाले स्थानीय निकाय** होते हैं। ये एक निश्चित या परिभाषित आबादी वाले **शहर या कस्बे को प्रशासित या प्रबंधित** करते हैं।
    - **शहरी शासन (स्थानीय सरकार) संविधान में राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या 5** का विषय है। राज्य सूची का विषय होने के कारण **ULBs का प्रशासनिक ढांचा और कानून अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है।**
- **74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992** के तहत **शहरी स्थानीय सरकारों** को औपचारिक रूप से **सरकार के तीसरे स्तर के रूप में मान्यता दी गई।**
    - 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में **तीन प्रकार के ULBs के गठन** का प्रावधान है:
        - **नगर पंचायत (Nagar panchayats):** 'ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे क्षेत्र' के लिए,
        - **नगरपालिका परिषद (Municipal councils):** 'छोटे शहरी क्षेत्रों' के लिए, और
        - **नगर निगम (Municipal corporations):** 'बड़े शहरी क्षेत्रों' के लिए।

ULBs के क्षमता निर्माण हेतु किए गए उपाय

- **राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन:** MoHUA ने 2021 में इस मिशन की शुरुआत की थी। यह भारत के **शहरी स्थानीय निकायों** में नागरिक-केंद्रित **डिजिटल क्रांति** लाने पर आधारित है। इसका उद्देश्य देश में डिजिटल गवर्नेंस के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने हेतु एक **साझा डिजिटल अवसंरचना** तैयार करना है। यह रूपरेखा **तीन स्तंभों या 3Ps, यथा- 'व्यक्ति (People), प्रक्रियाएं (Processes) और प्लेटफार्म'** को ध्यान में रखती है।
    - इस मिशन को संचालित करने का कार्य **नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (NIUA)** को सौंपा गया है।

[9] Annual Capacity Building Plan

- NIUA की स्थापना 1976 में हुई थी। यह शहरी विकास एवं प्रबंधन हेतु **अनुसंधान, प्रशिक्षण और सूचना प्रसार** के लिए कार्यरत एक प्रमुख संस्थान है।
- **म्युनिसिपल बॉण्ड्स (Municipal Bonds):** ये **भारत में नगर निगमों और अन्य संबद्ध निकायों द्वारा धन जुटाने के लिए जारी किए जाने वाले वित्तीय लिखत (इंस्ट्रूमेंट्स)** होते हैं।

2.7. पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 {Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, झारखंड सरकार ने **पेसा (PESA) अधिनियम से जुड़े के नियमों** के ड्राफ्ट को सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है।

पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम या पेसा (PESA) अधिनियम, 1996 के बारे में

- **पेसा अधिनियम को वर्ष 1996** में अधिनियमित किया गया था। यह **दिलीप सिंह भूरिया समिति** की सिफारिशों पर आधारित था। इसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों का सशक्तीकरण करना और उन्हें मुख्यधारा में लाना था।
- यह **पंचायतों** से संबंधित संविधान के **भाग IX के प्रावधानों** का कुछ संशोधनों और अपवादों के साथ **अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत पांचवीं अनुसूची में आने वाले 10 राज्यों के क्षेत्रों** तक विस्तार करता है।
    - पेसा **राज्य विधान सभाओं** को इस संबंध में **कानून बनाने का अधिकार** देता है।
- वर्तमान में **10 राज्यों (आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना)** में पांचवीं अनुसूची वाले क्षेत्र मौजूद हैं।
    - इन 10 राज्यों में से **8 राज्यों (झारखंड और ओडिशा को छोड़कर)** ने अपने राज्य से संबंधित पंचायती राज अधिनियमों के तहत अपने राज्य पेसा नियमों को तैयार व अधिसूचित किया है।

पेसा (PESA) के अंतर्गत ग्राम सभा की मुख्य शक्तियां

- भूमि अधिग्रहण के मामलों में **अनिवार्य परामर्श** की शक्ति, अनुसूचित क्षेत्रों में दूसरे लोगों द्वारा भूमि की खरीद को रोकने और बेची गई या हस्तांतरित भूमि पर फिर से कब्जा दिलाने की शक्ति।
- सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत तथा स्थानीय योजनाओं से संबंधित **संस्थाओं एवं कार्मिकों पर नियंत्रण** की शक्ति।
- लघु जल निकायों के **प्रबंधन** और गौण वन उपज के स्वामित्व की शक्ति।
- शराब की बिक्री/खपत को **विनियमित और प्रतिबंधित** करने, ग्रामीण बाजारों के प्रबंधन एवं अनुसूचित जनजातियों को दिए जाने वाले ऋण को नियंत्रित करने की शक्ति।
- विकास परियोजनाओं के कारण प्रभावित लोगों के **पुनर्वास और पुनर्बहाली** तथा गौण खनिजों हेतु पूर्वेक्षण लाइसेंस/ खनन पट्टे की पूर्व मंजूरी की शक्ति।

- **पंचायती राज मंत्रालय** पेसा अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु **नोडल मंत्रालय** है।
- पेसा अधिनियम को **"संविधान के भीतर संविधान"** कहा जाता है।

पेसा (PESA) अधिनियम, 1996 की अन्य विशेषताएं

परंपरागत कानून के अनुरूप	• पंचायतों के संबंध में राज्यों द्वारा बनाए गए कानून, **परंपरागत कानून, सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं एवं समुदाय के संसाधनों की परंपरागत प्रबंधन पद्धतियों** के अनुरूप होंगे।
ग्राम सभा	• प्रत्येक ग्राम की **एक ग्राम सभा** होगी। यह ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगी जिनके नाम ग्राम स्तर पर **पंचायत के लिए निर्वाचक नामावलियों** में शामिल हैं।
ग्राम सभा की भूमिका एवं जिम्मेदारी	• **ग्राम सभा** गांव में **सभी विकास कार्यों को मंजूरी देने, लाभार्थियों की पहचान करने** तथा धन के उपयोग संबंधी प्रमाण-पत्र जारी करती है। ग्राम सभा के पास सभी सामाजिक क्षेत्रकों और स्थानीय योजनाओं से संबंधित संस्थानों एवं पदाधिकारियों को नियंत्रित करने की शक्ति है।

© Vision IAS

	• प्रत्येक ग्राम सभा लोगों की **परंपराओं और रूढ़ियों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, समुदाय के संसाधनों तथा विवाद निपटाने के रुढ़िजन्य ढंग का संरक्षण और परिरक्षण** करने के लिए सक्षम होगी।
आरक्षण	• प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जनजातियों के लिए समुदाय की आबादी के अनुपात में **(न्यूनतम 50%) सीटों का आरक्षण** होगा, जो सभी स्तरों पर **पंचायतों के अध्यक्ष** के साथ उपबंधित होगा।

पांचवी और छठी अनुसूची

आधार	पांचवीं अनुसूची	छठी अनुसूची
संवैधानिक प्रावधान	**अनुच्छेद 244(1):** पांचवी अनुसूची के प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़ किसी भी राज्य के अनुसूचित जाति एवं **अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण** के लिए लागू होंगे।	**अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1)** में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रावधान है।
परिषद का गठन	राज्य विधान–मंडल के अधिनियम द्वारा	संविधान द्वारा उपबंधित स्वशासी जिला परिषद (Autonomous District Council: ADC)
स्वायत्तता	➤ **पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम), 1996:** 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए **ग्राम सभा के माध्यम से स्व–शासन।** ➤ 5वीं अनुसूची के तहत **जनजातीय सलाहकार परिषद** के पास **केवल सलाहकारी प्राधिकार** है।	➤ 5वीं अनुसूची की तुलना में अधिक स्वायत्तता प्राप्त है। ➤ ADCs को **जनजातीय सलाहकार परिषद की तुलना में अधिक शक्तियां** प्राप्त हैं।

2.8. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News)

राज्य सभा के उप-सभापतियों का पैनल	• राज्य सभा के सभापति ने राज्य सभा में **उप-सभापतियों के एक पैनल का गठन** किया है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें सभी सदस्य महिलाएं हैं। • राज्य सभा के नियमों के तहत, **सभापति राज्य सभा सांसदों में से उप-सभापतियों के पैनल के सदस्यों को नामित** करता है। • सभापति या उप-सभापति की अनुपस्थिति में नामित **उप-सभापतियों में से कोई एक सदन की अध्यक्षता** करता है। ○ हालांकि, सभापति/उप-सभापति का **पद रिक्त होने की स्थिति में वे सदन की अध्यक्षता नहीं** कर सकते हैं। ○ ऐसी स्थिति में, **राष्ट्रपति** सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए राज्य सभा के किसी **एक सदस्य को नियुक्त** करता है। • सदन की अध्यक्षता करते समय उसके पास **सभापति के समान शक्तियां** होती हैं और **उप-सभापतियों का एक नया पैनल नामित होने तक वह पीठासीन** रहता है।

संसद सत्र (Parliament Sessions)	• भारत के **संविधान में "विशेष सत्र" शब्दावली का उल्लेख नहीं** किया गया है। ○ यह शब्दावली कभी-कभी उन सत्रों के लिए उपयोग की जाती है, जिन्हें **सरकार विशेष अवसरों के लिए आहूत करती है।** • संविधान के **अनुच्छेद 85 में एक वर्ष में कम-से-कम दो बार संसद की बैठक का प्रावधान** किया गया है। हालांकि, इन दो सत्रों के बीच **छह माह से अधिक का अंतराल नहीं** होना चाहिए। ○ परंपरा के अनुसार, संसद के एक वर्ष में **तीन सत्र** होते हैं। ○ हालांकि, उपर्युक्त प्रावधान **संसद को अधिक सत्र आहूत (बुलाने) करने से नहीं रोकता है।** इन्हीं अतिरिक्त सत्रों को **'विशेष सत्र'** कहा जाता है। • **संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति** संसद के सत्रों की तारीख और अवधि निर्धारित करती है। ○ इसके बाद **राष्ट्रपति सत्र के लिए सांसदों को आमंत्रित** करता है।
राष्ट्रपति के लिए उन्मुक्ति (Immunity for President)	• सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि **सरकार केवल राष्ट्रपति के नाम पर अनुबंध होने के कारण कानूनी प्रावधानों से छूट का दावा नहीं** कर सकती है। • कोर्ट ने कहा कि **संविधान का अनुच्छेद 299 सरकार को वैधानिक कानून के उल्लंघन की शक्ति नहीं** देता है। संविधान का यह **अनुच्छेद राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम पर संघ या राज्य द्वारा किए गए अनुबंध** से संबंधित है। • भारतीय संविधान का **अनुच्छेद 361 देश के राष्ट्रपति और राज्यपाल को उन्मुक्ति या सुरक्षा** प्रदान करता है। ○ राष्ट्रपति और राज्यपाल को पद पर रहते हुए किए गए कार्यों एवं कर्तव्यों के लिए अदालती जांच से छूट प्राप्त है। ○ राष्ट्रपति के आचरण की समीक्षा तभी की जा सकती है, जब संसद का कोई भी सदन **अनुच्छेद 61** के तहत राष्ट्रपति पर आरोपों की जांच के लिए अदालत या अधिकरण या किसी अन्य निकाय को नामित करता है।
नियम 176 और नियम 267	• **राज्य सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के अनुसार:** ○ **नियम 267:** राज्य सभा सदस्य को सभापति की मंजूरी से सदन के पूर्व-निर्धारित एजेंडे को निलंबित करने की विशेष शक्ति प्रदान करता है। ○ **नियम 176:** किसी विशेष मुद्दे पर अल्पकालिक चर्चा की अनुमति देता है, जो ढाई घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए।
स्थगन प्रस्ताव (Adjournment motion)	• स्थगन प्रस्ताव को **केवल लोक सभा में अविलंबनीय लोक महत्त्व के किसी निश्चित मामले पर** सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रस्ताव को **सदन के अध्यक्ष की सहमति** से ही पेश किया जा सकता है। • इसे स्वीकार करने के लिए **50 सदस्यों के समर्थन** की आवश्यकता होती है। • इसमें **सरकार के खिलाफ निंदा का तत्व** शामिल होता है और इसलिए **राज्य सभा को इस साधन का उपयोग करने की अनुमति नहीं** है। • किसी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कम-से-कम **दो घंटे तीस मिनट** तक चलनी चाहिए।
अधीनस्थ विधान या प्रत्यायोजित विधान	• राज्य सभा की अधीनस्थ विधान संबंधी समिति ने **'मंत्रालयों द्वारा विभिन्न अधिनियमों के तहत नियम बनाने में देरी'** शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। • **विधायिका के अधीनस्थ प्राधिकरण** द्वारा बनाए गए कानून को अधीनस्थ विधान (Subordinate legislation) कहते हैं।

	○ अधिकांश अधिनियम नियम, विनियम, उप-नियम आदि बनाने की शक्तियां अधीनस्थ प्राधिकारियों को सौंपते हैं, जैसे- कार्यपालिका। • **अधीनस्थ विधान या कानून की आवश्यकता क्यों?** ○ **विधायिका के पास कानून बनाने के अलावा उससे जुड़े नियमों और विनियमों को बनाने के लिए बहुत अधिक समय नहीं** होता है। ऐसे में अधीनस्थ विधान के निर्माण में **अधीनस्थ प्राधिकरणों** की भूमिका एक व्यावहारिक जरूरत बन जाती है। ○ **विशेषज्ञ और टेक्नोक्रेट कानून के ढांचे में रहते हुए अधीनस्थ विधान की मदद से** जानकारी प्रदान करते हैं। यह **विशेष रूप से कानून के नए उभरते क्षेत्रों,** जैसे- डेटा सुरक्षा आदि के संबंध में मददगार होता है। • **राज्य सभा की अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के बारे में** ○ इसका गठन '**राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियम**' के **रूल 204** के तहत किया जाता है। ○ **सौंपे गए कार्य:** इसका मुख्य कार्य **यह समीक्षा करना और राज्य सभा को सूचित** करना है कि क्या **नियम, विनियम, उप-विधि, योजनाएं आदि बनाने की शक्तियों का उपयोग उचित रूप से किया गया है अथवा नहीं।**
संसद की सुरक्षा में सेंध	• हाल ही में **संसद की सुरक्षा में सेंध लगाई गई थी**, जहां आरोपी विजिटर पास पर लोकसभा में घुस गए। वहां पर उन्होंने नारेबाजी करते हुए पीला धुआं छोड़ने वाली गैस के कैन फेंके। • **प्रतिबंधित पहुंच:** ○ लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियम "**गैर-सदस्यों के प्रवेश, वापसी व निष्कासन**" का प्रावधान करते हैं। ▪ इसमें उपबंध किया गया है कि लोक सभा अध्यक्ष, जब भी उचित समझे, **सदन के किसी भी हिस्से से गैर-सदस्यों को सदन से निष्कासित करने का आदेश** दे सकता है। ○ संसद में आने वाले आगंतुकों को **सांसदों से सुरक्षा मंजूरी की जरूरत** होती है।
सरपंच पति	• **संसदीय स्थायी समिति ने कहा है कि निर्वाचित महिलाओं को प्रशिक्षित करके या सशक्त करके 'सरपंच पति या 'प्रधान पति' वाली व्यवस्था समाप्त की जानी चाहिए** ○ यह व्यवस्था उस प्रथा को संदर्भित करती है, जिसमें निर्वाचित महिलाओं के पति उनके लिए प्रॉक्सी के रूप में कार्य करते हैं और वास्तविक राजनीतिक निर्णय लेने की शक्तियों का उपयोग करते हैं। • **पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) में महिला आरक्षण:** ○ **73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत प्रावधान:** पंचायती राज संस्थाओं में कुल सीटों का **एक तिहाई और पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तरों पर अध्यक्ष के एक तिहाई पद (संविधान के भाग IX के तहत) महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। (अनुच्छेद 243D)** ○ कई राज्यों जैसे बिहार, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान आदि ने **सदस्यों और सरपंचों के स्तर पर महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का कानूनी प्रावधान** किया है। ○ **भारत में महिला और पुरुष रिपोर्ट, 2022** के अनुसार, 31.8 लाख से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधियों में से लगभग 46 प्रतिशत (14.5 लाख से अधिक) महिलाएं थीं।

शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण {Quota to Backward Classes (A) in Urban Local Bodies (ULBs)}	• हरियाणा मंत्रिमंडल ने **राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार** कर लिया है। यह रिपोर्ट **शहरी स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग ब्लॉक-ए श्रेणी के लिए आरक्षण के अनुपात** का उल्लेख करती है।
	• **संविधान के अनुच्छेद 243T(6)** के अनुसार, 'राज्य विधान-मंडलों पर नागरिकों के पिछड़े वर्ग के पक्ष में किसी भी नगरपालिका में सीटों के आरक्षण या नगरपालिकाओं में अध्यक्ष पद के आरक्षण के लिए प्रावधान करने से कोई रोक नहीं होगी'।
	• **के. कृष्णमूर्ति बनाम भारत संघ वाद (2010)** तथा **गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य वाद (2021)** में सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण को अंतिम रूप देने के लिए ट्रिपल टेस्ट को रेखांकित किया था। इसमें शामिल हैं:
	  ○ स्थानीय निकायों में पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थों की कठोर अनुभवजन्य जांच करने के लिए **एक समर्पित आयोग का गठन करना;**
	  ○ आयोग के प्रस्तावों के आलोक में **स्थानीय निकायों में आवश्यक आरक्षण के अनुपात को निर्दिष्ट करना; तथा**
	  ○ यह सुनिश्चित करना कि **अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/ अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण कुल सीटों के 50 प्रतिशत से अधिक न हो।**

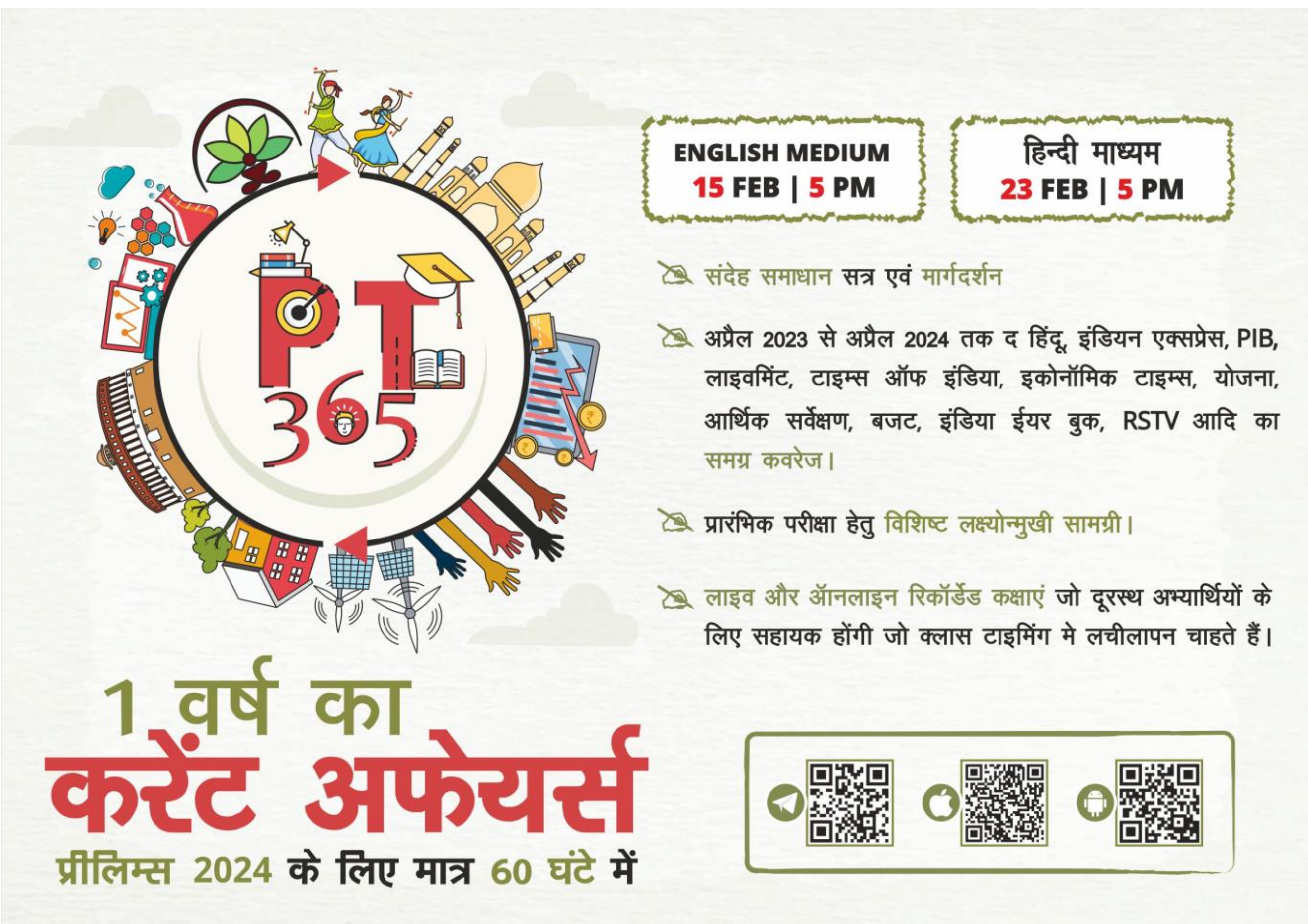

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

UPSC प्रीलिम्स की तैयारी की स्मार्ट और प्रभावी रणनीति

UPSC प्रीलिम्स सिविल सेवा परीक्षा का पहला और अत्यधिक प्रतिस्पर्धी चरण है। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के दो पेपर (सामान्य अध्ययन और CSAT) शामिल होते हैं, जो अभ्यर्थी के ज्ञान, उसकी समझ और योग्यता का परीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं।

यह चरण अभ्यर्थियों को व्यापक पाठ्यक्रम में महारत हासिल करने और बदलते पैटर्न के अनुरूप ढलने की चुनौती देता है। साथ ही, यह चरण टाइम मैनेजमेंट, इन्फॉर्मेशन को याद रखने और प्रीलिम्स की अप्रत्याशितता को समझने में भी महारत हासिल करने की चुनौती देता है।

इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने हेतु कड़ी मेहनत के साथ–साथ तैयारी के लिए एक समग्र और निरंतर बदलते दृष्टिकोण की भी आवश्यकता होती है।

तत्काल व्यक्तिगत मेंटरिंग के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

प्रीलिम्स की तैयारी के लिए मुख्य रणनीतियां

तैयारी की रणनीतिक योजना: पढ़ाई के दौरान सभी विषयों को बुद्धिमानी से समय दीजिए। यह सुनिश्चित कीजिए कि आपके पास रिवीजन और मॉक प्रैक्टिस के लिए पर्याप्त समय हो। अपने कमजोर विषयों पर ध्यान दीजिए।

अनुकूल रिसोर्सेज का उपयोग: ऐसी अध्ययन सामग्री चुनिए जो संपूर्ण और टू द पॉइंट हो। अभिभूत होने से बचने के लिए बहुत अधिक कंटेंट की जगह गुणवत्ता पर ध्यान दीजिए।

PYQ और मॉक टेस्ट का रणनीतिक उपयोग: परीक्षा के पैटर्न, महत्वपूर्ण विषयों और प्रश्नों के ट्रेंड्स को समझने के लिए विगत वर्ष के प्रश्न–पत्रों का उपयोग कीजिए। मॉक टेस्ट के साथ नियमित प्रैक्टिस और प्रगति का आकलन करने से तैयारी तथा टाइम मैनेजमेंट में सुधार होता है।

करेंट अफेयर्स की व्यवस्थित तरीके से तैयारी: न्यूज़पेपर और मैगजीन के जरिए करेंट अफेयर्स से अवगत रहिए। समझने और याद रखने में आसानी के लिए इस ज्ञान को स्टेटिक विषयों के साथ एकीकृत कीजिए।

स्मार्ट लर्निंग: रटने के बजाय अवधारणाओं को समझने पर ध्यान दीजिए, बेहतर तरीके से याद रखने के लिए निमोनिक्स, इन्फोग्राफिक्स और अन्य प्रभावी तरीकों का उपयोग कीजिए।

व्यक्तिगत मेंटरिंग: व्यक्तिगत रणनीतियों, कमजोर विषयों और मोटिवेशन के लिए मेंटर्स की मदद लीजिए। मेंटरशिप स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी मददगार होता है, ताकि आप मेंटल हेल्थ को बनाए रखते हुए परीक्षा पर ठीक से ध्यान केंद्रित कर सकें।

UPSC प्रीलिम्स की जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए, Vision IAS ने अपना बहुप्रतीक्षित "ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ और मेंटरिंग प्रोग्राम" शुरू किया है। इस प्रोग्राम में नवीनतम ट्रेंड्स के अनुरूप संपूर्ण UPSC सिलेबस को शामिल किया गया है।

UPSC प्रीलिम्स 2024: अगले 3.5 महीनों हेतु प्रभावी रणनीति" देखने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- UPSC सिलेबस का व्यापक कवरेज
- टेस्ट सीरीज का फ्लेक्सिबल शेड्यूल
- टेस्ट का लाइव ऑनलाइन/ ऑफ़लाइन डिस्कशन और पोस्ट–टेस्ट एनालिसिस
- प्रत्येक टेस्ट पेपर के लिए आंसर–की और व्यापक व्याख्या
- अभ्यर्थी के अनुरूप व्यक्तिगत मेंटरिंग
- ऑल इंडिया रैंकिंग के साथ इनोवेटिव अस्सेस्मेंट सिस्टम और परफॉरमेंस एनालिसिस
- क्विक रिविजन मॉड्यूल (QRM)

अंत में, एक स्मार्ट स्टडी प्लान, प्रैक्टिस, सही रिसोर्स और व्यक्तिगत मार्गदर्शन को मिलाकर बनाई गई रणनीतिक तथा व्यापक तैयारी ही UPSC प्रीलिम्स में सफलता की कुंजी है।

"ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ और मेंटरिंग प्रोग्राम" के लिए रजिस्टर करने और ब्रोशर डाउनलोड करने हेतु QR कोड को स्कैन कीजिए

3. केंद्र-राज्य संबंध (Centre-State Relations)

3.1. राज्यपाल की भूमिका (Role of Governor)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में **केरल, तमिलनाडु और पंजाब ने लंबित विधेयकों को लेकर अपने-अपने राज्यपालों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट** का रुख किया है।

राज्यपाल के पद के लिए संवैधानिक प्रावधान

- **विधेयकों के संबंध में विकल्प:** संविधान के **अनुच्छेद 200** के तहत किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए राज्यपाल से सहमति लेना अनिवार्य है। इस संबंध में राज्यपाल को कुछ विकल्प दिए गए हैं (तालिका देखें)।

राज्यपाल को प्राप्त विकल्प	विधेयक की स्थिति
विधेयक को सहमति देना	• विधेयक **कानून बन जाता** है।
विधेयक पर सहमति रोकना	• विधेयक **कानून नहीं बन** पाता है।
जितनी जल्दी हो सके विधेयक को पुनर्विचार हेतु विधायिका को लौटा देना	• यदि विधेयक को सदन या सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है और राज्यपाल के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्यपाल **अनुमति देने के लिए बाध्य** होता है। • संविधान ऐसी **कोई समय सीमा निर्धारित नहीं** करता है, जिसके भीतर राज्यपाल को विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस करना होता है। यह केवल **'जितनी जल्दी हो सके'** पर जोर देता है।
विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रखना	• कोई भी ऐसा विधेयक, जो राज्यपाल की राय में यदि कानून बन जाता है, तो हाई कोर्ट की शक्तियों को इतना कम कर देगा कि वह पोज़िशन, जिसकी पूर्ति के लिए वह कोर्ट इस संविधान द्वारा उपबंधित है संकट में आ जाएगा।

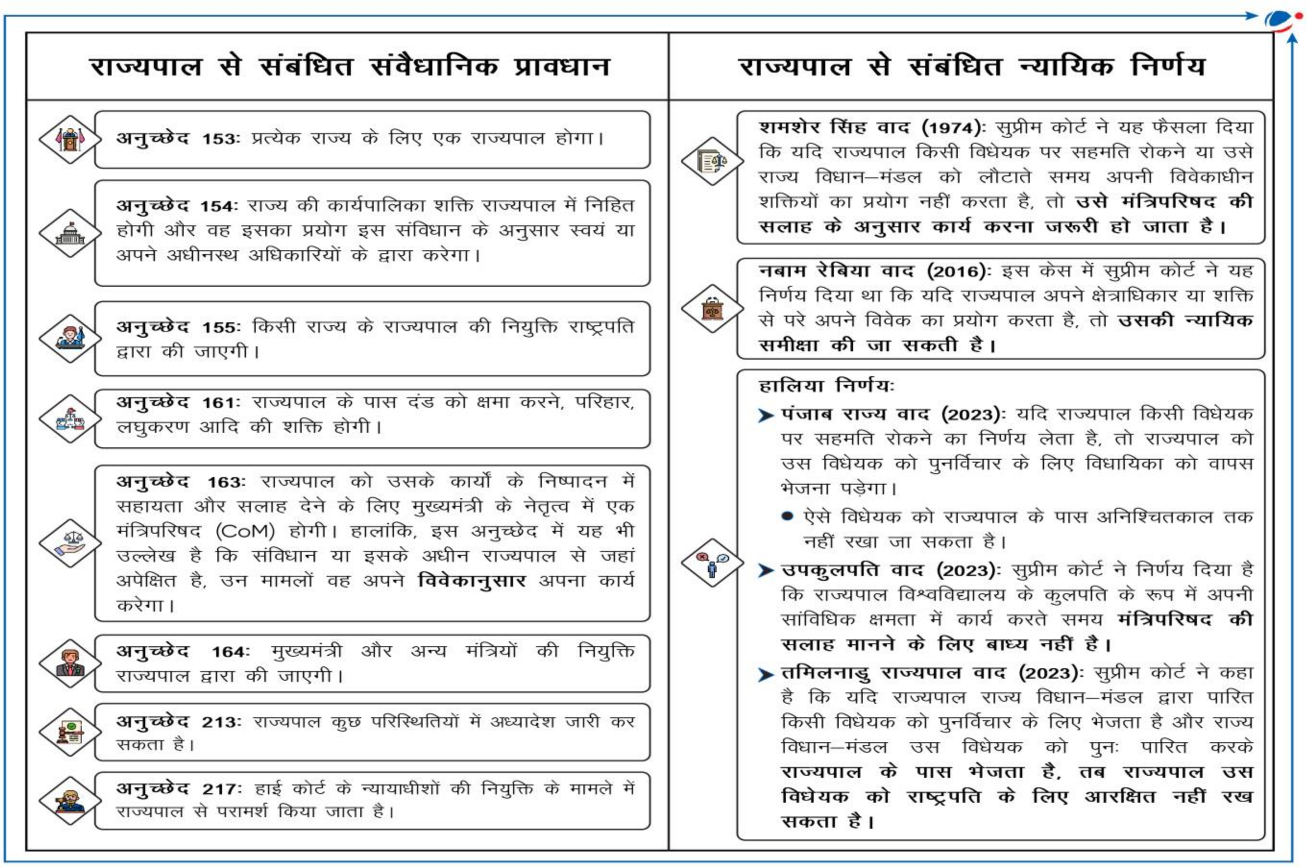

PT 365 - राजव्यवस्था और शासन

- **विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करना (अनुच्छेद 201): राष्ट्रपति या तो अपनी सहमति दे सकता है या सहमति रोक सकता है।**
    - राष्ट्रपति, राज्यपाल को अपने संदेश के साथ विधेयक को राज्य विधान-मंडल को **वापस लौटाने का निर्देश दे सकता है।** ऐसा विधेयक, यदि राज्य विधान-मंडल द्वारा संशोधन के साथ या बिना संशोधन के फिर से पारित किया जाता है, तो उसे **राष्ट्रपति के समक्ष फिर से प्रस्तुत** किया जाता है।

3.2. सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधान मंत्री ने भारत में सहकारी संघवाद के महत्त्व को रेखांकित किया है।

सहकारी संघवाद के बारे में

- सहकारी संघवाद **संघ और राज्यों के बीच क्षैतिज संबंध को प्रकट** करता है। साथ ही, यह दर्शाता है कि दोनों में से कोई भी एक-दूसरे से ऊपर नहीं है।
- सहकारी संघवाद में परिकल्पना की जाती है कि राष्ट्रीय और राज्य एजेंसियां **सरकारी कार्यों को संयुक्त रूप से पूर्ण करेंगी, न कि अलग-अलग।**

भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए उपबंधित संवैधानिक प्रावधान

- **7वीं अनुसूची-** यह **समनुषंगिता के सिद्धांत** (Principle of Subsidiarity) के आधार पर संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों का निर्धारण करती है।
- **अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाएं।**
- **एकीकृत न्याय प्रणाली-** यह राज्यों के साथ-साथ केंद्रीय कानूनों को भी लागू करने के लिए उत्तरदायी है।
- **अंतर-राज्य परिषद-** केंद्र और राज्यों के बीच साझा हित के विषय पर चर्चा एवं जांच करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत इसके गठन का प्रावधान किया गया है।
- **अनुच्छेद 261 के तहत उपबंधित पूर्ण विश्वास और पूर्ण मान्यता संबंधी खंड-** इसके तहत प्रावधान किया गया है कि संघ और प्रत्येक राज्य के सभी सार्वजनिक अधिनियमों, अभिलेखों एवं न्यायिक कार्यवाहियों को देश भर में पूर्ण विश्वास तथा मान्यता प्राप्त होगी।
- **क्षेत्रीय परिषदें-** इनकी स्थापना अलग-अलग क्षेत्रों के मध्य समन्वय सुनिश्चित करने के लिए की गई है। साथ ही, इन्हें **राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत सांविधिक निकायों** के रूप में स्थापित किया गया है।
- **वित्त आयोग-** संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की अनुशंसा करने के लिए **अनुच्छेद 280 के तहत इसकी स्थापना हेतु उपबंध किया गया है।**
- **अनुच्छेद 279A के तहत GST परिषद-** यह GST की दरों और इसके कार्यान्वयन के तौर-तरीकों को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है।

भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम

- **14वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद केंद्रीय कर राजस्व में राज्यों का हिस्सा 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया है।**
- **केंद्र प्रायोजित योजनाओं का पुनर्गठन किया गया है।**
- उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (UDAY) के तहत वित्तीय क्षेत्रक के बेलआउट संबंधी कार्यक्रम को कार्यान्वित किया गया है।
- **नीति/NITI (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) आयोग** भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। **नीति आयोग द्वारा विविध कदम उठाए गए हैं, जैसे:**
    - राष्ट्रीय महत्त्व के विषयों पर **मुख्यमंत्रियों के उपसमूह का गठन करना;**
    - पिछड़े जिलों के विकास के लिए **आकांक्षी जिला कार्यक्रम** की शुरुआत करना;
    - **भूमि पट्टे पर देने और कृषि विपणन सुधारों के लिए आदर्श कानून तैयार करना।**
    - उत्तर-पूर्वी राज्यों, हिमालयी राज्यों और द्वीपीय राज्यक्षेत्रों के विकास के लिए **क्षेत्र-विशिष्ट पहलें करना।**

 © Vision IAS

- शिक्षा और स्वास्थ्य में बदलाव शुरू करने हेतु **"मानव पूंजी परिवर्तन के लिए संधारणीय कार्रवाई" (SATH)[10] कार्यक्रम** का आरंभ किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत **भविष्य के तीन 'रोल मॉडल' राज्यों की पहचान करना और उनका निर्माण करना** भी शामिल है।

3.3. अंतर-राज्यीय सीमा विवाद (Inter-state Border Disputes)

सुर्ख़ियों में क्यों?

असम और अरुणाचल प्रदेश ने दशकों से चल रहे अंतर्राज्यीय सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए **एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर** किए हैं।

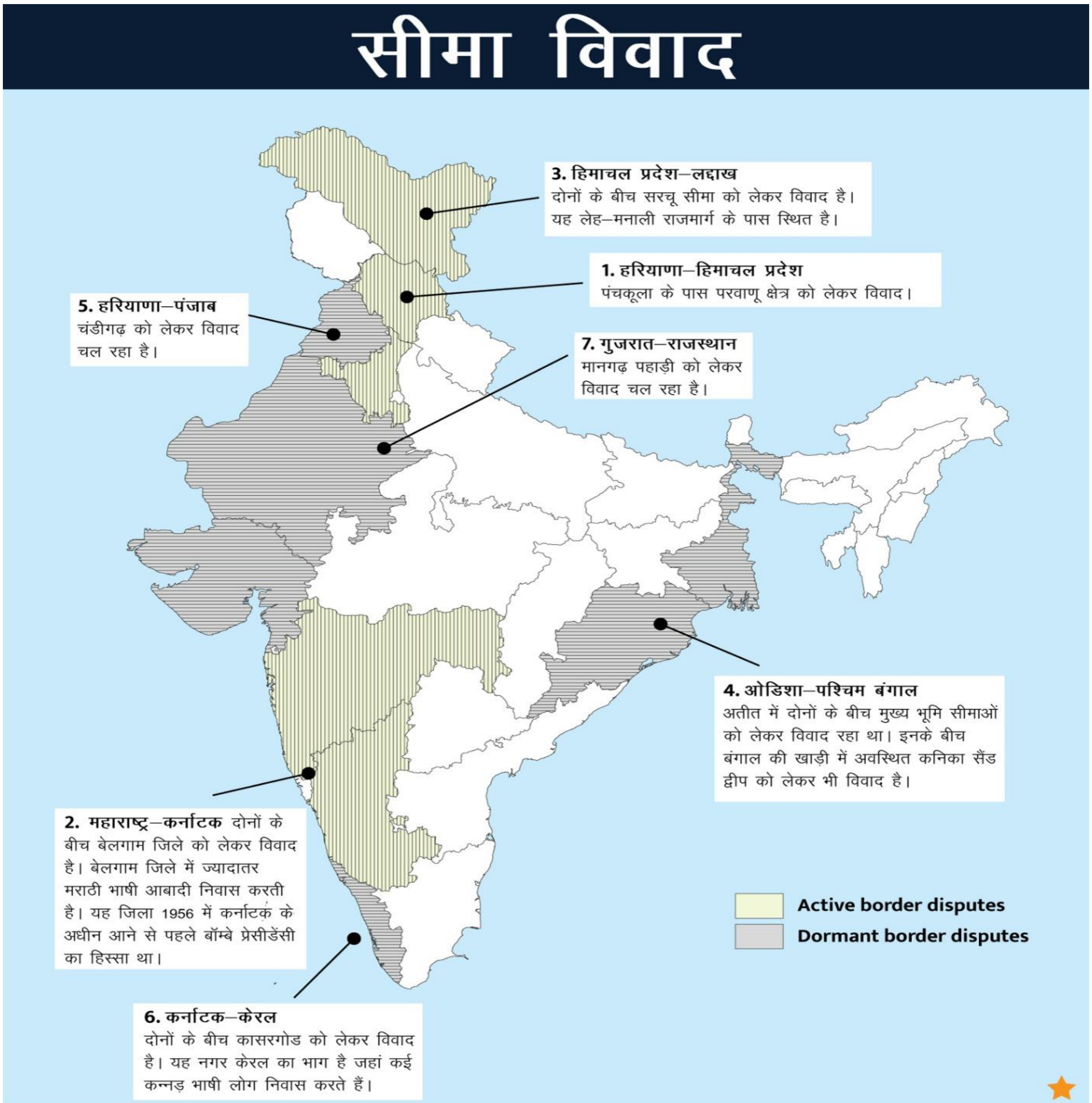

[10] Sustainable Action for Transforming Human Capital

राज्यों के बीच विवादों का समाधान करने के तरीके

- **न्यायिक निवारण:** सुप्रीम कोर्ट अपनी **आरंभिक अधिकारिता** के तहत राज्यों के बीच विवादों का निर्णय करता है। संविधान के **अनुच्छेद 131** में यह प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट को **निम्नलिखित विवादों में आरंभिक अधिकारिता प्राप्त होगी:**
    - भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद; या
    - एक ओर भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों तथा दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच विवाद; या
    - दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद।
- **अंतर्राज्यीय परिषद (ISC):** अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को राज्यों के बीच विवादों का समाधान करने के लिए **अंतर्राज्यीय परिषद गठित** करने की शक्ति प्रदान करता है। परिषद की परिकल्पना राज्यों और केंद्र के बीच **चर्चा के लिए एक मंच** के रूप में की गई है। **इसके निम्नलिखित कर्तव्य हैं:**
    - राज्यों के बीच जो **विवाद** उत्पन्न हो गए हैं, उनकी जांच करना और उन पर **सलाह देना;**
    - **कुछ या सभी राज्यों** अथवा संघ और एक या एक से अधिक राज्यों के **साझा हित** से संबंधित विषयों की जांच करना एवं उन पर विचार-विमर्श करना, या
    - ऐसे किसी विषय पर सिफारिश करना और विशेषतः उस विषय के संबंध में नीति एवं कार्रवाई के बेहतर समन्वय के लिए सिफारिश करना।
- **क्षेत्रीय परिषदें (Zonal Councils):** ये **राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956** द्वारा गठित वैधानिक निकाय हैं। इनका उद्देश्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्र के बीच **सहयोग और समन्वय को बढ़ावा** देना है। ये **केवल विचार-विमर्शी एवं सलाहकारी निकाय** हैं।

क्षेत्रीय परिषदें (Zonal councils)

- **अध्यक्ष: केंद्रीय गृह मंत्री**
- **5 क्षेत्रीय परिषद जैसे-**
    - **उत्तरी क्षेत्रीय परिषद:** हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़।
    - **मध्य क्षेत्रीय परिषद:** छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश।
    - **पूर्वी क्षेत्रीय परिषद:** बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम।
    - **पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद:** गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र तथा केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव व दादरा और नगर हवेली।
    - **दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद:** आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी।

3.4. अंतर्राज्यीय जल विवाद (Inter-State Water Dispute)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (ISRWD)**[11] **अधिनियम, 1956** के तहत **कृष्णा जल विवाद अधिकरण-II (KWDT-II)** के विचार के लिए कई विषयों को मंजूरी दी है।

इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने **सतलज-यमुना लिंक (SYL) नहर के निर्माण में धीमी प्रगति** के लिए पंजाब सरकार की आलोचना की।

अंतर्राज्यीय जल विवाद से निपटने के लिए तंत्र

- **संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत:**
    - **राज्य सूची की प्रविष्टि 17 के अनुसार,** "राज्य जल, अर्थात् जल-आपूर्ति, सिंचाई और नहरें, जल निकासी एवं तटबंधों, जल भंडारण तथा जल-शक्ति विषयों पर कानून बना सकते हैं। हालांकि, ये विषय **सूची-I (संघ सूची) की प्रविष्टि 56 के प्रावधानों के अधीन हैं।**

[11] Interstate River Water Disputes

© Vision IAS

* **अनुच्छेद 262:** इस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है कि **संसद कानून द्वारा किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत के न्यायनिर्णयन के लिए प्रावधान** कर सकती है। अनुच्छेद 262 द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए **संसद ने निम्नलिखित दो कानून बनाए हैं:**

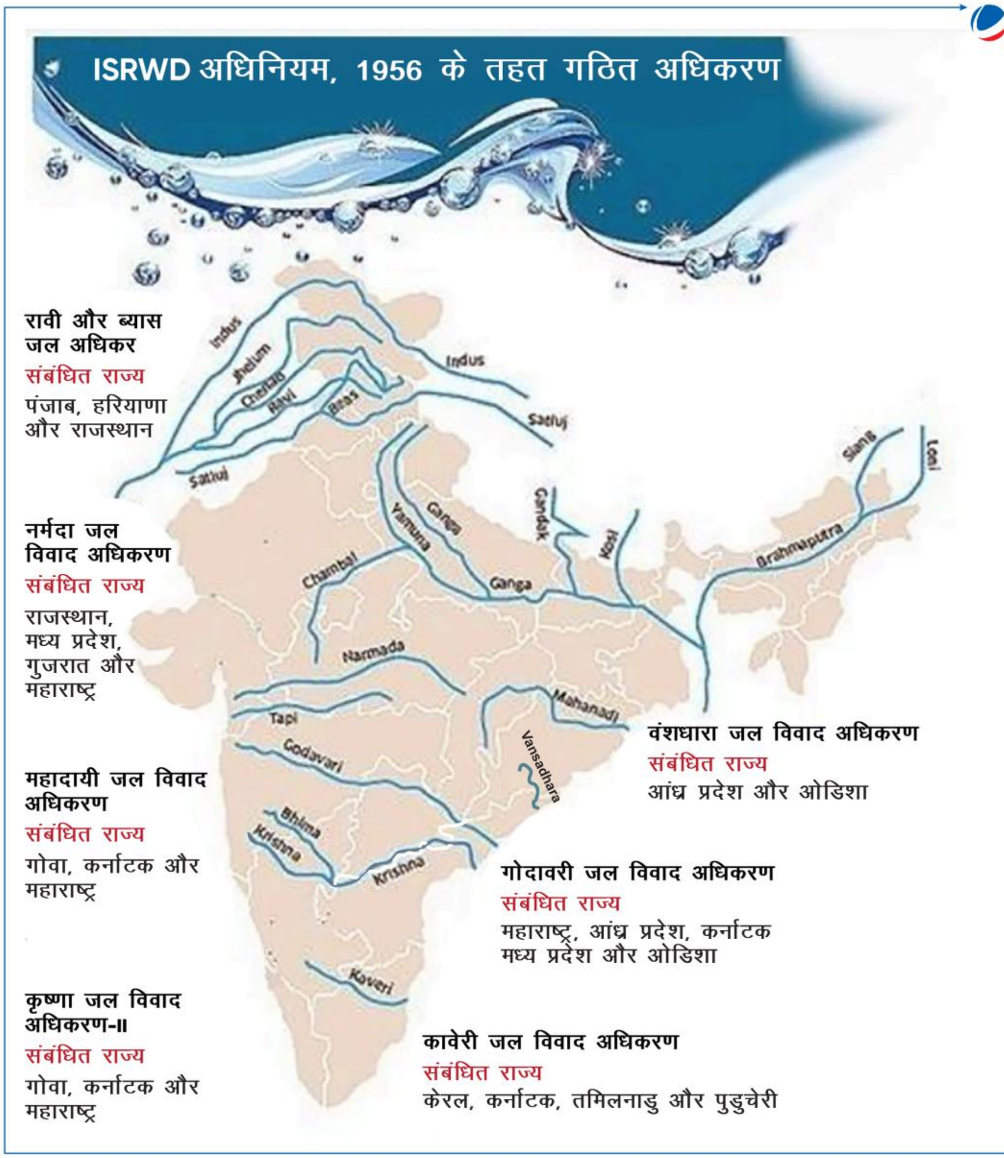

  * **अंतर्राज्यीय जल विवाद (ISWD) अधिनियम, 1956:** इस कानून के अंतर्गत, यदि एक राज्य सरकार जिसका किसी अन्य राज्य सरकार के साथ जल विवाद है, तो वह **विवाद को समाधान हेतु अधिकरण के पास भेजने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध** कर सकती है।
  * **नदी बोर्ड अधिनियम, 1956:** इस अधिनियम का निर्माण **अंतर्राज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों के विनियमन और विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा नदी बोर्ड के गठन** हेतु किया गया था।
* **अनुच्छेद 262** सुप्रीम कोर्ट को अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों पर निर्णय देने से रोकता है।
  * हालांकि, **अनुच्छेद 136 सुप्रीम कोर्ट को अधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार** देता है।
* **राष्ट्रीय जल नीति 2012:** यह नीति **जल की कमी; इसके वितरण में असमानता; जल संसाधनों की योजना, प्रबंधन और उपयोग में एकीकृत दृष्टिकोण के अभाव** जैसे मुद्दों का समाधान करने के लिए लागू की गई है।
  * **सूची-I (संघ सूची) की प्रविष्टि 56 के अनुसार**, "केंद्र सरकार उस सीमा तक **अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों का विनियमन एवं विकास** कर सकती है।
* अंतर्राज्यीय नदियों के जल बंटवारे के संदर्भ में, सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के निर्णयों में **1966 के हेलसिंकी नियम और कैंपियोन नियम** जैसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लेख किया था।

- **1966 के हेलसिंकी नियम** प्रत्येक बेसिन राज्य द्वारा **सामाजिक-आर्थिक जरूरतों और संसाधनों की उपलब्धता** को ध्यान में रखते हुए **जल के समान/ न्यायसंगत उपयोग** को मान्यता देते हैं।
- **कैंपियोन नियमों** के अनुसार बेसिन राज्य किसी अंतर्राष्ट्रीय जल अपवाह बेसिन के जल का प्रबंधन न्यायसंगत एवं उचित तरीके से करेंगे।

SYL नहर के बारे में

- SYL हरियाणा और पंजाब के बीच **रावी और ब्यास नदियों के जल को साझा करने के लिए परिकल्पित 214 किलोमीटर लंबी नहर है।** SYL नहर का 122 किलोमीटर हिस्सा पंजाब में और 92 किलोमीटर हिस्सा हरियाणा में निर्मित होना तय हुआ था।
- हरियाणा ने 1980 में SYL नहर के अपने हिस्से का निर्माण कार्य पूरा कर लिया था। इसके विपरीत, **पंजाब रिपेरियन सिद्धांतों (Riparian Principles) और जल की अनुपलब्धता का हवाला देकर इसे टालता रहा है।**
    - **रिपेरियन सिद्धांत** के अनुसार किसी जल निकाय से सटी भूमि के स्वामी को ही उस निकाय के जल के उपयोग का अधिकार है।

कृष्णा जल विवाद के बारे में

- 1969 में ISRWD अधिनियम, 1956 के तहत **कृष्णा जल विवाद अधिकरण-I (KWDT-I)** का गठन किया गया था। KWDT-II की स्थापना 2004 में की गई थी
- **KWDT-II** 'अविभाजित' आंध्र प्रदेश को आवंटित किए गए कृष्णा नदी के जल को **तेलंगाना** और **आंध्र प्रदेश** के बीच वितरित करने के संबंध में अपना निर्णय देगा।
    - कृष्णा **पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली** नदी है। इसका **उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर** से होता है। यह **महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश** से होकर बहती है और अंत में **बंगाल की खाड़ी** में विलीन हो जाती है।
- 2014 में तेलंगाना के एक अलग राज्य के रूप में गठन के बाद, **आंध्र प्रदेश तेलंगाना को KWDT में एक अलग पक्षकार के रूप में शामिल करने के लिए कह रहा है।** उसके अनुसार इस मांग के तहत कृष्णा नदी के जल का आवंटन तीन की बजाय चार राज्यों के बीच किया जाना चाहिए।
    - हालांकि, **महाराष्ट्र और कर्नाटक का तर्क था** कि तेलंगाना का निर्माण आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद हुआ है, इसलिए **जल का आवंटन आंध्र प्रदेश के हिस्से से होना चाहिए।** अधिकरण ने दोनों राज्यों के तर्क को स्वीकार कर लिया था।

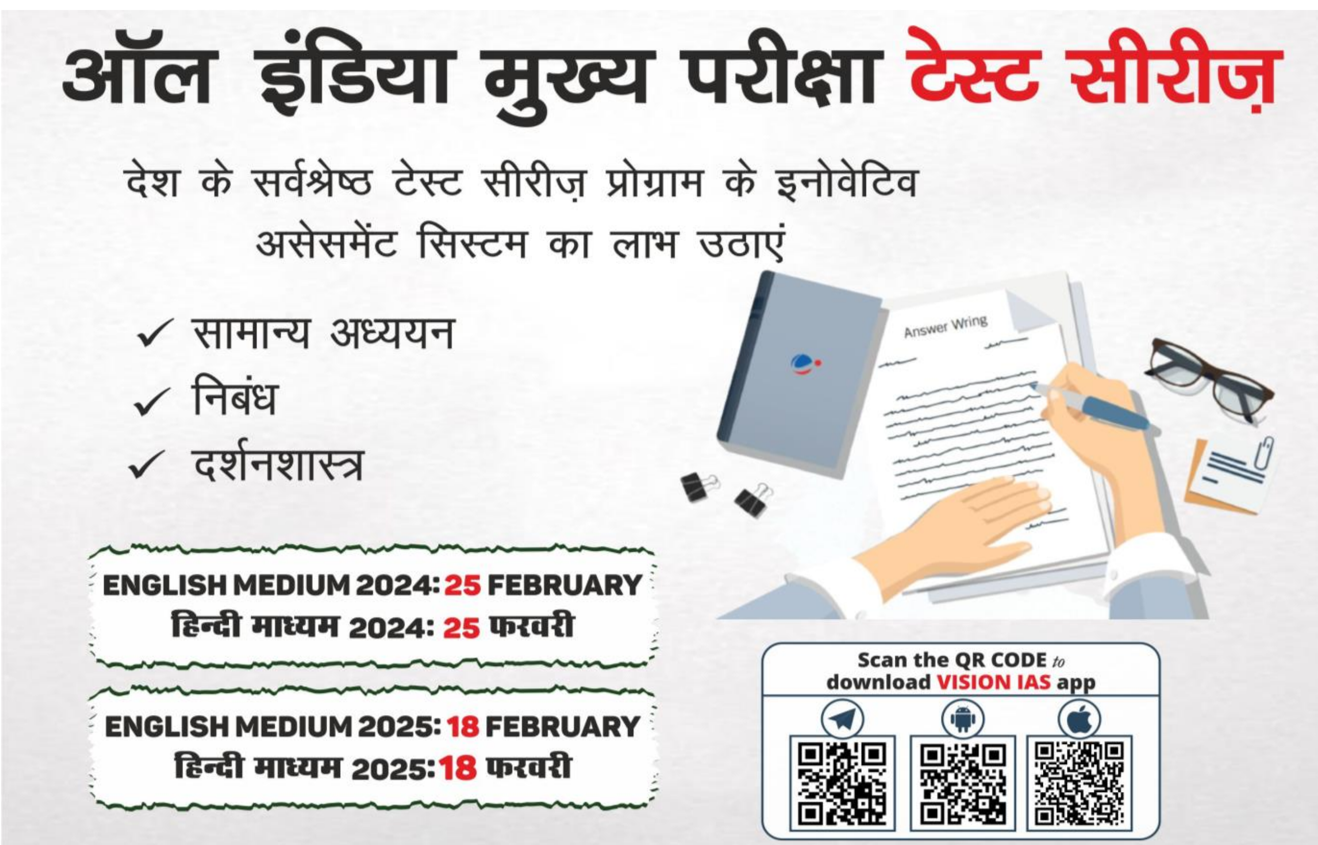

4. न्यायपालिका (Judiciary)

4.1. न्यायिक नियुक्तियां (Judicial Appointment)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, न्यायाधीशों की नियुक्ति में **केंद्र द्वारा अत्यधिक देरी के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई** के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को **या तो उन नियुक्तियों को अधिसूचित करना चाहिए या विशिष्ट आपत्तियों का हवाला देते हुए उन्हें वापस भेजना** चाहिए।

उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति

उच्चतर न्यायपालिका में नियुक्ति से संबंधित संवैधानिक प्रावधान	उच्चतर न्यायपालिका में नियुक्ति से संबंधित न्यायिक निर्णय
अनुच्छेद 124(2): सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति **राष्ट्रपति** द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के कुछ न्यायाधीशों (राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिए जितने न्यायाधीशों के परामर्श को उपयुक्त समझे) के **"परामर्श (Consultation)"** के बाद की जाएगी। ➤ भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में हमेशा CJI से परामर्श किया जाएगा।	**प्रथम न्यायाधीश वाद (फर्स्ट जजेज केस), 1981 या एस.पी. गुप्ता मामला**: सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई सिफारिश को "ठोस कारणों" के आधार पर अस्वीकार कर सकता है। इस तरह इस मामले में कार्यपालिका को अधिक अधिकार प्राप्त हुए। **द्वितीय न्यायाधीश वाद (सेकंड जजेज केस), 1993 {सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCARA) बनाम भारत संघ वाद}**: इससे **"कॉलेजियम प्रणाली"** की शुरुआत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि **CJI** को नियुक्तियों में "प्राथमिक" भूमिका दी जानी चाहिए।
अनुच्छेद 217: हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति **राष्ट्रपति** द्वारा **CJI** और **राज्य के राज्यपाल** के परामर्श के बाद की जाएगी। ➤ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में हमेशा उससे परामर्श किया जाएगा।	**तृतीय न्यायाधीश वाद (थर्ड जजेज केस), 1998**: यह केस अनुच्छेद 124 और 217 के तहत **"परामर्श (Consultation)"** शब्द के अर्थ से संबंधित था। इस वाद में मुख्य सवाल यह था कि क्या एकमात्र **CJI** की राय अपने आप में "परामर्श" है। ➤ इसी के जवाब में, सुप्रीम कोर्ट ने **"कॉलेजियम प्रणाली"** के काम-काज लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए।

- न्यायाधीशों की नियुक्ति एक **कॉलेजियम प्रणाली** के तहत की जाती है। संविधान के **अनुच्छेद 124 (2) और 217** क्रमशः **सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट्स में न्यायाधीशों की नियुक्ति** के प्रावधान करते हैं।
- कॉलेजियम प्रणाली **सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के माध्यम से विकसित** हुई है। ये निर्णय **1981, 1993, और 1998 में थ्री जजेज केस** में दिए गए थे।
  - सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की **अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI)** करते हैं और इसमें शीर्ष न्यायालय के चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं।
  - **हाई कोर्ट कॉलेजियम के अध्यक्ष संबंधित हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश** होते हैं, जबकि दो अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश इसके सदस्य होते हैं। यह कॉलेजियम, **सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को अपनी सिफारिशें** भेजता है।
    - संबंधित हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव की शुरुआत हाई कोर्ट कॉलेजियम (HCC) करता है। HCC सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को अपने विचार भेजता है।
    - HCC में संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और दो वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं।

न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की भूमिका

- **प्रक्रिया ज्ञापन** के तहत सरकार अनुशंसित उम्मीदवारों की **इंटेलिजेंस ब्यूरो से जांच** करवा सकती है।

- सरकार कॉलेजियम की पसंद के संबंध में **आपत्तियां उठा सकती है और स्पष्टीकरण मांग** सकती है।
    - हालांकि, यदि **कॉलेजियम उन्हीं नामों को सरकार के पास फिर से भेजता है, तो सरकार उन्हें न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए बाध्य** है।

4.1.1. अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (All India Judicial Services: AIJS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संविधान दिवस (26 नवंबर) समारोह के दौरान राष्ट्रपति ने न्यायाधीशों की भर्ती के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS) की स्थापना का विचार प्रस्तुत किया।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS) के बारे में

AIJS सभी राज्यों के लिए **अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों और जिला न्यायाधीशों के स्तर पर न्यायाधीशों की भर्ती को केंद्रीकृत करने** के लिए एक सुधारात्मक प्रयास है।

- **AIJS का गठन:** केंद्रीय न्यायिक सेवा का विचार पहली बार **14वें विधि आयोग, 1958 की 'न्यायिक प्रशासन में सुधार पर रिपोर्ट'** में प्रस्तुत किया गया था।
- **संवैधानिक प्रावधान: 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 312(1)** को संशोधित किया गया था। इस संशोधन के तहत संसद को **AIJS सहित एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के गठन** के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया है।

वर्तमान में जिला न्यायाधीशों की भर्ती पद्धति:

- भारत के संविधान के **अनुच्छेद 233 और 234 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित हैं,** और ये नियुक्तियां राज्य अधिकारिता अंतर्गत आती हैं।
- चयन प्रक्रिया **राज्य लोक सेवा आयोगों (SPSC) और संबंधित हाई कोर्ट** द्वारा संचालित की जाती है, क्योंकि राज्य में अधीनस्थ न्यायपालिका हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत होती हैं। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के पैनल परीक्षा के बाद उम्मीदवारों का साक्षात्कार करते हैं और नियुक्ति के लिए उनका चयन करते हैं।
- निचली न्यायपालिका के जिला न्यायाधीश स्तर तक के सभी न्यायाधीशों का चयन **प्रांतीय सिविल सेवा (न्यायिक) परीक्षा** के माध्यम से किया जाता है। **PCS (J)** को आमतौर पर न्यायिक सेवा परीक्षा के रूप में जाना जाता है।

4.2. कानूनी सहायता (Legal Aid)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति ने "विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत कानूनी सहायता की कार्य-प्रणाली की समीक्षा"** पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की।

कानूनी सहायता

- **कानूनी सहायता** का तात्पर्य **उन गरीब और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करना है,** जो किसी भी अदालत में अपने केस को जारी रखने के लिए वकील की फीस का खर्च वहन नहीं कर सकते।

भारत में कानूनी सहायता के लिए शुरू की गई पहलें

- **विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987:** यह भारत में कानूनी सहायता का एक वैधानिक ढांचा प्रदान करता है।
    - इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर क्रमशः **राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA); राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SALSA) तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA)** के गठन का प्रावधान किया गया है।

© Vision IAS

- विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत **लोक अदालतों** का आयोजन किया जाता है। ये अदालतें वैकल्पिक विवाद निवारण (ADR)[12] तंत्र का हिस्सा हैं। इन अदालतों में या मुकदमा-पूर्व चरण में लंबित विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाता है।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (National Legal Services Authority) — सांविधिक निकाय

उत्पत्ति: इसका गठन **विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987** के तहत किया गया है।

संरचना: भारत के **मुख्य न्यायाधीश (CJI)** इसके संरक्षक (Patron–in–Chief) के रूप में कार्य करते हैं। **सुप्रीम कोर्ट का एक सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश** इस प्राधिकरण के **कार्यकारी अध्यक्ष** के रूप में कार्य करता है।

कार्य: यह समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करता है और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करता है।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के तहत निम्नलिखित व्यक्ति निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए पात्र हैं:

- एक महिला या बालक, अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) का सदस्य, औद्योगिक मजदूर, दिव्यांग व्यक्ति या कस्टडी में व्यक्ति आदि।
- इसके अलावा, वह व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम है या उसके राज्य द्वारा निर्धारित स्तर से कम है। सुप्रीम कोर्ट के मामले में यह राशि 5 लाख रुपये है।

- **पैरा-लीगल वालंटियर (PLV):** PLV एक **प्रशिक्षित व्यक्ति** होता है, जो जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने में **विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं लोक अदालतों** की सहायता करता है।
- **सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति (SCLSC)[13]:** इसे गरीबों, वंचितों और हाशिए पर रहने वाले लोगों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए **विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 3A** के तहत गठित किया गया है।
  - **SCLSC के मुख्य संरक्षक:** भारत के मुख्य न्यायाधीश
  - **सदस्य:** अध्यक्ष (सुप्रीम कोर्ट का कोई एक मौजूदा न्यायाधीश) एवं 9 सदस्य (भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित)।

- **दिशा (DISHA) योजना[14]:** इस योजना को **न्याय विभाग** ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य **प्रौद्योगिकी के उपयोग के जरिए लोगों के बीच जागरूकता का प्रसार** करना है। साथ ही, जनता के लिए सरलीकृत **सूचना, शिक्षा और संचार** (IEC)[15] सामग्री विकसित करना है। **इस योजना के निम्नलिखित घटक हैं:**
  - **न्याय बंधु:** निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए एक अखिल भारतीय फ्रेमवर्क तैयार करना।
  - **टेली लॉ:** सामान्य सेवा केंद्रों (CSCs)[16] के माध्यम से ज़रूरतमंद और हाशिये पर स्थित लोगों को कानूनी सहायता के लिए वकीलों के पैनल से जोड़ना।
  - **कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम (LLLAP)[17]:** समाज के कमजोर वर्गों को उनके कानूनी अधिकारों और हक के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाना।

---

12 Alternative Dispute Redressal

13 Supreme Court Legal Services Committee

14 Designing Innovative Solutions for Holistic Access to Justice/ न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान तैयार करना

15 Information, Education and Communication

16 Common Service Centers

17 Legal Literacy and Legal Awareness Programme

- **न्याय मित्र योजना:** इसे 2017 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य वादियों को कानूनी सहायता प्रदान करके **दस साल** से अधिक पुराने लंबित अदालती मामलों का निपटारा करने में जिला न्यायपालिका को सहायता प्रदान करना है।
- **सुप्रीम कोर्ट मध्यम आय समूह कानूनी सहायता योजना[18]:** इस योजना को **सुप्रीम कोर्ट** ने शुरू किया है। इसके तहत **60 हजार रुपये प्रति महीने या साढ़े सात लाख रुपये प्रति वर्ष** तक की आय वाले मध्यम-आय वर्ग के लोगों को कानूनी सहायता दी जाएगी।

भारत में कानूनी सहायता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान	कानूनी सहायता से संबंधित न्यायिक निर्णय
अनुच्छेद 39A: इसमें यह प्रावधान है कि 'राज्य' उचित कानून बनाकर या योजनाओं के जरिए **निःशुल्क कानूनी सहायता** प्रदान करेगा।	**एम.एच. होसकोट बनाम महाराष्ट्र राज्य वाद (1978):** सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार सरकार का कर्तव्य है और यह **अनुच्छेद 21 का एक अंतर्निहित पहलू** है।
अनुच्छेद 22(1): डिटेन किए गए या जेल में बंद प्रत्येक व्यक्ति को उसकी रुचि के **वकील से परामर्श करने या विधिक सहायता लेने का कानूनी प्रावधान है।** ➤ इसमें स्पष्ट तौर पर **कानूनी सहायता** को मान्यता दी गई है।	**हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य वाद (1979):** सुप्रीम कोर्ट ने माना कि **कानूनी सेवाएं** अनुच्छेद 21 के तहत न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित प्रक्रिया का एक आवश्यक घटक हैं।

4.3. मध्यस्थता अधिनियम, 2023 (Mediation Act, 2023)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत के राष्ट्रपति ने हाल ही में पारित 'मध्यस्थता विधेयक, 2023" को अपनी मंजूरी दे दी है। अब यह विधेयक कानून बन गया है। इसका उद्देश्य भारत में मध्यस्थता को **वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR)** के एक पसंदीदा तरीके के रूप में बढ़ावा देना है।

वैकल्पिक विवाद समाधान (Alternative Dispute Resolution: ADR) के बारे में

- **ADR उन अलग-अलग तरीकों के बारे में बताता है, जिनका उपयोग करके लोग बिना किसी सुनवाई के विवादों का समाधान कर सकते हैं (इन्फोग्राफिक देखें)।**
- **भारत में ADR को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए अन्य कदम:**
  - भारतीय मध्यस्थता परिषद की स्थापना के लिए **मध्यस्थता और सुलह अधिनियम[19], 1996** तथा **मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम[20], 2019 पारित** किए गए हैं।
  - **विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987** लागू किया गया है।

---

[18] Supreme Court Middle Income Group Legal Aid Scheme

[19] Arbitration and Conciliation Act)

[20] Arbitration and Conciliation (Amendment) Act

© Vision IAS

- संस्थागत मध्यस्थता की सुविधा हेतु **NDIAC** की स्थापना के लिए **नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (NDIAC) अधिनियम, 2019** पारित किया गया है।
- **वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 वाणिज्यिक विवादों के निपटान** के लिए वाणिज्यिक न्यायालयों का प्रावधान करता है।

- मध्यस्थता के परिणामस्वरूप होने वाले अंतर्राष्ट्रीय समाधान समझौतों के लिए **मध्यस्थता पर सिंगापुर कन्वेंशन**[21] **एक यूनिफॉर्म और सक्षम फ्रेमवर्क है।**

मध्यस्थता विधेयक, 2023 की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

मध्यस्थता को परिभाषित करता है	• मध्यस्थता (मध्यकता) एक ऐसी प्रक्रिया होगी, जिसमें **मध्यस्थता, मुकदमा-पूर्व मध्यस्थता, ऑनलाइन मध्यस्थता, सामुदायिक मध्यस्थता, सुलह या समान अर्थ की कोई पदावली शामिल हो।** ○ इसके तहत, संबंधित पक्ष तीसरे व्यक्ति की सहायता से अपने विवाद के **सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुंचने** का प्रयास करते हैं। इस **तीसरे व्यक्ति को मध्यस्थ** कहा जाता है।
मुकदमेबाजी से पहले स्वैच्छिक मध्यस्थता	• संबंधित पक्षों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने सिविल या वाणिज्यिक विवादों का न्यायालय या किसी अधिकरण के पास जाने से पहले मध्यस्थता के जरिए समाधान करने का प्रयास करें।
मध्यस्थता के लिए अनुपयुक्त विवाद	• केंद्र सरकार ऐसे विवादों की सूची में संशोधन कर सकती है। **इस सूची में निम्नलिखित विवाद शामिल हैं:** ○ नाबालिगों या मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों से संबंधित विवाद, ○ दंडनीय (क्रिमिनल) अपराध के अभियोजन से जुड़े विवाद, ○ तीसरे पक्ष के अधिकारों को प्रभावित करने वाले विवाद आदि।

[21] Singapore Convention on Mediation

प्रादेशिक क्षेत्राधिकार	• जब तक संबंधित पक्ष किसी अन्य तरीके से या **ऑनलाइन मोड में मध्यस्थता के लिए सहमत न हों,** तब तक मध्यस्थता, संबंधित क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय या सक्षम क्षेत्राधिकार वाले अधिकरण के तहत होगी।
मध्यस्थता किए जाने की समय-सीमा:	• इसे **120 दिनों** के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। इसके अलावा, इस समय-सीमा को **पक्षों की सहमति से 60 दिनों** तक बढ़ाया जा सकता है। ○ एक पक्ष **दो सत्रों के बाद मध्यस्थता से हट** सकता है। ○ न्यायालय से संबंधित मध्यस्थता **सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार की जानी चाहिए।**
भारतीय मध्यस्थता परिषद (MCI) की स्थापना	• **MCI में निम्नलिखित शामिल होंगे-** ○ **एक अध्यक्ष,** ○ **दो पूर्णकालिक सदस्य-** मध्यस्थता या ADR का अनुभव रखने वाले हों, ○ **एक अंशकालिक सदस्य-** जिसमें विधि सचिव या व्यय सचिव शामिल होगा, और ○ **तीन पदेन सदस्य।**
मध्यस्थता सेवा प्रदाताओं को परिभाषित करता है	• यह मध्यस्थता सेवा प्रदाताओं को **MCI द्वारा मध्यस्थता करने के लिए अधिकृत निकाय या संगठन** के रूप में परिभाषित करता है। ○ **विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987** के तहत गठित प्राधिकरण भी मध्यस्थता कर सकता है।
सामुदायिक मध्यस्थता का आयोजन	• इसके तहत **तीन मध्यस्थों के एक पैनल** द्वारा किसी क्षेत्र के निवासियों के बीच शांति और सद्भाव को प्रभावित करने वाले विवादों का समाधान किया जा सकता है।
लागू होना या प्रवर्तनीयता (Enforceability)	• मध्यस्थता द्वारा किए गए समझौते न्यायालय के निर्णयों के समान ही **बाध्यकारी और प्रवर्तनीय** होंगे। ○ हालांकि, मध्यस्थता के फैसले को **90 दिनों के भीतर सक्षम न्यायालय में चुनौती** दी जा सकती है। ○ मध्यस्थता द्वारा किए गए समाधान को **धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, छद्मरूपण (Impersonation) और मध्यस्थता के लिए अनुपयुक्त विवाद** के आधार पर चुनौती दी जा सकती है।

4.3.1. लोक अदालत (Lok Adalats)

- लोक अदालत एक **वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र (ADRM)**[22] है।
    - ADRM में **पारंपरिक अदालती प्रणाली के बाहर विवादों को सुलझाने** के विविध तरीके शामिल हैं।
    - इस तंत्र ने **न्यायपालिका पर मुकदमों के बोझ को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका** निभाई है। साथ ही, विवादों को हल करने के लिए एक **त्वरित, वहनीय और अधिक सौहार्दपूर्ण माध्यम** प्रदान किया है।
- **लोक अदालत से जुड़े मुख्य तथ्य:**
    - **स्थापना:** इनका गठन **विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987** के तहत किया जाता है।
    - **स्तर:** इनका गठन अलग-अलग स्तरों पर किया गया है, अर्थात् **राष्ट्रीय लोक अदालत, राज्य प्राधिकरण स्तर, उच्च न्यायालय स्तर, जिला न्यायालय स्तर और तालुका स्तर।**
        - **राष्ट्रीय स्तर की लोक अदालतें नियमित अंतराल पर आयोजित** की जाती हैं। इस स्तर पर एक ही दिन में पूरे देश में लोक अदालतें आयोजित की जाती हैं।

[22] Alternative Dispute Redressal Mechanisms

© Vision IAS

- **मोबाइल (सचल) लोक अदालतों का भी आयोजन** किया जाता है।
  - **क्षेत्राधिकार:** लोक अदालतें न्यायालयों में लंबित विवाद/ मामलों या मुकदमे से पहले के चरण के मामलों की सुनवाई करते हैं।
  - **अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामले:** सिविल मामले, वैवाहिक विवाद, भूमि विवाद, बंटवारा/ संपत्ति संबंधी विवाद, श्रम विवाद आदि तथा ऐसे मामले जो गंभीर प्रकृति के नहीं होते हैं।
  - **शक्तियां:** लोक अदालतों को वही शक्तियां प्राप्त हैं, जो **सिविल प्रक्रिया संहिता (1908)** के तहत किसी **सिविल न्यायालय** को मिली हुई हैं।
    - इनके **निर्णय अंतिम होते हैं और सभी पक्षों पर बाध्यकारी** होते हैं।
    - इनके निर्णयों के विरुद्ध **किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं** की जा सकती है।

4.4. मॉडल जेल अधिनियम, 2023 (Model Prisons Act 2023)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र सरकार ने एक विस्तृत मॉडल जेल अधिनियम, 2023 तैयार किया है। यह आजादी के पहले से लागू **'जेल अधिनियम, 1894'** का स्थान लेगा।

मॉडल जेल अधिनियम, 2023 के अंतर्गत कौन-कौन से उपबंध शामिल हैं?

- **अच्छे आचरण को प्रोत्साहित करना:**
  - कैदियों को **पैरोल व फर्लो पर रिहा करने तथा सजा में कमी** करने के लिए प्रावधान किए गए हैं।
    - **पैरोल** किसी कैदी को **सशर्त रिहा करने** की एक प्रणाली है। इसमें **एक निश्चित समयावधि के लिए सजा को निलंबित** कर दिया जाता है।
    - लंबी अवधि के कारावास के मामलों में कैदी को **फर्लो** पर रिहा किया जाता है। किसी कैदी को दी गई **फर्लो की अवधि को उसकी सजा में कमी (Remission/ परिहार) के रूप में माना जाता है।**
    - "जमानत (Bail)" का आशय किसी **आपराधिक मामले में अभियुक्त की अस्थायी रिहाई** से है। जमानत उस अवधि के लिए दी जाती है जब मामला कोर्ट में लंबित हो अथवा निर्णय को ऊपरी अदालत में चुनौती दी गई हो। इसके लिए एक निश्चित धनराशि (मामले के अनुसार) न्यायालय में जमा करनी होती है।
- **सुधार और पुनर्वास करना:**
  - **"कैदियों के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन"** लाना, तथा
  - **कैदियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना और उनका कौशल विकास करना।**
- **बेहतर रक्षा और सुरक्षा के लिए:**
  - **महिलाओं** और **ट्रांसजेंडर** कैदियों के लिए **अलग जेल की व्यवस्था** का प्रावधान किया गया है।
  - **जेल प्रशासन में प्रौद्योगिकी** के उपयोग का प्रावधान किया गया है। इसमें **उच्च सुरक्षा वाली जेलों** की स्थापना करना भी शामिल है।

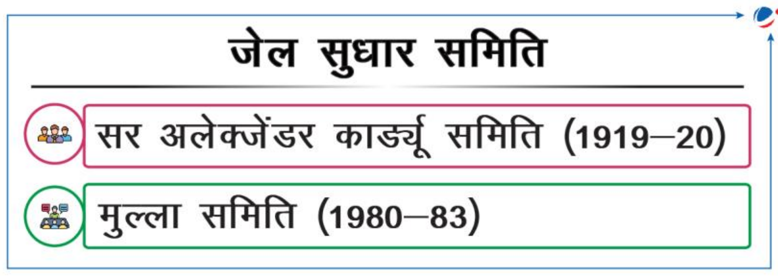

- **अन्य उपाय:**
  - खुली एवं अर्द्ध-खुली जेलों के लिए प्रावधान किए गए हैं।
  - अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैदियों की सुनवाई करने जैसे प्रावधान भी किए गए हैं।
- जेल अधिनियम, 1894 के साथ-साथ **जेल कानून, 1900** और **'बंदी स्थानांतरण अधिनियम, 1950** की भी समीक्षा की गई है। इनके प्रासंगिक प्रावधानों को मॉडल अधिनियम में शामिल किया गया है।

जेल अधिनियम, 1894 के बारे में

- **1894 का जेल अधिनियम**, भारत में जेलों के प्रबंधन और उनके प्रशासन से संबंधित **पहला कानून** था।

- 1836 में लॉर्ड मैकाले द्वारा **"जेल अनुशासन समिति[23]"** का गठन किया था। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर ही इस कानून को पारित किया गया था।
- इस कानून के अनुसार **'जेल (Prison/ कारागार)'** वह स्थान है, जिसका उपयोग "कैदियों को स्थायी या अस्थायी रूप से कैद में रखने के लिए" किया जाता है। इस परिभाषा में पुलिस कस्टडी (यानी पुलिस थानों) और सहायक जेलों को शामिल नहीं किया गया है।
- इसमें कैदियों के लिए **रोजगार, उनके स्वास्थ्य और उनसे मिलने हेतु आने वाले लोगों से जुड़े प्रावधान** किए गए हैं।

जेल से संबंधित संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपाय	कैदियों के अधिकारों से संबंधित न्यायिक निर्णय
7वीं अनुसूची: 'जेल/ उनमें निरुद्ध व्यक्ति (कैदी)' सूची II की प्रविष्टि 4 के तहत **"राज्य सूची"** का एक विषय है। ➤ जेलों (व कैदियों) का प्रशासन और प्रबंधन संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।	**मोहम्मद गियासुद्दीन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य वाद (1977):** सुप्रीम कोर्ट ने अस्पतालों की स्थापना और जेलों में बंद कैदियों के इलाज के महत्त्व का मजबूती से समर्थन किया।
अनुच्छेद 39-A: इसमें अभियुक्तों को निःशुल्क कानूनी-सहायता सेवाएं प्रदान करने के संवैधानिक अधिकारों का उल्लेख है।	**प्रेम शंकर बनाम दिल्ली प्रशासन वाद (1980):** सुप्रीम कोर्ट ने माना कि किसी व्यक्ति के हाथ-पैर को बेड़ी (जंजीर) से बांधने की कोई अनिवार्यता नहीं है।
अन्य महत्वपूर्ण कानून: कैदियों का प्रत्यावर्तन अधिनियम (2003), आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022 आदि।	**शीला बरसे बनाम महाराष्ट्र राज्य वाद (1983):** यह केस जेलों में बंद महिला कैदियों के साथ होने वाली हिंसा यानी हिरासत में हिंसा से संबंधित था।

4.5. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News)

अनुच्छेद 142	• सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि **वह अनुच्छेद 142 के तहत किसी दम्पति के तलाक को सीधे मंजूरी दे सकता है।** सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि यदि पति-पत्नी का रिश्ता इतना खराब हो चुका है कि अब सुलह होने की संभावना बची ही नहीं है, तब **वह हिंदू विवाह अधिनियम (HMA), 1955** के तहत निर्धारित अवधि की प्रतीक्षा किए बिना सीधे **तलाक की मंजूरी दे सकता है।** **अनुच्छेद 142 से संबंधित न्यायिक निर्णय** **प्रेम चंद गर्ग वाद (1962):** इस निर्णय में अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के प्रयोग के लिए कुछ सीमाएं निर्धारित की गई थी। **यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन बनाम भारत संघ:** वर्ष 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अनुच्छेद 142 के व्यापक दायरे का उल्लेख करते हुए पीड़ितों के लिए मुआवजे का आदेश दिया था। **सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ वाद (1998):** इस निर्णय के अनुसार, अनुच्छेद 142 के तहत प्रदत्त शक्तियां पूरक के रूप में हैं। इन शक्तियों को मूल कानून को बदलने या उस पर प्रभावी होने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है।

[23] Prison Discipline Committee

© Vision IAS

	• **अनुच्छेद 142 ने सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया है कि वह दो पक्षों के बीच ऐसी स्थिति में 'पूर्ण न्याय' करे**, जहां कभी-कभी कानून या विधान कोई समाधान नहीं दे सकता है। • **अनुच्छेद 142 के तहत प्रदत्त शक्तियां** अपनी प्रकृति में व्यापक हैं। इस कारण **सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग-अलग निर्णयों के तहत इसके दायरे और सीमा को परिभाषित किया है।**

वचन विबंधन का सिद्धांत (Doctrine of Promissory Estoppel)	• **अग्निपथ योजना से संबंधित एक सुनवाई में,** वादी (सिविल कार्रवाई में न्यायालय जाने वाले पक्ष) ने **वचन विबंधन** के सिद्धांत का हवाला दिया है।
	• वचन विबंधन एक **अवधारणा है, जो संविदात्मक कानूनों (Contractual laws)** के रूप में विकसित हुई है।
	  ○ यह सिद्धांत अनिवार्य रूप से एक **"वचनदाता (Promisor)"** को इस आधार पर एक **समझौते से पीछे हटने से रोकता है कि ऐसा कोई "औपचारिक फैसला (Consideration)"** नहीं हुआ है।
	  ○ इसे एक **वादी द्वारा समझौते के निष्पादन को सुनिश्चित** करने या समझौते को पूरा करने में विफलता के लिए **मुआवजे की मांग हेतु लागू** करवाया जाता है।

नार्को एनालिसिस टेस्ट	• हाल ही में, दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कथित आरोपी का नार्को टेस्ट कराने की मांग की है।
	• नार्को टेस्ट में **सोडियम पेंटोथल** नामक दवा को संबंधित व्यक्ति के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। सोडियम पेंटोथल को **'ट्रुथ सीरम'** भी कहा जाता है।
	• **सेल्वी और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य वाद (2010)** में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि किसी भी व्यक्ति का **नार्को एनालिसिस या ब्रेन मैपिंग या पॉलीग्राफ टेस्ट** उसकी सहमति के बिना नहीं किया जा सकता है।
	  ○ **यह निर्णय निम्नलिखित मूल अधिकारों को ध्यान में रखते हुए दिया गया है:**
	    ▪ **अनुच्छेद 20(3): अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण**
	    ▪ **अनुच्छेद 21: प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार**
	• हालांकि, नार्को एनालिसिस रिपोर्ट को **न्यायालय में प्राथमिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं** किया जाता है।
	• भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की **धारा 27** के अनुसार, यदि कोई अभियुक्त स्वेच्छा से कोई जानकारी प्रदान करता है (भले ही वह नार्को टेस्ट के द्वारा प्राप्त की गई हो) और पुलिस अधिकारी को पहले से पता चल चुके किसी तथ्य से उसका स्पष्ट रूप से मिलान होता है, तो उस जानकारी को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।

न्यायाधीशों द्वारा सुनवाई से अलग होना (Recusal by Judges)	• सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के एक पूर्व अधिकारी की याचिका पर सुनवाई से स्वयं को अलग करने से मना कर दिया है। • किसी मामले में **हितों के संभावित टकराव** की स्थिति में एक न्यायाधीश पक्षपातपूर्ण छवि से बचने के लिए मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग कर सकता है। **अर्थात् वह उस मामले पर सुनवाई करने से बच सकता है** अथवा स्वयं को उस मामले से अलग कर सकता है। • भारत में **न्यायाधीश द्वारा स्वयं को सुनवाई से अलग करने से संबंधित कोई संहिताबद्ध नियम नहीं है।** मामले से अलग होने का फैसला **पूरी तरह से न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर** करता है। ○ यदि कोई न्यायाधीश किसी मामले से स्वयं को अलग कर लेता है, तो **उस मामले को किसी अन्य पीठ को आवंटित करने के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध** किया जाता है।

सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (AoR) प्रणाली	• AoR भारतीय विधिक प्रणाली में वकील/ अधिवक्ता की अलग श्रेणी होती है। वे **सुप्रीम कोर्ट में पंजीकृत होते हैं और उसमें ही वादी का प्रतिनिधित्व** करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही अधिकृत किए जाते हैं। • अधिवक्ता अधिनियम के तहत **दो प्रकार** के अधिवक्ताओं का प्रावधान किया गया है: **वरिष्ठ अधिवक्ता और अधिवक्ता।** • सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के **अनुच्छेद 145** द्वारा प्रदत्त **"नियम बनाने की शीर्ष न्यायालय की शक्ति" का प्रयोग करते हुए AoR प्रणाली का प्रावधान** किया है। • **सुप्रीम कोर्ट की नियमावली, 2013** में AoR के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं। o केवल AoR ही **सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कोई भी केस या दस्तावेज़ दाखिल करने के लिए पात्र** होते हैं। o कोई **वरिष्ठ अधिवक्ता भी AoR के बिना सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत होने का हकदार नहीं** होता है।
फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स (FTSCs) योजना	• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स (FTSCs) योजना को 31 मार्च, 2026 तक जारी रखने की मंजूरी प्रदान की है। • FTSCs योजना एक **केंद्र प्रायोजित** योजना है। इस योजना को **2019** में लॉन्च किया गया था। इस योजना का कार्यान्वयन कानून और न्याय मंत्रालय के तहत **न्याय विभाग** करता है। o इस योजना में **केंद्र सरकार की हिस्सेदारी का वित्त-पोषण निर्भया फंड** से किया जाता है। ज्ञातव्य है कि निर्भया फंड का उद्देश्य **देश में महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाना** है। • फास्ट ट्रैक कोर्ट्स (FTCs) और फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स (FTSCs) **विशेष मामलों के प्रति समर्पित अदालतें** हैं। इनसे त्वरित न्याय सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है। o **दाण्डिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018** FTSCs के गठन का आधार बना है। उल्लेखनीय है कि इस अधिनियम में **बलात्कार के अपराधियों के लिए मृत्युदंड सहित कठोर दंडों का प्रावधान** किया गया है। o FTSCs **राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड** से जुड़े हुए हैं।
नारी अदालत	• नारी अदालत योजना, **मिशन शक्ति के तहत संबल उप-योजना** का एक हिस्सा है। यह **महिला और बाल विकास मंत्रालय के अधीन संचालित है।** o मिशन शक्ति का लक्ष्य **महिलाओं की सुरक्षा, रक्षा और सशक्तीकरण को मजबूत** करना है। • नारी अदालत **ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले कम जघन्य प्रकृति के मामलों (उत्पीड़न, अधिकारों में कटौती आदि) को हल** करने के लिए महिलाओं को एक वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करती है। • इस योजना का **जागरूकता का प्रसार करने हेतु जनता से जुड़ने के लिए; योजनाओं में सुधार के लिए फीडबैक प्राप्त करने तथा लोगों के बीच सेवाओं के प्रभावी वितरण हेतु उपयोग किया जाएगा।**
न्याय विकास पोर्टल	• **केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय** ने एक **न्याय विकास पोर्टल** बनाया है। यह पोर्टल **"जिलों और अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं का विकास" नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना (CSS)** के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा। • **न्याय विकास के बारे में:** o **कानून विभाग 1993-94** से जिलों और अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं का विकास नामक CSS का क्रियान्वयन कर रहा है। o इसके तहत **न्यायिक अधिकारियों/ जिला न्यायाधीशों आदि के लिए कोर्ट हॉल और आवासीय इकाइयों के निर्माण** हेतु राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को **केंद्रीय सहायता** प्रदान की जाती है। o **वित्त पोषण:** पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य (90:10 के अनुपात में); केंद्र शासित प्रदेश (100%), शेष राज्यों के लिए (60:40 के अनुपात में)।
जस्टिस क्लॉक	• यह एक **इलेक्ट्रॉनिक साइनेज सिस्टम** है। इसे हाई कोर्ट्स के न्यायालय-परिसरों में स्थापित किया गया है। • यह पहल हितधारकों को **न्यायालय से संबंधित प्रमुख मापदंडों के बारे में जानकारी प्रदान** करेगी। इसके अलावा, **यह न्यायालय से संबंधित डेटा के बारे में पर्याप्त सूचना प्रदान करके लोगों को जागरूक** करने का कार्य भी करेगी।

© Vision IAS

न्यायपालिका में प्रौद्योगिकी	• सुप्रीम कोर्ट ने **निचली अदालतों के रिकॉर्ड्स के डिजिटलीकरण को सुनिश्चित करने के लिए सभी हाई कोर्ट्स को निर्देश जारी** किए हैं। • **इस संबंध में शुरू की गई अन्य महत्वपूर्ण पहलें:** ○ **ई-कोर्ट मिशन:** यह न्यायपालिका के डिजिटलीकरण के लिए एक मिशन मोड परियोजना है। ○ अदालत, पुलिस, जेल प्रशासन जैसे हितधारकों के बीच डेटा और सूचना के निर्बाध हस्तांतरण को सक्षम बनाने के लिए **इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम** (ICJS) की शुरुआत की गई है। ○ सुप्रीम कोर्ट ने **फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ़ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स (FASTER)** लॉन्च किया है। यह एक सॉफ्टवेयर है, जो इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से सुरक्षित रूप से न्यायालय के आदेशों को तेजी से प्रसारित करता है। ○ **सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर (SUVAS/ सुवास)** अंग्रेजी में दिए गए निर्णयों का क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करता है। ○ **e-SCR पोर्टल :**यह **सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को डिजिटल रूप में** उसी तरह प्रस्तुत करता है, जैसे वे आधिकारिक कानूनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किए जाते हैं।
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट	• यह **IJR का तीसरा संस्करण** है। इस रिपोर्ट को **टाटा ट्रस्ट ने जारी** किया है। इसे सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, दक्ष, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी जैसे कई नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधियों **के सहयोग से जारी** किया गया है। • यह रिपोर्ट प्रत्येक राज्य के **प्रमुख न्याय वितरण तंत्रों** (न्यायपालिका, पुलिस, जेल और विधिक सहायता) को क्षमतावान बनाने में उनकी प्रगति का आकलन करती है एवं उन्हें रैंक प्रदान करती है।

VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

न्यूज़ टुडे

"न्यूज टुडे" डेली करेंट अफेयर्स की एक संक्षिप्त प्रस्तुति है। इस डॉक्यूमेंट की मदद से न्यूज-पेपर को पढ़ना काफी आसान हो जाता है और इससे अभ्यर्थी दैनिक घटनाक्रमों के बारे में अपडेट भी रहते हैं। इससे अभ्यर्थियों को कई अन्य तरह के लाभ भी मिलते हैं, जैसे:

- किसी भी न्यूज़ से जुड़े घटनाक्रमों के बारे मे बेहतर समझ विकसित करने के लिए
- न्यूज पढ़ने का एक ऐसा नजरिया विकसित करने के लिए, जिससे अभ्यर्थी आसानी से समझ सकें हैं कि न्यूज पेपर्स में से कौन-सी न्यूज पढ़नी है
- टेक्निकल टर्म्स और न्यूज़ से जुड़े जटिल कॉन्सेप्ट्स के बारे में सरल समझ विकसित करने के लिए

न्यूज़ टुडे डॉक्यूमेंट की मुख्य विशेषताएं

- **स्रोत:** इसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, न्यूज़ ऑन ए.आई.आर., इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, द मिंट जैसे कई स्रोतों से न्यूज को कवर किया जाता है।
- **भाग:** इसके तहत 4 पेज में दिन-भर की प्रमुख सुर्ख़ियों, अन्य सुर्ख़ियों और सुर्ख़ियों में रहे स्थल एवं व्यक्तित्व को कवर किया जाता है।
- **प्रमुख सुर्ख़ियां:** इसके तहत लगभग 200 शब्दों में पूरे दिन की प्रमुख सुर्ख़ियों को प्रस्तुत किया जाता है। इसमें हालिया घटनाक्रम को विस्तार से कवर किया जाता है।
- **अन्य सुर्ख़ियां और सुर्ख़ियों में रहे स्थल/ व्यक्तित्व:** इस भाग के तहत सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व, महत्वपूर्ण टर्म, संरक्षित क्षेत्र और प्रजातियों आदि को लगभग 90 शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है।

न्यूज़ टुडे वीडियो की मुख्य विशेषताएं

- **प्रमुख सुर्ख़ियां:** इसमें दिन की छह सबसे महत्वपूर्ण सुर्ख़ियों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है। इससे आप एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण न्यूज को खोजने में आपना कीमती समय बर्बाद किए बिना मुख्य घटनाक्रमों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं।
- **सुर्ख़ियों में रहे स्थल/ व्यक्तित्व:** इसमें सुर्ख़ियों में रहे एक महत्वपूर्ण स्थल या मशहूर व्यक्तित्व के बारे में बताया जाता है।
- **स्मरणीय तथ्य:** इस भाग में चर्चित विषयों को संक्षेप में कवर किया जाता है, जिससे आपको दुनिया भर के मौजूदा घटनाक्रमों की जानकारी मिलती रहती है।
- **प्रश्नोत्तरी:** प्रत्येक न्यूज टुडे वीडियो बुलेटिन के अंत में MCQs भी दिए जाते हैं। इसके जरिए हम न्यूज पर आपकी पकड़ का परीक्षण करते हैं। यह इंटरैक्टिव चरण आपकी लर्निंग को ज्ञानवर्धक के साथ-साथ मज़ेदार भी बनाता है। इससे आप घटनाक्रमों से जुड़े तथ्यों आदि को बेहतर तरीके से याद रख सकते हैं।
- **रिसोर्सेज:** वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में "न्यूज़ टुडे" के PDF का लिंक दिया जाता है। न्यूज़ टुडे का PDF डॉक्यूमेंट, न्यूज टुडे वीडियो के आपके अनुभव को और बेहतर बनाता है। साथ ही, MCQs आधारित प्रश्नोत्तरी आपकी लर्निंग को और मजबूत बनाती है।

रोजाना 9 PM पर न्यूज टुडे वीडियो बुलेटिन देखिए

न्यूज टुडे डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

न्यूज़ टुडे क्विज़ के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

5. चुनाव (Elections)

5.1. मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 (Chief Election Commissioner and other Election Commissioners Act, 2023)

सुर्ख़ियों में क्यों?

राष्ट्रपति ने **मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) विधेयक, 2023** को अपनी मंज़ूरी दे दी है। यह विधेयक अब अधिनियम बन चुका है।

इस अधिनियम के मुख्य प्रावधानों पर एक नज़र

नियुक्ति	• CEC और अन्य ECs की नियुक्ति **एक चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।**
चयन समिति	• चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे: ○ **अध्यक्ष:** प्रधान मंत्री, ○ प्रधान मंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और ○ लोक सभा में विपक्ष का नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता। • **खोज समिति:** यह समिति CEC और अन्य ECs के रूप में नियुक्ति के लिए चयन समिति के विचार हेतु **पांच व्यक्तियों** के नामों की एक सूची तैयार करेगी। ○ इस समिति की **अध्यक्षता कानून और न्याय मंत्री** द्वारा की जाएगी।
पात्रता मानदंड	• ऐसा व्यक्ति, जो भारत सरकार के **सचिव के पद के समकक्ष रैंक पर है या ऐसे पद पर रह चुका है,** और • वह **व्यक्ति ईमानदार** होना चाहिए। साथ ही, **उसे चुनाव के प्रबंधन और संचालन का ज्ञान व अनुभव होना चाहिए।**
वेतन	• **CEC और अन्य ECs को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन के समान वेतन दिया जाएगा।**
पदावधि	• CEC और अन्य ECs पद ग्रहण करने की तिथि से **छह वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक,** जो भी पहले हो, पद पर बने रहेंगे। • CEC और अन्य ECs **पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं** होंगे। • यदि किसी EC को CEC के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो उसका कार्यकाल EC और CEC के रूप में कुल मिलाकर **छह वर्ष से अधिक नहीं** होगा।
कार्य संचालन	• चुनाव आयोग के सभी कार्य सर्वसम्मति से संचालित किए जाएंगे। किसी मामले पर CEC और अन्य ECs के बीच मतभेद की स्थिति में, बहुमत के माध्यम से निर्णय किया जाएगा।
पद से हटाना और त्याग-पत्र	• CEC को हटाने की प्रक्रिया **सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने** की प्रक्रिया के **समान** ही होगी। ○ **CEC की सिफारिश के बिना अन्य ECs को पद से नहीं हटाया** जा सकता। ○ CEC और कोई भी EC **राष्ट्रपति को पत्र लिखकर किसी भी समय इस्तीफा** दे सकते हैं।

© Vision IAS

EC के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षोपाय	CEC और ECs की नियुक्ति से संबंधित न्यायिक निर्णय
संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) एक स्वायत्त **संवैधानिक प्राधिकरण** है। यह भारत में **संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है।** ➤ यह देश में **राज्य सभा, लोक सभा, राज्य विधान-मंडल, राष्ट्रपति तथा उप-राष्ट्रपति के पदों के लिए चुनावों का आयोजन और उसका संचालन** करता है। **अनुच्छेद 324(2):** भारत के राष्ट्रपति को CEC और अन्य ECs को नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है।	**अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ वाद (2023):** इस वाद में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति **भारत के प्रधान मंत्री, संसद में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश** से मिलकर बनी समिति द्वारा की जाएगी। ➤ इस निर्णय से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सरकार की सिफारिश के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी।

5.2. चुनाव प्रक्रिया और सुधार के पहलू (Aspects of Election Process and Reform)

हाल ही में, कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने **"चुनाव प्रक्रिया के विशिष्ट पहलुओं और उनमें सुधार[24]"** पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

एकल मतदाता सूची (Common Electoral Roll: CER)	• भारत में दो प्रकार की मतदाता सूचियां तैयार की जाती हैं, अर्थात् **सामान्य मतदाता सूची** (General electoral rolls) और **पृथक मतदाता सूची** (Separate electoral rolls)।
	• **संवैधानिक एवं कानूनी सुरक्षा उपाय:**
	  ○ **अनुच्छेद 324(1):** यह भारत के चुनाव आयोग को **संसद और राज्य विधान-मंडलों तथा राष्ट्रपति व उप-राष्ट्रपति के सभी चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार कराने तथा उन सभी चुनावों के संचालन की निगरानी, निर्देशन एवं नियंत्रण का अधिकार प्रदान** करता है।
	  ○ **अनुच्छेद 243K और 243ZA:** ये अधिनियम क्रमश: **पंचायतों व शहरी स्थानीय निकायों के सभी चुनावों के लिए राज्य चुनाव आयोग को मतदाता सूची तैयार कराने तथा उन सभी चुनावों के संचालन की निगरानी, निर्देशन एवं नियंत्रण का अधिकार प्रदान** करते हैं।
	  ○ **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950:** संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदाता सूचियों का निर्माण एवं संशोधन इस अधिनियम के **भाग IIB की धारा 13D** में निहित प्रावधानों के तहत शासित होते हैं।

चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करते समय गलत घोषणाएं (False Declarations During Filing of Nomination for Elections)	**कानूनी सुरक्षा** • चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को **निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के तहत फॉर्म 26 में** एक शपथ पत्र दाखिल करना होगा। • **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 33A:** उम्मीदवारों को ऐसे

[24] Specific aspects of the election process and their reform

PT 365 - राजव्यवस्था और शासन

	अपराधों के लिए उनके खिलाफ अदालत द्वारा तय किए गए आरोपों के बारे में जानकारी का खुलासा करने की आवश्यकता है, जिनके लिए- ○ दो साल से अधिक की सजा (कारावास) हो सकती है; तथा ○ दोष सिद्ध हो जाने पर एक वर्ष या अधिक की कैद हो सकती है। • **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 125A:** यह गलत जानकारी देने पर दंड से संबंधित है।
मतदान करने और चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु के बीच समानता स्थापित करना (Establishing Parity Between Minimum Age of Voting and Contesting Elections)	चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु हेतु संवैधानिक सुरक्षा उपाय: • **लोक सभा** (अनुच्छेद 84) और **विधान सभा** (अनुच्छेद 173) के लिए चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु **25 वर्ष** है। • **राज्य सभा (अनुच्छेद 84)** और **विधान परिषद** (अनुच्छेद 173) के लिए चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु **30 वर्ष** है।

5.3. एक साथ चुनाव (Simultaneous Elections)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सरकार ने **भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद** के नेतृत्व में आठ सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह समिति **"पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने एक राष्ट्र-एक चुनाव"** की संभावनाओं की जांच करेगी और इस पर सिफारिशें भी करेगी।

एक साथ चुनाव के बारे में

- भारत में इसका आशय **लोक सभा, राज्य विधान सभाओं, नगरपालिकाओं और पंचायतों के चुनावों को एक साथ** संपन्न कराए जाने से है। ऐसा होने पर किसी **विशेष निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता इन सभी चुनावों के लिए एक ही दिन मतदान** कर सकेंगे।
- एक साथ चुनाव का आशय यह नहीं है कि **संपूर्ण देश में इन सभी चुनावों के लिए एक ही दिन मतदान हो।**
  - इसे मौजूदा व्यवस्था के अनुसार अलग-अलग क्षेत्रों में **चरण-वार तरीके** से आयोजित किया जा सकता है, बशर्ते किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता **एक ही दिन राज्य विधान सभा और लोक सभा दोनों के लिए मतदान करें।**
- **एक साथ चुनाव की व्यवस्था 1967 तक जारी थी।** हालांकि, 1968 और 1969 में कुछ विधान सभाओं और 1970 में लोक सभा के विघटन के बाद इस व्यवस्था का क्रम टूट गया। इस प्रकार राज्य विधान सभाओं और लोक सभा के चुनाव अलग-अलग आयोजित किए जाने लगे।
- बाद में, **1983 में निर्वाचन आयोग** द्वारा 'एक साथ चुनाव' का विचार **प्रस्तावित किया गया था।**
- **दिनेश गोस्वामी समिति** ने भी इसकी सिफारिश की थी।

5.4. राजनीति का अपराधीकरण (Criminalization of Politics)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में **"भारत के लोक सभा और राज्य सभा के वर्तमान सांसदों का विश्लेषण[25] 2023"** शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है।

[25] Analysis of Sitting MPs from Lok Sabha and Rajya Sabha of India

© Vision IAS

अन्य संबंधित तथ्य

- इस रिपोर्ट को **एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR)** और **नेशनल इलेक्शन वॉच** ने जारी किया है।
    - **1999** में IIM[26], अहमदाबाद के प्रोफेसरों के एक समूह ने **ADR की स्थापना** की थी।
- **केरल** में ऐसे सांसदों की संख्या सबसे अधिक है, जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके बाद **बिहार और महाराष्ट्र** का स्थान है।
- **राजनीति का अपराधीकरण** से आशय अपराधियों, कानून तोड़ने वालों और भ्रष्ट व्यक्तियों द्वारा राजनीति में प्रवेश करने से है।

चुनाव सुधारों से संबंधित अलग-अलग आयोग/ समितियां:

- **एन.एन. वोहरा समिति रिपोर्ट (1993):** इस रिपोर्ट में राजनीति के अपराधीकरण पर यह तथ्य प्रकट किया गया था कि देश के अलग-अलग हिस्सों में मौजूद आपराधिक गुटों, पुलिस, नौकरशाहों और राजनेताओं के बीच सांठगांठ स्पष्ट रूप से सामने आई है।
- **अन्य आयोग:** संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग (2001), दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग (2005) आदि।

दोषी ठहराया गए उम्मीदवार के संदर्भ में कानूनी सुरक्षोपाय

- **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3):** इसके अनुसार, कोई भी कानून-निर्माता (विधायक/ सांसद) जिसे **कम-से-कम दो वर्ष के कारावास** की सजा सुनाई गई हो तो वह **दोषी ठहराए** जाने की तिथि से **सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य** माना जाएगा। साथ ही, ऐसे व्यक्ति को **सजा पूरी होने की तिथि से 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित** कर दिया जाएगा।
- **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (1951) की धारा 8(4):** इसके तहत किसी मामले में दोषी ठहराए गए सांसद/ विधायक को अपनी दोषसिद्धि के निर्णय के खिलाफ की गई अपील का निपटान होने तक पद पर बने रहने की अनुमति मिली हुई थी। उन्हें उच्चतर न्यायपालिका में **तीन माह के भीतर** अपील करने की अनुमति दी गई थी, तब तक वे अपने पद पर बने रह सकते थे।
    - **लिली थॉमस बनाम भारत संघ वाद (2013):** सुप्रीम कोर्ट ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (1951) की **धारा 8(4)** को असंवैधानिक घोषित कर दिया था।

राजनीति के अपराधीकरण से संबंधित न्यायिक निर्णय

- **भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वाद (2002):** सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतदाताओं को उम्मीदवारों के जीवन से जुड़े कानूनी मामलों के बारे में जानने का मूल अधिकार प्राप्त है।
- **पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) बनाम भारत संघ वाद (2004):** सुप्रीम कोर्ट ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा **33B को असंवैधानिक और अमान्य घोषित** कर दिया था।
    - यह धारा उम्मीदवारों को **केवल अधिनियम के तहत ही जानकारी प्रदान** करने की अनुमति देती थी।
- **पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बनाम भारत संघ वाद (2018):** सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड्स को **अपनी वेबसाइट्स, सोशल मीडिया हैंडल्स और समाचार-पत्रों** में प्रकाशित करने का आदेश दिया था।
- **रामबाबू सिंह ठाकुर बनाम सुनील अरोड़ा वाद (2020):** सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2018 के निर्देशों को दोहराया। साथ ही न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि वह राजनीतिक दलों द्वारा किसी भी गैर-अनुपालन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करे।

5.5. चुनावी फंडिंग (Electoral Funding)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI)[27] से **चुनावी बॉण्ड के जरिए राजनीतिक दलों को मिले धन का डेटा पेश करने का निर्देश** दिया है। इसके लिए **30 सितंबर, 2023 तक का डेटा** मांगा गया है।

[26] Indian Institute of Management/ भारतीय प्रबंधन संस्थान

- **2019 में चुनावी बॉण्ड** के खिलाफ **एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR)** की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने ECI को राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त चुनावी बॉण्ड पर डेटा पेश करने का निर्देश दिया था।
  - भारतीय स्टेट बैंक ने खुलासा किया है कि **केवल 25 राजनीतिक दलों ने ही चुनावी बॉण्ड्स प्राप्त करने के लिए आवश्यक बैंक खाते खोले हैं।**

चुनावी बॉण्ड्स (Electoral Bonds)

- चुनावी बॉण्ड्स वस्तुतः **धारक को मिलने वाले ब्याज रहित या ब्याज-मुक्त लिखत**[28] होते हैं। इन्हें **भारत का कोई नागरिक या भारत में निगमित या स्थापित कंपनियां/ संस्थाएं** खरीद सकते/ सकती हैं। **केवल भारतीय स्टेट बैंक को ही चुनावी बॉण्ड बेचने के लिए अधिकृत** किया गया है।
- चुनावी बॉण्ड्स की शुरुआत **2017-18** में की गई थी।
- भारतीय स्टेट बैंक द्वारा इन्हें **1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये** के रेंज में बेचा जाता है।
- चुनावी बॉण्ड्स को **KYC**[29] **नियमों के पालन में खोले गए खातों के जरिए ही खरीदा** जा सकता है।
- कोई व्यक्ति या कंपनी कितनी भी संख्या में चुनावी बॉण्ड्स खरीद सकता/ सकती है।
  - ये **जनवरी, अप्रैल, जुलाई** और **अक्टूबर** माह में **10 दिनों की अवधि के लिए खरीद हेतु** उपलब्ध रहते हैं।
  - चुनावी बॉण्ड्स के सभी लेन-देन **चेक या डिजिटल** माध्यम से किए जाते हैं।
  - **दानदाताओं की पहचान गोपनीय** रखी जाती है। इससे उनके राजनीतिक जुड़ाव के बावजूद प्रतिशोध या धमकी का जोखिम कम हो जाता है।

5.6. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News)

राष्ट्रीय दल का दर्जा (National Party Status)	• **चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968** के तहत अब **ECI द्वारा मान्यता प्राप्त छह राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं।** चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 राष्ट्रीय या राज्य दल के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए मानदंड निर्धारित करता है। ○ **वर्तमान में मान्यता प्राप्त छह राष्ट्रीय दल हैं:** भारतीय जनता पार्टी (BJP), भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC), बहुजन समाज पार्टी (BSP), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) (मार्क्सवादी), नेशनल पीपुल्स पार्टी (NPP) और आम आदमी पार्टी (AAP)। • **किसी दल का राष्ट्रीय दर्जा कैसे निर्धारित किया जाता है?** ○ **लोक सभा, राज्य विधान सभा चुनावों में वोट:** उस दल को लोक सभा या विधान सभा चुनावों में **चार या अधिक राज्यों में कम से कम 6 प्रतिशत वोट** प्राप्त होने चाहिए। इसके अलावा, **लोक सभा में उस दल के कम से कम चार सदस्य** होने चाहिए। ○ **लोक सभा में सीटें:** उस दल को कुल लोक सभा सीटों का कम से कम **2 प्रतिशत** प्राप्त होना चाहिए और इन सीटों के उम्मीदवार **कम से कम तीन राज्यों से होने चाहिए।** ○ उसे **कम-से-कम चार राज्यों में एक राज्य दल** के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। • **राष्ट्रीय दल के दर्जा के क्या लाभ हैं?** ○ पूरे भारत में इसके द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों को **इसके आरक्षित चुनाव चिह्न को अनन्य तौर पर आवंटित** किया जाता है। ○ **किसी उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव करने के लिए केवल एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है,** ताकि वह नामांकन दाखिल कर सके।

PT 365 - राजव्यवस्था और शासन

[27] Election Commission of India

[28] Interest-free bearer bonds or money instruments

[29] Know Your Customer/ अपने ग्राहक को जानो

© Vision IAS

	○ आम चुनाव के दौरान **आकाशवाणी/दूरदर्शन पर प्रसारण की सुविधाएं** प्राप्त होती हैं। ○ यह **अधिकतम 40-स्टार प्रचारक नामांकित** कर सकता है, जबकि अन्य दलों को अधिकतम 20-स्टार प्रचारक नामांकित करने की ही अनुमति होती है।
स्टार प्रचारक	• **भारत के निर्वाचन आयोग (ECI) ने सभी स्टार प्रचारकों को एडवाइजरी** को सलाह दी है कि **वे आदर्श आचार संहिता (MCC)** के प्रावधानों का पालन करें। साथ ही, **वे कुछ भी ऐसा बोलने से बचें,** जो चुनाव के माहौल को खराब कर सकता है। • **स्टार प्रचारकों के बारे में** ○ **स्टार प्रचारकों को राजनीतिक दल नामित** करते हैं। ये एक **निर्धारित अवधि के लिए कुछ विशेष निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रचार करते हैं।** ○ **स्टार प्रचारक किसे बनाया जा सकता है और किसे नहीं बनाया जा सकता है, इसे निर्धारित करने वाला कोई कानून उपलब्ध नहीं है।** ○ **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951 की धारा 77(1)** के तहत स्टार प्रचारकों की सूची **मुख्य निर्वाचन अधिकारी और भारत के निर्वाचन आयोग को** अनिवार्य रूप से भेजी जानी चाहिए। ऐसा चुनाव की अधिसूचना जारी होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर किया जाना चाहिए। ○ एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल में **40 स्टार प्रचारक** हो सकते हैं। एक गैर-मान्यता प्राप्त (लेकिन पंजीकृत) राजनीतिक दल में 20 स्टार प्रचारकों की अनुमति है। ○ **चुनावी व्यय:** RPA, 1951 की **धारा 77(1)** के अनुसार, **किसी राजनीतिक दल के प्रचार कार्यक्रम के लिए हवाई या परिवहन के किसी अन्य साधन से की गई यात्राओं के व्यय को उम्मीदवार के चुनावी व्यय के रूप में नहीं** गिना जाएगा।
मुफ्त उपहार (Freebies)	• मतदाताओं को लुभाने हेतु मुफ्त उपहार (Freebies), मुफ्त शराब जैसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने मानक संचालन प्रक्रिया (SoP) जारी की है। ○ चुनावी मुफ्त उपहार **राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी वादों के भाग के रूप में तर्कहीन मुफ्त उपहारों की पेशकश/वितरण है,** जैसे, प्रेशर कुकर, वाशिंग मशीन, टेलीविजन सेट आदि का निःशुल्क वितरण। • इस SoP का उद्देश्य विधान सभा और आम चुनावों के दौरान **संदिग्ध नकदी, अवैध शराब, नशीले पदार्थ, मुफ्त उपहार तथा तस्करी की वस्तुओं के इस्तेमाल को रोकना है।** • **SoP के मुख्य बिंदु:** ○ **GST और सीमा शुल्क अधिकारी** मतदाताओं को लुभाने के लिए **कूपन आधारित या मुफ्त में ईंधन या नकदी के वितरण की निगरानी करेंगे।** ○ वाहनों की जांच करने और भंडारगृहों के सत्यापन के लिए **फ्लाइंग स्क्वायड व स्टैटिक सर्विलांस टीम** गठित की जाएगी। ○ निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों या राजनीतिक दल से संबंधित साड़ी, शर्ट, दल से संबद्ध झंडों आदि को लाने ले जाने व वितरण पर नजर रखना। यह कार्य GST टीम ई-वे बिलों की जांच करके संपन्न करेगी। ई-वे बिल न होने पर इन सामानों को जब्त कर लिया जाएगा।
चुनावी खर्च	• हाल ही में, अलग-अलग राजनीतिक दलों ने विधान सभा चुनाव की घोषणा से कुछ हफ्तों पहले अपने **उम्मीदवारों के नामों की घोषणा** की है। इस कदम ने निर्वाचन आयोग (EC) के **चुनाव व्यय निगरानी नियमों की खामियों को उजागर** किया है।

	○ ये नियम **उम्मीदवारों का नामांकन दाखिल होने के बाद ही उनके व्यय के लेखांकन का प्रावधान करते हैं न कि चुनाव की घोषणा होने की तिथि से।** • **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951 की धारा 77(1)** के अनुसार, उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि वे **नामांकन की तारीख से लेकर चुनाव परिणाम घोषित होने की तारीख तक अपने खर्च का हिसाब रखें।** ○ **चुनाव खर्च के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक खर्च** करना **RPA, 1951 की धारा 123(6) के तहत भ्रष्ट आचरण** माना जाता है।
चुनावी साक्षरता (Electoral Literacy)	• हाल ही में, भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने **चुनावी साक्षरता को देशभर के स्कूलों तक ले जाने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर** किए हैं। • **चुनावी साक्षरता पर MoU से जुड़े मुख्य बिंदु/ विशेषताएं** ○ इसका उद्देश्य सभी स्कूलों में **कक्षा 6 से 12 तक के पाठ्यक्रम में मतदाता शिक्षा और चुनावी साक्षरता को शामिल** करना है। • **चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहलें** ○ **सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता (SVEEP)**[30] **कार्यक्रम:** यह ECI का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य भारत में **मतदाता शिक्षा प्रदान करना, मतदाताओं के बीच जागरूकता बढ़ाना और मतदाता की जानकारी को बढ़ावा** देना है। 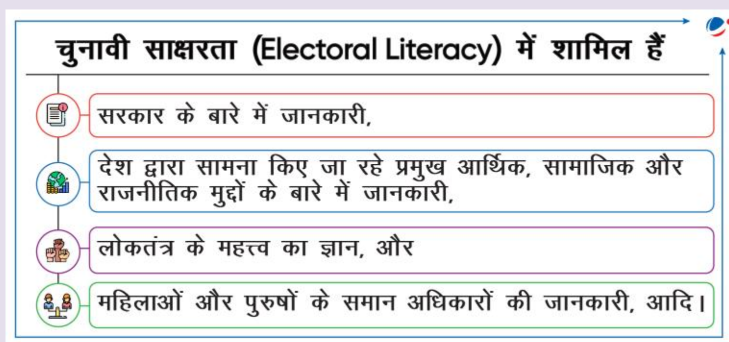 ○ **चुनावी साक्षरता क्लब (ELCs):** SVEEP अभियान के तहत ECI **देश भर के संस्थानों के परिसरों में ELCs स्थापित** कर रहा है। ▪ ELCs रुचिकर गतिविधियों के जरिए **स्कूली छात्रों को चुनावी साक्षरता में शामिल करने का एक मंच है।** यह उन्हें उनके चुनावी अधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाएगा। साथ ही, उन्हें पंजीकरण एवं मतदान की चुनावी प्रक्रिया से परिचित कराएगा।
इनेबलिंग कम्युनिकेशंस ऑन रियल-टाइम एनवायरनमेंट (ENCORE)	• **भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI)** ने 'एनकोर (ENCORE)' के माध्यम से **उम्मीदवारों एवं चुनाव से संबंधित संपूर्ण प्रबंधन के लिए एक इन-हाउस सॉफ्टवेयर डिजाइन** किया है। ○ यह एक **एंड-टू-एंड एप्लीकेशन** है। यह रिटर्निंग अधिकारियों को **डाले गए वोटों को डिजिटल रूप देने, राउंड-वार डेटा को सारणीबद्ध करने और फिर मतगणना की अलग-अलग वैधानिक रिपोर्ट प्राप्त** करने में सक्षम बनाएगा। • **एनकोर स्क्रूटनी:** यह ECI की एक **एप्लीकेशन** है। ○ यह रिटर्निंग अधिकारियों को **उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन दाखिल किए गए नामांकन की जांच करने में सक्षम** बनाता है।

30 Systematic Voter Education and Electoral Participation

© Vision IAS

	• **एनकोर नोडल ऐप:** इसके माध्यम से **अग्निशमन, शिक्षा, पुलिस, पर्यावरण जैसे विभाग राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों को रैलियां व रोड शो आयोजित करने के लिए 'अनापत्ति' प्रमाण-पत्र** देते हैं।
वोटर-वेरिफ़िएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT)	• **ECI** ने EVM-VVPAT प्रणाली का बचाव किया है और **डेटा के 100% क्रॉस वेरिफिकेशन** की मांग वाली एक याचिका को पुरानी व्यवस्था की ओर जाने का विचार बताया है। • **निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के नियम 56D और 49MA,** EVM-VVPAT वेरिफिकेशन से संबंधित मतदाता द्वारा व्यक्त की गई सभी चिंताओं के निवारण का प्रावधान करते हैं। • VVPAT मतदाताओं को **7 सेकंड के लिए एक प्रिंटेड स्लिप देखने की सुविधा** देता है। इस स्लिप में चुने हुए उम्मीदवार का **क्रमांक, नाम और प्रतीक दर्शाया** जाता है।

6. महत्वपूर्ण अधिनियम/ विधेयक (Important Legislations/Bills)

6.1. नारी शक्ति वंदन {संविधान (106वां संविधान संशोधन)} अधिनियम, 2023 [Nari Shakti Vandan {Constitution (106th Amendment)} Act, 2023]

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संसद ने **संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023** पारित किया है। इसका उद्देश्य **लोक सभा, राज्य विधान सभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) दिल्ली की विधान सभा में महिलाओं को एक-तिहाई सीटों पर आरक्षण प्रदान** करना है।

अधिनियम के मुख्य प्रावधान

- **इस अधिनियम के तहत संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में संशोधन किया गया है:**
  - **अनुच्छेद 239AA: दिल्ली विधान सभा** में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने के लिए **अनुच्छेद 239AA** में संशोधन किया गया है।
- **संविधान में निम्नलिखित नए अनुच्छेदों को जोड़ा गया है:**
  - **अनुच्छेद 330A और अनुच्छेद 332A: लोक सभा और राज्य विधान सभाओं** में महिलाओं को एक-तिहाई सीटों पर आरक्षण के प्रावधान किया गया है।
    - **अनुच्छेद 330** और **अनुच्छेद 332** के तहत **लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कुल सीटों** पर भी महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
  - **अनुच्छेद 334A:** महिलाओं के लिए आरक्षण इस अधिनियम के लागू होने के बाद जो **पहली जनगणना आयोजित होगी, उसके आधार पर परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद** लागू होगा।
    - **सूर्यास्त खंड (Sunset clause):** महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण की अवधि इस आरक्षण कानून के लागू होने की तारीख से **15 वर्षों तक जारी** रहेगी। हालांकि, **संसद कानून बनाकर महिलाओं के लिए आरक्षण की अवधि को आगे भी जारी** रख सकती है।
    - महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का **आवधिक रोटेशन प्रत्येक आगामी परिसीमन** के बाद किया जाएगा।
    - इस अधिनियम के उपबंध **मौजूदा विधान सभाओं और लोक सभा के विघटन तक किसी भी प्रतिनिधित्व को प्रभावित नहीं करेंगे।**
- हाल ही में, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2023 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2023 संसद द्वारा अधिनियमित किए गए हैं।
  - वे क्रमशः **जम्मू-कश्मीर और पुदुचेरी विधानसभा** में महिलाओं के लिए **33% सीटें आरक्षित** करना चाहते हैं।

6.2. बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2023 {Multi-State Co-operative Societies (Amendment) Act, 2023}

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत के राष्ट्रपति ने बहु-राज्य सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2022 को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक **बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 में संशोधन** करेगा।

बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के बारे में

- **उद्देश्य:** उन सहकारी समितियों से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करना, जिनके उद्देश्य एक राज्य तक ही सीमित नहीं हैं और जो एक से अधिक राज्यों में सदस्यों के हितों की पूर्ति करती हैं।
  - स्व-सहायता और पारस्परिक सहायता के आधार पर लोगों की संस्थाओं के रूप में सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन तथा लोकतांत्रिक कामकाज को सुगम बनाना।
- **अन्य घटनाक्रम:** केंद्रीय मंत्रिमंडल ने MSCS अधिनियम, 2002 के तहत राष्ट्रीय स्तर की **तीन बहु-राज्य सहकारी समितियों** के गठन को मंजूरी दी है। ये हैं:
  - **राष्ट्रीय बहु-राज्य सहकारी निर्यात समिति,**
  - **राष्ट्रीय बहु-राज्य सहकारी जैविक (ऑर्गेनिक) समिति,** और
  - **राष्ट्रीय बहु-राज्य सहकारी बीज समिति।**

अधिनियम के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण का गठन**
  - इसमें **एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा अधिकतम 3 सदस्य** शामिल होंगे। केंद्र सरकार चयन समिति के सुझावों के आधार पर इन सदस्यों की नियुक्ति करेगी।
- **सहकारी समितियों का समामेलन और विभाजन:** राज्य सहकारी समितियों को संबंधित राज्य के कानूनों के तहत पंजीकृत **मौजूदा MSCS में विलय** करने की अनुमति होगी।
- रुग्ण सहकारी समितियों के पुनरुद्धार के लिए **सहकारी पुनर्वास, पुनर्निर्माण और विकास कोष (CRRDF)** की शुरुआत की गई है।
- **सरकारी शेयरधारिता के मोचन (redemption) पर प्रतिबंध:** अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि MSCS में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा धारित किसी भी शेयर को शेयरधारकों की पूर्व स्वीकृति के बिना भुनाया नहीं जा सकता है।
- **शिकायतों का निवारण:** केंद्र सरकार प्रादेशिक क्षेत्राधिकार वाले **एक या एक से अधिक सहकारी लोकपाल की नियुक्ति** करेगी।
  - लोकपाल के निर्देशों के खिलाफ **केंद्रीय रजिस्ट्रार के पास अपील दायर** की जा सकती है।
- **निदेशक मंडल की संरचना:** अधिनियम के तहत, एक बहु-राज्य सहकारी समिति के बोर्ड में **अधिकतम 21 निदेशक** हो सकते हैं।
  - इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
    - एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य, और
    - दो महिला सदस्य।

सहकारी समितियों के बारे में

- सहकारी समिति समान आवश्यकता वाले व्यक्तियों का एक **स्वैच्छिक संगठन** होती है। समिति में शामिल लोग साझा आर्थिक हितों की प्राप्ति के लिए एक साथ कार्य करते हैं।
- सहकारिता **राज्य सूची का एक विषय** है।
- सहकारिता का विषय मुख्य रूप से केंद्र सरकार के समर्थन और मार्गदर्शन के साथ राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के अधीन है।

सहकारी समितियों के लिए संवैधानिक और कानूनी प्रावधान

सातवीं अनुसूची	सहकारी समिति **सातवीं अनुसूची के तहत राज्य सूची** का विषय है।
अनुच्छेद 19(1)(c)	सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाना। **97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011** ने सहकारी समितियों के गठन को मौलिक अधिकार बना दिया।
अनुच्छेद 43B (राज्य की नीति के निदेशक तत्व)	**राज्य** सहकारी समितियों के **स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन** को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा।
भाग IX–B	यह **सहकारी समितियों के निगमन, बोर्ड के सदस्यों और पदाधिकारियों के लिए शर्तों तथा सहकारी समितियों के प्रभावी प्रबंधन से संबंधित है।** भाग IX–B में अनुच्छेद 243ZH से लेकर अनुच्छेद 243ZT शामिल हैं।
बहु–राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002	यह **एक से अधिक राज्य में संचालित होने वाली सहकारी समितियों के पंजीकरण** का प्रावधान करता है।

- **महाराष्ट्र में सहकारी समितियों की सबसे अधिक संख्या (663) है,** इसके बाद उत्तर प्रदेश (168) का स्थान है।

6.3. सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) अधिनियम, 2023 {Cinematograph (Amendment) Act, 2023}

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत के राष्ट्रपति ने सिनेमैटोग्राफी (संशोधन) अधिनियम, 2023 को मंजूरी दे दी है।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह **सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 में संशोधन का प्रावधान** करता है। इस अधिनियम को **सिनेमैटोग्राफ फिल्मों को प्रदर्शन हेतु प्रमाणित करने और सिनेमैटोग्राफ का उपयोग करके प्रदर्शनों को विनियमित** करने के संबंध में प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया था।
  - 1952 के अधिनियम में फिल्मों को प्रदर्शन हेतु प्रमाणित करने के लिए **केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC)** के गठन का प्रावधान किया गया था।
  - CBFC द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्र कंटेंट के अनुसार संशोधित या समाप्त किए जा सकते हैं।
  - यह बोर्ड फिल्मों के प्रदर्शन पर रोक भी लगा सकता है।

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (Central Board of Film Certification: CBFC) — सांविधिक निकाय

- **CBFC के बारे में:** यह **सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952** के प्रावधानों के तहत फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन को नियंत्रित करता है।
- **मंत्रालय:** सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
- **विज़न:** सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 और सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 1983 के प्रावधानों के अनुसार **उचित तथा स्वस्थ मनोरंजन सुनिश्चित करना।**
- **संरचना:** इसमें कुछ **गैर–सरकारी सदस्य** और **एक अध्यक्ष** शामिल होते हैं। इन सभी की **नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।**
- **नौ क्षेत्रीय कार्यालय:** ये कार्यालय मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, नई दिल्ली, कटक और गुवाहाटी में स्थित हैं।

अधिनियम के मुख्य प्रावधानों पर एक नज़र

विशेषताएं	विवरण
आयु-आधारित प्रमाण-पत्र	• यह अधिनियम **'UA' श्रेणी के तहत तीन आयु-आधारित प्रमाण-पत्र** प्रस्तुत करता है। ये प्रमाण-पत्र **'UA 7+', 'UA 13+'** और **'UA 16+'** हैं। • ये आयु-आधारित मानक माता-पिता या अभिभावकों के लिए बनाए गए हैं। इनके माध्यम से वे यह निर्धारित कर सकते हैं कि क्या उनके बच्चों को ऐसी फिल्म देखनी चाहिए अथवा नहीं। • ये **केवल अनुशंसात्मक** हैं।
टेलीविजन/ अन्य मीडिया के लिए अलग प्रमाण-पत्र	• **'A'** या **'S' प्रमाण-पत्र** वाली फिल्मों को टेलीविजन या केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य मीडिया पर प्रदर्शन के लिए **एक अलग प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।**
ये प्रमाण-पत्र हमेशा के लिए वैध रहेंगे	• ये प्रमाण-पत्र **10 वर्ष की वर्तमान वैधता** के विपरीत **हमेशा के लिए वैध** होंगे।
केंद्र सरकार की पुनरीक्षण शक्तियां	• यह अधिनियम **भारत संघ बनाम के. एम. शंकरप्पा वाद, 2000 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश के अनुरूप अधिनियम की धारा 6(1) को निरस्त करता है।** इस वाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह निर्णय दिया गया था कि केंद्र, CBFC द्वारा पहले से प्रमाणित फिल्मों पर पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है।

फिल्म–प्रमाणन की श्रेणियां

श्रेणी	प्रमाणित दर्शक
U	इस श्रेणी की फिल्मों को बिना किसी प्रतिबंध के सभी आयु वर्ग के व्यक्ति देख सकते हैं।
UA	इस श्रेणी की फिल्में 12 साल से कम उम्र के बच्चे अपने अभिभावक के मार्गदर्शन में ही देख सकते हैं।
A	इस श्रेणी की फिल्मों को केवल वयस्क ही देख सकते हैं।
S	इस श्रेणी की फिल्मों को कुछ विशेष वर्ग के लोग ही देख सकते हैं।

फिल्मों की पायरेसी को दंडनीय अपराध बनाना	• यह अधिनियम फिल्मों की अनधिकृत रिकॉर्डिंग और उनके अनधिकृत प्रदर्शन पर रोक लगाता है। साथ ही, इसे **कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध** बनाता है।
अर्थदंड	• पायरेसी को एक आपराधिक अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें **तीन साल तक की कारागार** की सजा, **फिल्म की उत्पादन लागत का पांच प्रतिशत जुर्माना या दोनों** का प्रावधान है।

6.3.1. भारत में OTT विनियमन (OTT Regulation in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, डिजिटल प्रकाशक कंटेंट शिकायत परिषद (DPCGC)[31] ने आई.टी. नियमावली, 2021 के आधार पर एक OTT पर दंडात्मक कार्रवाई की सिफारिश की है।

ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म (OTT) क्या है?

- **OTT ऐसी सेवाएं हैं,** जो दर्शकों को **सीधे इंटरनेट के माध्यम से** फिल्मों, टी.वी. कार्यक्रम और अन्य मीडिया कंटेंट तक पहुंच प्रदान करती हैं। इनमें **केबल या सैटेलाइट का उपयोग नहीं** किया जाता है।
- भारत की विनियामकीय भाषा में, OTT प्लेटफॉर्म्स को **'ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट का प्रकाशक'** कहा जाता है।

डिजिटल प्रकाशक कंटेंट शिकायत परिषद (Digital Publisher Content Grievances Council: DPCGC)

उत्पत्तिः इसे 2021 में **इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI) के तत्वावधान में स्थापित** किया गया था।

मंत्रालयः सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा पंजीकृत

सौंपे गए कार्यः

- यह आधिकारिक तौर पर **मान्यता प्राप्त एक स्वतंत्र और स्व–विनियामक निकाय** है। इसे ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्रदाताओं (OCCPs) के लिए गठित किया गया है।
- यह लोगों की शिकायतों का निष्पक्ष रूप से समाधान करने तथा अनौपचारिक हस्तक्षेपों के बिना कंटेंट प्रदर्शित करने के बीच संतुलन सुनिश्चित करता है। इस उद्देश्य के लिए यह एक **निवारण तंत्र** के रूप में कार्य करता है।
- **DPCGC के सदस्यों को IT नियम, 2021** और अन्य मौजूदा या नए कानूनों तथा ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट के प्रकाशन से संबंधित नियमों/ विनियमों/ दिशा–निर्देशों आदि का **पालन** करना होता है।

भारत में OTT विनियमन के लिए वर्तमान तंत्र

- **मौजूदा कानून: OTT प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारित होने वाले कंटेंट पर निम्नलिखित कानून लागू होते हैं-**
    - सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम[32], 2000;
    - भारतीय दंड संहिता[33], 1860; और
    - स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम[34], 1986
- **नए आई.टी. नियम, 2021:** सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की **धारा 87(2)** के तहत **सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियमावली, 2021** जारी की है। इसके प्रमुख प्रावधानों में निम्नलिखित शामिल हैं:
    - उपर्युक्त नियमों के द्वारा **सूचना और प्रसारण (I&B) मंत्रालय** OTT तथा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारित कंटेंट को विनियमित कर सकता है।

---

[31] Digital Publisher Content Grievances Council

[32] Information Technology Act

[33] Indian Penal Code

[34] Indecent Representation of Women (Prohibition) Act

- **ऑनलाइन समाचार, OTT प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल मीडिया के लिए आचार संहिता:** यह आचार संहिता OTT प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन समाचार और डिजिटल मीडिया संस्थानों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले दिशा-निर्देशों को निर्धारित करती है।
- **कंटेंट का स्व-वर्गीकरण:** OTT प्लेटफॉर्म्स के कंटेंट को पांच आयु-आधारित श्रेणियों में स्व-वर्गीकृत किया जाएगा।

U (यूनिवर्सल)	U/A 7+	U/A 13+	U/A 16+	A (वयस्क)

- **पेरेंटल लॉक:** प्लेटफॉर्म्स को U/A 13+ या उससे उच्च श्रेणी के रूप में वर्गीकृत कंटेंट के लिए **पेरेंटल लॉक** लागू करना होगा। साथ ही, "A" के रूप में वर्गीकृत कंटेंट के लिए उचित या विश्वसनीय आयु सत्यापन तंत्र विकसित करना होगा।
- **सह-विनियमन दृष्टिकोण:** OTT विनियमन के लिए भारत के दृष्टिकोण को एक **हल्के-फुल्के 'सह-विनियमन' मॉडल** के रूप में माना जा सकता है। इसमें उद्योग स्तर पर **'स्व-विनियमन'** और मंत्रालय स्तर पर मुख्य **'निगरानी तंत्र'** शामिल है।

COTP[35] फिल्म नियम

इन नियमों के तहत, अब सभी OTT प्लेटफॉर्म्स को तंबाकू के उपयोग के दुष्प्रभावों पर स्पष्ट मैसेज और ऑडियो-विजुअल अस्वीकरण प्रदर्शित करना होगा।

6.4. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (Digital Personal Data Protection Act, 2023)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत के राष्ट्रपति ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक (DPDP)[36], 2023 को मंजूरी दी है।

पृष्ठभूमि

- 2017 में, सुप्रीम कोर्ट ने **के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ वाद में निजता (Privacy)** को मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी थी।
- इसके बाद, **न्यायमूर्ति श्रीकृष्ण की अध्यक्षता वाली समिति** ने 2018 में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (PDP)[37] विधेयक का शुरूआती मसौदा प्रस्तुत किया था।

DPDP अधिनियम, 2023 के बारे में

- DPDP अधिनियम का मुख्य उद्देश्य **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग को विनियमित करना** है। इसमें व्यक्तियों के **व्यक्तिगत डेटा के संरक्षण के अधिकार** को सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है।
- यह अधिनियम **निम्नलिखित प्रावधानों के द्वारा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा का संरक्षण करता है:**
  - यह अधिनियम **डेटा प्रोसेसिंग** (अर्थात् व्यक्तिगत डेटा का संग्रहण, भंडारण या कोई और उपयोग) के लिए **डेटा फिड्यूशरी** पर कुछ उत्तरदायित्वों का निर्धारण करता है।
  - यह **डेटा प्रिंसिपल या डेटा स्वामी** (अर्थात् वह व्यक्ति जिससे डेटा संबंधित है) **के अधिकार और कर्तव्य** भी निर्धारित करता है।
  - साथ ही, यह अधिनियम अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों के **उल्लंघन के लिए वित्तीय दंड** का भी प्रावधान करता है।

अधिनियम के मुख्य प्रावधानों पर एक नज़र

विशेषताएं	विवरण
किस पर लागू होगा (Applicability)	• इसके प्रावधान **भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की 'प्रोसेसिंग' पर लागू होंगे,** जहां: ○ कोई डेटा, डिजिटल (ऑनलाइन) रूप में एकत्र किया गया हो, या ○ कोई डेटा, गैर- डिजिटल (ऑफलाइन) रूप में एकत्र किया गया हो और बाद में उसे डिजिटलीकृत किया गया हो। • इसके प्रावधान **भारत के बाहर** डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग पर भी लागू होंगे, यदि उस प्रोसेसिंग का उद्देश्य डेटा का उपयोग करके **भारत में वस्तुओं या सेवाओं को उपलब्ध कराना** है।

35 Cigarettes and Other Tobacco Products/ सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद

36 Digital Personal Data Protection Bill

37 Personal Data Protection

© Vision IAS

	• **इस अधिनियम के प्रावधान निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे:** ○ किसी भी **व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए प्रोसेस्ड (Processed) व्यक्तिगत डेटा;** ○ **व्यक्तिगत डेटा जिसे निम्नलिखित द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है-** ▪ यदि **डेटा प्रिंसिपल खुद अपना डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराता है; या** ▪ यदि कोई अन्य व्यक्ति **कानूनी दायित्व के तहत किसी के व्यक्तिगत डेटा को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराता है।**
सहमति (Consent)	• डेटा प्रिंसिपल द्वारा दी गई सहमति के बाद ही व्यक्तिगत डेटा को **प्रोसेस्ड त किया जा सकता है, वो भी केवल वैध उद्देश्य के लिए।** हालांकि, डेटा प्रिंसिपल को **किसी भी समय अपनी सहमति वापस लेने का अधिकार है।** ○ ऐसे मामले जिनमें सरकार की ओर से कोई लाभ या सेवा प्रदान की जा रही हो, या चिकित्सा आपात जैसी स्थिति आए तो **"वैध उपयोग" के लिए सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।** • किसी बालक या दिव्यांग व्यक्ति के मामले में उसके **माता-पिता या कानूनी संरक्षक द्वारा सहमति** प्रदान की जाएगी।
भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड (Data Protection Board of India: DPBI)	• इसमें **केंद्र सरकार द्वारा DPBI के गठन** का प्रावधान किया गया है। • **बोर्ड के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:** ○ **नियमों के अनुपालन की निगरानी करना** और उल्लंघन के मामले में जुर्माना लगाना। ○ डेटा उल्लंघन की स्थिति में **आवश्यक उपाय करने के लिए डेटा फिड्यूशरी को निर्देश देना।** ○ **प्रभावित व्यक्तियों द्वारा की गई शिकायतों की सुनवाई करना।** • बोर्ड के सदस्यों को **दो वर्ष के लिए नियुक्त** किया जाएगा और वे **पुनर्नियुक्ति के पात्र** होंगे। • DPBI के किसी निर्णय के विरुद्ध **दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय अधिकरण (TDSAT)**[38] में अपील की जा सकेगी।
डेटा प्रिंसिपल के अधिकार और कर्तव्य (Rights and Duties of Data Principal)	• डेटा प्रिंसिपल के पास निम्नलिखित अधिकार होंगे: ○ डेटा प्रोसेसिंग के बारे में **जानकारी प्राप्त करना,** ○ **व्यक्तिगत डेटा** को सुधारने और उसे हटाने की मांग करना, ○ **एक डेटा प्रिंसिपल को डेटा फिड्यूशरी के पास शिकायत दर्ज कराने का अधिकार होगा,** ○ **मृत्यु या अक्षमता की स्थिति में अधिकारों का प्रयोग करने के लिए किसी व्यक्ति को नामित करने का अधिकार।** • डेटा प्रिंसिपल **द्वारा झूठी या व्यर्थ की शिकायत दर्ज नहीं की जानी चाहिए** और **उसे कोई गलत विवरण नहीं देना चाहिए।** • कर्तव्यों का उल्लंघन करने पर **डेटा प्रिंसिपल पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।**
डेटा फिड्यूशरी के दायित्व	• **डेटा फिड्यूशरी (प्रोसेसिंग के उद्देश्य और तरीके को निर्धारित करने वाली इकाई) के निम्नलिखित दायित्व** होंगे; ○ डेटा की **सटीकता** और पूर्णता **सुनिश्चित करना,** ○ डेटा ब्रीच या उल्लंघन को रोकने के लिए **उचित सुरक्षात्मक उपाय करना,** ○ डेटा ब्रीच की स्थिति में **DPBI और प्रभावित व्यक्तियों को सूचित करना,** ○ **उद्देश्य पूरा हो जाने तथा कानूनी उद्देश्यों के लिए इसे बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होने पर व्यक्तिगत डेटा को डिलीट कर देना।**
महत्वपूर्ण डेटा फिड्यूशरी (Significant Data Fiduciaries: SDF)	• केंद्र सरकार किसी डेटा फिड्यूशियरी को **महत्वपूर्ण डेटा फिड्यूशियरी** घोषित कर सकती है, यदि: ○ वह अत्यधिक मात्रा में **संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा का प्रबंधन** करता है, ○ **डेटा प्रिंसिपल को नुकसान होने का जोखिम** है, और ○ **भारत की संप्रभुता और अखंडता,** ○ **राज्य की सुरक्षा,**

[38] Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal:

	○ **चुनावी लोकतंत्र और** ○ **लोक-व्यवस्था पर प्रभाव** पड़ने की संभावना है। • SDF के पास **डेटा सुरक्षा अधिकारी और एक स्वतंत्र डेटा ऑडिटर नियुक्त करने** तथा **प्रभाव आकलन करने** जैसे कुछ अतिरिक्त दायित्व भी होंगे।
अधिनियम के तहत दी गई छूट (Exemptions)	• डेटा प्रिंसिपल के अधिकार और डेटा फिड्यूशरी के दायित्व (डेटा सुरक्षा के अतिरिक्त) **निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होंगे:** ○ सुरक्षा, संप्रभुता, लोक व्यवस्था आदि के हित में **अधिसूचित एजेंसियां;** ○ **अनुसंधान, संग्रहण या सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए;** ○ **स्टार्ट-अप्स** या डेटा फिड्यूशरी की **अन्य अधिसूचित श्रेणियों के लिए;** ○ **कानूनी अधिकारों और दावों को लागू करने के लिए;** ○ **न्यायिक या विनियामक संबंधी कार्य करने के लिए;** ○ **अपराधों को रोकना और उनकी जांच करने के लिए;** ▪ विदेशी अनुबंध के तहत **गैर-निवासियों (Non-residents) के व्यक्तिगत डेटा को भी भारत में प्रोसेस किया जाएगा।** • इसके अलावा, **केंद्र सरकार** देश की सुरक्षा और लोक व्यवस्था के हित में कुछ **गतिविधियों को अधिनियम के प्रावधानों से छूट** दे सकती है।
बालकों के व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग	• किसी बच्चे के व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग करते समय, **डेटा फिड्यूशरी को निम्नलिखित कार्य नहीं करने चाहिए:** ○ **प्रोसेसिंग संबंधी ऐसा कार्य** जिससे बच्चे के कल्याण पर **कोई हानिकारक प्रभाव पड़ने की संभावना हो**, या ○ **बच्चे पर नजर रखना, व्यवहार संबंधी निगरानी करना या उन्हें लक्षित करके विज्ञापन करना।**
भारत के बाहर व्यक्तिगत डेटा का हस्तांतरण	• यह अधिनियम **सरकार द्वारा प्रतिबंधित देशों को छोड़कर, भारत के बाहर व्यक्तिगत डेटा के हस्तांतरण की अनुमति** देता है।
जुर्माना (Penalties)	• यह अधिनियम कई अपराधों के लिए जुर्माने का प्रावधान करता है जैसे कि- ○ **बच्चों से संबंधित दायित्वों को पूरा न करने पर 200 करोड़ रुपये तक का जुर्माना,** और ○ डेटा उल्लंघन को रोकने के लिए **सुरक्षात्मक उपाय न करने पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना।**

6.4.1. डिजिटल सर्विसेज एक्ट (Digital Services Act)

सुर्ख़ियों में क्यों?

यूरोपीय संघ (EU) ने पुष्टि की है कि यूरोपीय संघ के डिजिटल सर्विसेज एक्ट (DSA) के तहत ऑनलाइन कंटेंट रेगुलेशन कुल 19 प्लेटफॉर्म्स पर लागू किए जाएंगे।

DSA के बारे में

- DSA विश्व स्तर पर **अपनी तरह का पहला विनियामकीय टूलबॉक्स** है। यह ऑनलाइन मध्यवर्तियों हेतु विनियामकीय कार्य प्रणाली के लिए एक मानदंड निर्धारित करता है।
- 2020 में, DSA और डिजिटल मार्केट एक्ट के माध्यम से सुरक्षित व अधिक निष्पक्ष डिजिटल स्पेस सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। यह फ्रेमवर्क 2024 से लागू होगा।
    - **डिजिटल मार्केट एक्ट** के चलते गूगल, अमेज़ॅन और मेटा जैसे गेटकीपर प्लेटफॉर्म्स अधिक प्रभावित होंगे क्योंकि यह **लक्षित विज्ञापन के लिए व्यक्तिगत डेटा की प्रॉसेसिंग से पहले उपयोगकर्ता की सहमति को आवश्यक बनाता है।**

 © Vision IAS

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 और यूरोपीय संघ के DSA के बीच अंतर

प्रमुख प्रावधान	भारत का सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021	यूरोपीय संघ का DSA
विस्तार	भारत में **संचालित सोशल मीडिया मध्यवर्तियों, डिजिटल समाचार प्रकाशकों और ओवर द टॉप (OTT) प्लेटफॉर्म्स पर लागू** होता है, भले ही उनका उद्गम देश कोई भी हो।	DSA ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म की **व्यापक श्रेणी पर लागू होता है।** इसमें यूरोपीय संघ में संचालित सोशल मीडिया, ऑनलाइन मार्केटप्लेस और क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाएं भी शामिल हैं, भले ही उनका उद्गम देश कोई भी हो।
कंटेंट का विनियमन	इन नियमों के तहत **सोशल मीडिया मध्यवर्तियों को एक शिकायत अधिकारी, एक नोडल अधिकारी और एक मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना होता है।** साथ ही, उपयोगकर्ताओं से शिकायतें प्राप्त करने और उनका समाधान करने हेतु एक तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता होती है।	**DSA** कंटेंट विनियमन उपायों, पारदर्शिता दायित्वों और डेटा सुरक्षा आवश्यकताओं सहित ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के लिए **अनुपालन आवश्यकताओं की एक श्रृंखला प्रस्तावित करता है।**

- दोनों रूल्स नियमों के पालन की निगरानी और शिकायत निवारण के लिए **सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तार्किक आवश्यकताओं, कंटेंट के विनियमन तथा एक सह-विनियामकीय दृष्टिकोण** के मामले में समान हैं।

6.5. आपराधिक कानून में सुधार से संबंधित अधिनियम (Criminal Law Reform Acts)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के राष्ट्रपति ने देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में आमूलचूल सुधार हेतु तीन महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी दी।

6.5.1. भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023)

- **भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860** को **भारतीय न्याय संहिता, 2023 से प्रतिस्थापित** किया गया है। IPC, देश में क्रिमिनल ऑफेंस के लिए प्रमुख कानून है।

पृष्ठभूमि	भारतीय न्याय संहिता, 2023 के मुख्य प्रावधान

• **भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 से पहले:** भारतीय दाण्डिक कानूनों में संसदीय चार्टर व अधिनियम, ईस्ट इंडिया कंपनी के विनियम, हिंदू विधि, मुस्लिम कानून, प्रथागत कानून आदि से संबंधित नियम/ कानून शामिल थे।
• **थॉमस बैबिंगटन** की अध्यक्षता में **प्रथम भारतीय विधि आयोग** ने **1837 में भारतीय दंड संहिता (IPC)** का एक **मसौदा** तैयार किया था।
• **1857 के सैन्य विद्रोह का प्रभाव: 1860 में IPC को कानूनी रूप दिया गया।**
	• छोटे-मोटे अपराधों के लिए दंड के रूप में पहली बार **सामुदायिक सेवा** कराने का प्रावधान किया गया है।
	• इस संहिता में यह उपबंध किया गया है कि **यदि 16-18 वर्ष की आयु की नाबालिग से सामूहिक बलात्कार किया जाता है, तो ऐसे कृत्य के लिए आजीवन कारावास का दंड** दिया जाएगा।
	  ○ इसमें छल-कपट/ धोखे से या झूठे वादे करके **किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाने को भी अपराध** माना गया है।
	• **राजद्रोह (Sedition):** इस संहिता में **राजद्रोह (IPC की धारा 124A)** से जुड़े प्रावधान को हटा दिया गया है। इसके बजाय यह निम्नलिखित हेतु **दंड का प्रावधान** करता है:
	  ○ **अलगाववादी गतिविधियों, सशस्त्र विद्रोह, या विध्वंसक गतिविधियों** को बढ़ावा देना या बढ़ावा देने का प्रयास करना,
	  ○ **अलगाववादी गतिविधियों** से संबंधित भावनाओं को प्रोत्साहित करना, या
	  ○ **भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालना।**
	• **संगठित अपराध:** यह संहिता संगठित अपराध को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित करती है:
	  ○ निरंतर गैर-कानूनी गतिविधि, जैसे- अपहरण, जबरन वसूली, कॉन्ट्रैक्ट लेकर हत्या करना, भूमि पर कब्जा और साइबर अपराध;

• **IPC, 1860 के लागू होने के बाद:** ○ विधि आयोग की कई रिपोर्ट्स में **महिलाओं के खिलाफ अपराधों, खाद्य पदार्थों में मिलावट, मृत्युदंड** आदि विषयों पर **IPC में संशोधन करने की सिफारिश** की गई थी।	• **किसी समूह द्वारा कुछ आधारों पर हत्या करना या गंभीर चोट पहुंचाना:** जब व्यक्तियों का समूह एक साथ मिलकर **नस्ल, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास/ धर्म या इसी तरह के किसी भी आधार** पर हत्या करता है या गंभीर चोट पहुंचाता है, तो ऐसे समूह के प्रत्येक सदस्य को- ○ **हत्या** के मामले में **मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माने से; तथा** ○ **गंभीर चोट** पहुंचाने की स्थिति में **सात वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास और जुर्माने** से दंडित किया जाएगा।

6.5.2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023)

- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 से **दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 को प्रतिस्थापित** किया गया है। कई अधिनियमों के तहत निर्धारित अपराधों के लिए **गिरफ्तारी (Arrest), अभियोजन (Prosecution) और जमानत (Bail) की प्रक्रिया** संबंधी प्रावधान किए गए थे।

पृष्ठभूमि	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के मुख्य प्रावधान
• **उत्पत्ति:** CrPC को सर्वप्रथम ब्रिटिश शासन के अधीन **1861** में अधिनियमित किया गया था। इसके बाद **1872 और 1882** में क्रमिक रूप से अधिनियमित नई संहिताओं द्वारा इसे प्रतिस्थापित किया गया था। ○ इसमें **कई संशोधन** किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण संशोधन **1898, 1923 और 1955** में किए गए थे। • **दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973:** भारत के विधि आयोग ने अपनी 41वीं रिपोर्ट में, इस संहिता में व्यापक स्तर पर संशोधन करने हेतु सिफारिश की थी। इसके परिणामस्वरूप **CrPC, 1973** का निर्माण किया गया था।	• **विचाराधीन कैदियों की हिरासत:** इसके तहत यदि **पहली बार अपराध करने वाले किसी व्यक्ति** ने उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास अवधि की **एक-तिहाई अवधि को हिरासत में बिता लिया** है, तो उसे **जमानत पर रिहा** किया जाएगा। ○ यदि किसी आरोपी व्यक्ति ने जांच या सुनवाई के दौरान उस अपराध के लिए **कारावास की अधिकतम अवधि का आधा हिस्सा हिरासत में बिता लिया** है, तो उसे न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। ▪ **यह प्रावधान निम्नलिखित पर लागू नहीं होता है।** ✓ **मृत्युदंड व आजीवन कारावास** की सजा वाले अपराधों पर, और ✓ ऐसे व्यक्ति पर जिसके खिलाफ **एक से अधिक अपराधों** में कार्यवाही लंबित है। • **मेडिकल जांच:** इसके अंतर्गत कोई भी पुलिस अधिकारी विशेष मामलों, जैसे- बलात्कार में आरोपी व्यक्ति की मेडिकल जांच का अनुरोध कर सकता है। • **फॉरेंसिक जांच:** यह उन सभी अपराधों के लिए फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य बनाती है, जिनके लिए कम-से-कम **सात वर्ष** के कारावास के दंड का प्रावधान है। • **नमूना या प्रतिरूप (Specimen):** यह मजिस्ट्रेट को किसी भी व्यक्ति को हस्ताक्षर का प्रतिरूप, लिखावट के नमूने, उंगलियों के निशान और आवाज के नमूने प्रदान करने का आदेश देने का अधिकार देता है। • **कार्यवाहियों के लिए समय-सीमा:** जैसे जांच अधिकारी को मेडिकल रिपोर्ट सौंपना, निर्णय देना, पीड़ितों को जांच की प्रगति के संबंध में सूचित करना और आरोप तय करना आदि के लिए समय-सीमा का निर्धारण करती है।

6.5.3. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023)

- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 से **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 को प्रतिस्थापित** किया गया है। यह अधिनियम सभी दीवानी/ सिविल और फौजदारी/ दाण्डिक कार्यवाहियों में भारतीय न्यायालयों में साक्ष्य की स्वीकार्यता हेतु नियमों का प्रावधान करता है।

पृष्ठभूमि	भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के मुख्य प्रावधान
• भारतीय साक्ष्य अधिनियम को 1872	• **साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की स्वीकार्यता:** इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड का कानूनी प्रभाव कागजी रिकॉर्ड के समान ही होगा।

© Vision IAS

में अधिनियमित किया गया था। इसका उद्देश्य **साक्ष्यों से संबंधित कानूनों को समेकित** करना था। इन साक्ष्यों के आधार पर ही न्यायालय किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है और निर्णय सुनाता है।	• **मौखिक साक्ष्य:** मौखिक साक्ष्य के अंतर्गत जांच के दौरान किसी तथ्य के संबंध में गवाहों द्वारा न्यायालय के समक्ष दिए गए बयान शामिल हैं। इस अधिनियम के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी गई किसी भी सूचना को मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। • **संयुक्त सुनवाई (Joint trials):** संयुक्त सुनवाई का तात्पर्य, **एक ही अपराध के लिए एक से अधिक व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने से है।** ○ यदि कोई सुनवाई ऐसे अभियुक्त की अनुपस्थिति में की जाती है, जो भगौड़ा है या दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन जारी उद्घोषणा का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो ऐसी सुनवाई को संयुक्त सुनवाई माना जाएगा।

विशेष और स्थानीय कानून (Special and Local Laws: SLL)

- हाल ही में, आपराधिक कानूनों पर पेश किए गए विधेयकों ने **विशेष और स्थानीय कानूनों (SLL)** को वर्तमान में चल रही सुधार प्रक्रिया से दूर बनाए रखा है।
- **संज्ञेय (Cognizable) अपराधों** को मुख्य रूप से **'भारतीय दंड संहिता (IPC)' या 'विशेष और स्थानीय कानून (SLL)' के अंतर्गत आने वाले अपराधों के रूप में वर्गीकृत** किया गया है।
  - संज्ञेय अपराध को उस अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसकी **पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी** मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना जांच कर सकता है और बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकता है।
- **विशेष और स्थानीय कानूनों (SLL) के बारे में**
  - **"विशेष कानून (Special law)"** एक ऐसा कानून होता है, जो किसी विशेष मुद्दे से निपटने हेतु किन्हीं विशिष्ट विषयों पर लागू होता है।
    - उदाहरण के लिए- **गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 {Unlawful Activities (Prevention) Act: UAPA}**
  - **"स्थानीय कानून (Local law)"** वह कानून है होता है, जो भारत के किसी विशेष भू-भाग पर लागू होता है।
    - उदाहरण के लिए- **महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA)[39], 1999**

6.6. जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 {Registration of Birth and Death (Amendment) Act, 2023}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023** पारित किया गया है। यह **जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969** को संशोधित करेगा।

पृष्ठभूमि

- **जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के मुख्य उपबंधों पर एक नज़र**
  - यह भारत में **जन्म और मृत्यु के विनियमन और पंजीकरण** का प्रावधान करता है। इस कार्य के लिए अधिनियम में **रजिस्ट्रार जनरल ऑफ़ इंडिया** की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है।
  - इस अधिनियम को **राज्य, जिला और स्थानीय** स्तर पर लागू करने हेतु क्रमशः **मुख्य रजिस्ट्रार, जिला रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार** की नियुक्ति की जाएगी। इनकी नियुक्ति **राज्य सरकार** द्वारा की जाएगी।
  - यह **रजिस्टर से किसी भी व्यक्ति के जन्म या मृत्यु से संबंधित प्रमाण प्राप्त करने** की सुविधा प्रदान करता है।
  - घर में होने वाले/ वाली जन्म या मृत्यु के संबंध में, **घर के मुखिया** का यह कर्तव्य है कि वह RGI को इसकी रिपोर्ट दे। यदि जन्म या मृत्यु किसी **अस्पताल में होता/ होती** है, तो इसकी रिपोर्टिंग के लिए उस अस्पताल का **प्रभारी चिकित्सा अधिकारी** उत्तरदायी होता है।
  - **बच्चे के नाम के बिना** भी जन्म प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जा सकता है।
- जन्म और मृत्यु का पंजीकरण **समवर्ती सूची के अंतर्गत** आता है।
- **वर्ष 1969** के अधिनियम को अभी तक **संशोधित नहीं किया गया था।**

---

[39] Maharashtra Control of Organised Crime Act

PT 365 - राजव्यवस्था और शासन

जन्म और मृत्यु (संशोधन) अधिनियम, 2023 के मुख्य उपबंधों पर एक नज़र

- **जन्म और मृत्यु का डेटाबेस:** इस अधिनियम में यह उपबंध किया गया है कि **भारत का रजिस्ट्रार जनरल (RGI) पंजीकृत जन्म और मृत्यु का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाए रखेगा।**
  - पंजीकृत जन्म एवं मृत्यु के आंकड़ों को राष्ट्रीय डेटाबेस के साथ साझा करने का दायित्व **मुख्य रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार** को सौंपा गया है।
  - **राज्य स्तर** पर मुख्य रजिस्ट्रार **भी एक ऐसा ही डेटाबेस** बनाए रखेगा।
- **इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण-पत्र:** अधिनियम के तहत जन्म एवं मृत्यु के प्रमाण-पत्रों के डिजिटल पंजीकरण और इलेक्ट्रॉनिक वितरण का प्रावधान किया गया है।
- **आधार से लिंक करना:** जन्म पंजीकरण के मामले में **माता-पिता और सूचना देने वाले का आधार नंबर दर्ज किया जाएगा।**
- **कनेक्टिंग डेटाबेस:** अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रीय डेटाबेस को **जनसंख्या रजिस्टर, मतदाता सूची, राशन कार्ड** जैसे अन्य डेटाबेस तैयार करने या बनाए रखने वाले अन्य अधिकारियों को उपलब्ध कराया जा सकता है।
- **अपील प्रक्रिया:** रजिस्ट्रार या जिला रजिस्ट्रार द्वारा की गई **किसी भी कार्रवाई या आदेश से असहमत कोई भी व्यक्ति** 30 दिनों के भीतर जिला रजिस्ट्रार या मुख्य रजिस्ट्रार के पास अपील कर सकता है।

6.7. प्रेस और पत्र-पत्रिका पंजीकरण अधिनियम, 2023 {Press and Registration of Periodicals (PRP) Act, 2023}

सुर्ख़ियों में क्यों?

राष्ट्रपति ने **प्रेस और पत्र-पत्रिका पंजीकरण (PRP) विधेयक, 2023 को मंजूरी** दे दी है। यह विधेयक अब कानून बन चुका है। इस कानून ने औपनिवेशिक युग के **प्रेस और पुस्तक पंजीकरण (PRB) अधिनियम, 1867** की जगह ली है।

प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 से पहले पारित प्रेस अधिनियमों का संक्षिप्त इतिहास

- **प्रेस सेंसरशिप अधिनियम, 1799:** यह अधिनियम **लॉर्ड वेलेजली के कार्यकाल के दौरान पारित** किया गया था। इसे भारत पर संभावित **फ्रांसीसी आक्रमण** से पहले प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए लाया गया था। हालांकि, **1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स** ने इसे वापस ले लिया था।
- **लाइसेंसिंग विनियमन (अध्यादेश), 1823:** यह अधिनियम **कार्यवाहक गवर्नर जनरल जॉन एडम्स के कार्यकाल के दौरान पारित** किया गया था। इस अध्यादेश में एक कठोर प्रावधान यह था कि कोई भी व्यक्ति पंजीकरण के बिना प्रेस शुरू नहीं कर सकता या उसका उपयोग जारी नहीं रख सकता है।
  - इस अधिनियम के कारण **राममोहन राय को अपने समाचार-पत्र मिरात-उल-अखबार का प्रकाशन बंद** करना पड़ा था।
- **प्रेस अधिनियम, 1835:** यह अधिनियम **गवर्नर जनरल मेटकॉफ के कार्यकाल में लागू** किया गया था। इस अधिनियम में प्रेस के प्रति उदारवादी रुख अपनाया गया था। इस कारण मेटकॉफ को **"भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता"** की सम्मानजनक उपाधि दी गई थी।
  - इसके परिणामस्वरूप, **1835 और 1857** के बीच पूरे भारत में स्थानीय भाषाओं के समाचार पत्रों का तेजी से विकास हुआ था।
- **लाइसेंसिंग अधिनियम, 1857:** इस अधिनियम को **"1857 के विद्रोह"** के कारण लाया गया था। इसमें पहले से **मौजूद "पंजीकरण प्रक्रिया" को आगे बढ़ाया गया तथा "लाइसेंस व्यवस्था" की भी शुरुआत** की गई।
- **प्रेस और पुस्तक पंजीकरण (PRB) अधिनियम, 1867:** यह अधिनियम **वायसराय लॉर्ड जॉन लॉरेंस के कार्यकाल के समय पारित** किया गया था। इस अधिनियम में **समाचार पत्रों के प्रत्येक लेख के लिए प्रिंटर्स, प्रकाशकों और प्रकाशन के स्थान का उल्लेख करना अनिवार्य** कर दिया गया था।
  - इस अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य **प्रेस, प्रिंटर्स और पुस्तकों एवं समाचार-पत्रों के प्रकाशकों पर पूर्ण नियंत्रण** रखना था।
- **अन्य संशोधन:** इस अधिनियम में **1870 और 1983** के बीच कई बार संशोधन किए गए थे। हालांकि, ये संशोधन विशेष रूप से छोटे और मध्यम स्तर के प्रकाशकों के लिए प्रक्रियात्मक रूप से बोझिल व जटिल रहे।

PRB अधिनियम, 1867 और PRP अधिनियम, 2023 के मुख्य प्रावधानों में अंतर

मुख्य प्रावधान	PRP अधिनियम, 2023
पत्रिकाओं का पंजीकरण	• इसमें पत्रिकाओं में **किताबें या वैज्ञानिक और अकादमिक जर्नल्स शामिल नहीं** हैं। ये किताबें अधिनियम के दायरे से बाहर हैं।

विदेशी पत्रिकाएं	• **किसी भी विदेशी पत्रिका की प्रतिकृति (Facsimile)* भारत में केवल केंद्र सरकार की पूर्वानुमति से ही मुद्रित** की जा सकती है। ○ "प्रतिकृति" का अर्थ है मूल रचना की सटीक कॉपी।
प्रिंटिंग प्रेस के लिए घोषणा-पत्र	• इस अधिनियम में किसी पत्रिका के प्रकाशक को **प्रेस रजिस्ट्रार जनरल (PRG) और निर्दिष्ट स्थानीय प्राधिकरण को ऑनलाइन आवेदन करके पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त** करने का प्रावधान किया गया है।
प्रिंटिंग प्रेस का पंजीकरण	• इस अधिनियम में **प्रिंटिंग प्रेस से संबंधित जानकारी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से देने** का प्रावधान किया गया है।
दंड/ जुर्माना	• इस अधिनियम में पुराने अधिनियम के तहत आने वाले सभी उल्लंघनों में से ज्यादातर को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है। इस प्रकार इस कानून की **औपनिवेशिक विरासत को समाप्त** कर दिया गया है।
पंजीकरण प्रमाण-पत्र निलंबित/ रद्द करना	• इस अधिनियम में **प्रेस रजिस्ट्रार जनरल को पंजीकरण प्रमाण-पत्र को निलंबित/ रद्द करने का अधिकार** दिया गया है। • साथ ही, जिस व्यक्ति को **किसी आतंकवादी कृत्य या गैर-कानूनी गतिविधि** के लिए दोषी ठहराया गया हो या जिसने देश की सुरक्षा के खिलाफ कोई काम किया हो, उसे **पत्रिका प्रकाशित करने की अनुमति नहीं** दी जाएगी।

6.8. दूरसंचार अधिनियम, 2023 (Telecommunications Act, 2023)

सुर्ख़ियों में क्यों?

राष्ट्रपति ने दूरसंचार विधेयक, 2023 को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। यह विधेयक अब अधिनियम बन चुका है। इस विधेयक को **138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम में परिवर्तन** करने के लिए पेश किया गया था।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस अधिनियम ने **भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885; भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 और तारयंत्र संबंधी तार (गैर-कानूनी कब्जा) अधिनियम, 1950** का स्थान लिया है।
    - इस अधिनियम के माध्यम से **भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) अधिनियम, 1997 में भी संशोधन** किया गया है।

नए अधिनियम में किए गए मुख्य प्रावधानों पर एक नज़र

मुख्य प्रावधान	दूरसंचार अधिनियम, 2023
स्पेक्ट्रम का आवंटन	• **स्पेक्ट्रम का आवंटन** नीलामी के माध्यम से किया जाएगा। हालांकि, **कुछ निर्धारित उपयोगों के लिए इसे प्रशासनिक आधार पर आवंटित** किया जाएगा। • **निर्धारित उद्देश्यों में शामिल हैं** ○ राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा ○ आपदा प्रबंधन ○ मौसम संबंधी पूर्वानुमान ○ परिवहन ○ उपग्रह सेवाएं • पहली बार, **सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम का प्रशासनिक आवंटन** किया जाएगा। यह आवंटन **वैश्विक मानदंडों के अनुरूप** होगा।
TRAI में नियुक्तियां	• यह अध्यक्ष व सदस्यों के लिए कुछ **पात्रता मानदंडों** को निर्धारित करने हेतु **TRAI अधिनियम में संशोधन** करता है: ○ **अध्यक्ष** के रूप में सेवा करने के लिए कम-से-कम **30 वर्ष का पेशेवर अनुभव** होना चाहिए, और ○ **सदस्यों** के रूप में सेवा करने के लिए कम-से-कम **25 वर्ष का पेशेवर अनुभव** होना चाहिए।

न्याय निर्णयन की प्रक्रिया (Adjudication process)	• सिविल अपराधों के खिलाफ जांच करने के लिए एक **न्याय निर्णयन अधिकारी की नियुक्ति** की जाएगी। • न्याय निर्णयन अधिकारी के आदेश के खिलाफ अपील 30 दिनों के भीतर पदनामित **अपील समिति** के समक्ष की जा सकती है। इस अधिनियम के प्राधिकार के किसी नियम व शर्तों के उल्लंघन के मामले में इस अपील समिति के आदेश के खिलाफ अपील 30 दिनों के भीतर दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय प्राधिकरण (TDSAT) के समक्ष की जा सकती है।
उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा	• केंद्र सरकार **उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए विविध उपाय** कर सकती है। **उदाहरण के लिए-** विनिर्दिष्ट संदेश (Specified messages) प्राप्त करने के लिए उपयोगकर्ता की पूर्व सहमति; 'डू नॉट डिस्टर्ब' रजिस्टर तैयार करना; उपयोगकर्ताओं को मैलवेयर या विनिर्दिष्ट संदेशों की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाना आदि।
राइट-ऑफ-वे	• ऐसी संस्थाएं, जो दूरसंचार संबंधी अवसंरचनाओं का निर्माण करती हैं, वे सार्वजनिक या निजी संपत्ति में **राइट-ऑफ-वे** की मांग कर सकती हैं। ○ **राइट-ऑफ-वे** का आशय सार्वजनिक या निजी संपत्ति के उपयोग की सुविधा से है।
अवरोधन (Interception) और तलाशी का अधिकार	• कुछ निश्चित आधारों पर **संदेशों को इंटरसेप्ट, मॉनिटर या ब्लॉक** किया जा सकता है। इन आधारों में **राष्ट्र की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और अपराधों को उकसाए जाने से रोकना** आदि शामिल हैं।
दूरसंचार से संबंधित गतिविधियों के लिए अनुमति	• नई दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने तथा दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, संचालन, रख-रखाव या विस्तार करने एवं रेडियो उपकरण रखने के लिए **केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक** है।
OTTs का विनियमन	• इस अधिनियम के तहत **OTT प्लेटफॉर्म्स को विनियमित नहीं** किया जाएगा।
अन्य प्रावधान	• **डिजिटल भारत निधि:** इस अधिनियम के तहत **"सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि"** का नाम बदलकर '**डिजिटल भारत निधि**' कर दिया गया है। साथ ही, दूरसंचार क्षेत्रक में अनुसंधान और विकास के लिए इस निधि के उपयोग की अनुमति दी गई है। • **विश्वस्त स्रोत व्यवस्था:** यह व्यवस्था 2020 में सीमा पर भारत-चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़पों के बाद अस्तित्व में आई थी। इस व्यवस्था के तहत शत्रु देशों से दूरसंचार उपकरणों के आयात को कानूनी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

6.8.1. इंटरनेट शटडाउन (Internet Shutdowns)

सुर्ख़ियों में क्यों?

एक रिपोर्ट के अनुसार विरोध प्रदर्शनों पर अंकुश लगाने के लिए पिछले 3 वर्षों में सबसे अधिक बार इंटरनेट शटडाउन किए गए हैं।

यह रिपोर्ट **इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन (IFF) और ह्यूमन राइट्स वॉच (HRW)** ने जारी की है।

भारत में इंटरनेट शटडाउन से संबंधित प्रावधान

- इंटरनेट शटडाउन के अंतर्गत **इंटरनेट तक पहुंच को पूरी तरह से निषिद्ध करना, इंटरनेट-स्पीड को धीमा करना या किसी विशेष कंटेंट को प्रतिबंधित करना** शामिल है।
- वर्तमान में, दूरसंचार सेवाओं का निलंबन (इंटरनेट शटडाउन सहित) **दूरसंचार सेवा अस्थायी निलंबन (लोक आपात और लोक सुरक्षा) नियम, 2017** द्वारा शासित होता है। इन नियमों को **भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885** के तहत अधिसूचित किया गया है।
  - 2017 के नियम लोक आपातकाल के आधार पर **किसी क्षेत्र में दूरसंचार सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करने का प्रावधान** करते हैं। इसमें दूरसंचार सेवाओं को एक बार में केवल **15 दिनों** तक ही बंद किया जा सकता है।

© Vision IAS

- यह कानून **केंद्रीय गृह मंत्रालय तथा केंद्र एवं राज्य स्तर के वरिष्ठ नौकरशाहों को दूरसंचार सेवाओं को शटडाउन** करने का आदेश देने का अधिकार देता है।

- **अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ वाद (2010) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रस्तावित प्रमुख दिशा-निर्देश:**
  - **दूरसंचार सेवा अस्थायी निलंबन (लोक आपात और लोक सुरक्षा) नियम, 2017** के तहत इंटरनेट सेवाओं को **अनिश्चित काल के लिए निलंबित करने का आदेश अनुचित** है।
  - निलंबन का उपयोग केवल **अस्थायी अवधि** के लिए ही किया जा सकता है।
  - निलंबन नियमों के तहत जारी किए गए **इंटरनेट को निलंबित करने वाले** किसी भी आदेश को '**आनुपातिकता (Proportionality) के सिद्धांत**' का पालन करना चाहिए। साथ ही, इस निलंबन को **आवश्यक अवधि से आगे नहीं बढ़ाया** जाना चाहिए।
  - निलंबन नियमों के तहत इंटरनेट को निलंबित करने का कोई भी आदेश **न्यायिक समीक्षा के अधीन है।**
- इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने यह भी कहा कि **इंटरनेट के माध्यम से वाक् व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता क्रमश: अनुच्छेद 19(1)(A) तथा अनुच्छेद 19(1)(G) के तहत संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार हैं।**

6.9. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News)

केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 {Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995}	• **सूचना और प्रसारण मंत्रालय** ने केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में सशोधनों को अधिसूचित किया है। ○ ये संशोधन केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के उन **प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए कार्यात्मक तंत्र प्रदान करते हैं, जिनमें कुछ कृत्यों को गैर-आपराधिक घोषित किया गया है।** • **संशोधनों के उद्देश्य:** ○ वर्ष 1995 के केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम को और अधिक व्यवसाय-अनुकूल बनाना, ○ निवेशकों का विश्वास बढ़ाना, तथा ○ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में वृद्धि करना। • इस अधिनियम की धाराओं की फिर से समीक्षा की गई है। समीक्षा के बाद **जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) अधिनियम, 2023** द्वारा कुछ प्रावधानों में वर्णित कृत्यों के लिए कठोर दंड को बदल कर जुर्माना आदि कर दिया गया है। • **कारावास से संबंधित प्रावधान** की जगह अब मौद्रिक दंड और परामर्श व चेतावनी के रूप में कुछ अन्य गैर-मौद्रिक सजा के प्रावधान किए गए हैं।
अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023 {Advocates (Amendment) Bill, 2023}	• संसद में अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023 को पारित कर दिया है । इस विधेयक के जरिए **'टाउटिंग' के कृत्य** को दंडनीय बनाया गया है। साथ ही, विधि व्यवसायी अधिनियम, 1879 के कुछ अप्रचलित प्रावधानों को निरस्त करने के भी उपबंध किए गए हैं। • **विधेयक के प्रावधान:** ○ विधेयक में प्रावधान किया गया है कि **प्रत्येक हाई कोर्ट और जिला न्यायाधीश** टाउट्स की सूची तैयार और प्रकाशित कर सकते हैं। ○ **टाउट्स** की सूची में नामित ऐसे व्यक्तियों को न्यायालय परिसर में प्रवेश करने से वर्जित किया जाएगा। • टाउट एक प्रकार का ब्रोकर होता है, जो क्लाइंट को भुगतान के बदले वकील उपलब्ध करवाता है।
जांच आयोग अधिनियम, 1952 (Commissions of Inquiry Act, 1952)	• केंद्र सरकार ने **मणिपुर** में हिंसा की घटनाओं की जांच करने के लिए एक जांच आयोग के गठन संबंधी अधिसूचना जारी की है। इसे **जांच आयोग अधिनियम, 1952** के अंतर्गत गठित किया गया है। • यह अधिनियम केंद्र और राज्य सरकारों को **लोक महत्त्व के निर्दिष्ट मामलों की जांच करने हेतु जांच आयोग गठित करने के लिए अधिकृत** करता है। ○ **केंद्र सरकार संविधान की अनुसूची VII की सूची I और III** में उल्लिखित किसी भी प्रविष्टि से संबंधित किसी भी मामले की जांच के लिए **एक आयोग गठित** कर सकती है। ○ **राज्य सरकारें अनुसूची VII की सूची II या III में उल्लिखित प्रविष्टियों के लिए** आयोग गठित कर सकती हैं। • जांच आयोग के पास **सिविल कोर्ट के समान शक्तियां** होती हैं।

विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (Foreign Contribution Regulation Act: FCRA)	• गृह मंत्रालय ने FCRA के कथित उल्लंघन के कारण **केयर इंडिया का विदेशी फंडिंग लाइसेंस निलंबित** कर दिया है। • FCRA को **1976 में आपातकाल के दौरान व्यक्तियों और संगठनों को मिल रहे विदेशी दान को विनियमित करने के लिए अधिनियमित** किया गया था, ताकि वे "एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के मूल्यों के अनुरूप" कार्य कर सकें। ○ विदेशी फंड के उपयोग के लिए FCRA कानून में 2010 में संशोधन किया गया था। इससे यह **कानून और मजबूत** हो गया है। इस संशोधन का उद्देश्य **राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक किसी भी गतिविधि हेतु विदेशी फंड के उपयोग पर 'प्रतिबंध'** लगाना है। • NGOs द्वारा विदेशी फंड्स की प्राप्ति और उपयोग पर सख्त नियंत्रण एवं जांच के लिए 2020 में FCRA, 2010 में संशोधन किया गया था।

शत्रु संपत्ति (Enemy properties)	• किसी शत्रु व्यक्ति या शत्रु फर्म की संपत्ति या उसकी ओर से धारित या प्रबंधित संपत्ति को शत्रु संपत्ति कहते हैं।
	  ○ शत्रु या शत्रु व्यक्ति या शत्रु फर्म का आशय ऐसे व्यक्ति या देश से है, जो **भारत रक्षा अधिनियम, 1962; भारत रक्षा नियम, 1962; भारत रक्षा अधिनियम, 1971;** तथा **भारत रक्षा नियम, 1971** के तहत शत्रु के रूप में वर्णित हैं।
	  ○ इन संपत्तियों के प्रबंधन के लिए **1968 में शत्रु संपत्ति अधिनियम** बनाया गया था।
	  ○ इस कानून के तहत **कस्टोडियन ऑफ़ एनिमी प्रॉपर्टी इन इंडिया (CEPI)** को शत्रु संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण का अधिकार दिया है। गौरतलब है कि CEPI **केंद्रीय गृह मंत्रालय** के अधीन कार्य करता है।
	• वर्ष 2017 में, **शत्रु संपत्ति (संशोधन और सत्यापन) अधिनियम** लागू किया गया। यह **शत्रु संपत्ति को शत्रु से अन्य व्यक्तियों को हस्तांतरित करने की अनुमति** देता है।

VISION IAS के PT 365 के साथ UPSC प्रीलिम्स में करेंट अफेयर्स की चुनौतियों में महारत हासिल कीजिए

करेंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें

करेंट अफेयर्स सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की आधारशिला है, जो प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू तीनों चरणों में जरूरी होता है। करेंट अफेयर्स से अपडेट रहना अभ्यर्थी को सिविल सेवा परीक्षा के नए ट्रेंड को समझने में सक्षम बनाता है। सही रिसोर्सेज और एक रणनीतिक दृष्टिकोण के जरिए अभ्यर्थी इस विशाल सेक्शन को अपना सकारात्मक पक्ष बना सकते हैं।

PT 365 क्या है?

PT 365 (हिंदी) डाक्यूमेंट के अंतर्गत, व्यापक तौर पर विगत 1 वर्ष (365 दिन) के महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं को ठोस तरीके से कवर किया जाता है ताकि प्रीलिम्स की तैयारी में अभ्यर्थियों को सहायता मिल सके। इसे करेंट अफेयर्स के रिविजन हेतु एक डॉक्यूमेंट के रूप में तैयार किया गया है।

PT365 की विशेषताएं

व्यापक कवरेज
- पूरे साल के करेंट अफेयर्स की कवरेज।
- UPSC हेतु प्रासंगिक विषय, जैसे– राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आदि।
- आगामी प्रारंभिक परीक्षा में आने वाले संभावित विषयों पर जोर।

स्पष्ट एवं संक्षिप्त जानकारी
- प्रमुख मुद्दों के लिए स्पष्ट एवं संक्षिप्त प्रस्तुति
- विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी
- तेजी से रिविजन के लिए परिशिष्ट

QR आधारित स्मार्ट क्विज
- अभ्यर्थियों की समझ और पढ़े गए आर्टिकल्स के परीक्षण के लिए QR आधारित स्मार्ट क्विज़ को शामिल किया गया है।

इन्फोग्राफिक्स
- आर्टिकल्स एवं तथ्यों को समझने और याद रखने में सहायता मिलती है।
- आर्टिकल्स को समझाने के लिए अलग–अलग तकनीक, विधियों और प्रक्रियाओं का इस्तेमाल।
- लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए मानचित्रों का रणनीतिक उपयोग किया गया है।

सरकारी योजनाएं और नीतियां
- प्रमुख सरकारी योजनाओं, नीतियों और पहलों की गहन कवरेज।

नया क्या है?
- पिछले वर्ष के प्रश्नों के पैटर्न के अनुरूप तैयार किया गया है।

PT 365 का महत्त्व

रिविजन में आसानी: कंटेंट को विषयों या टॉपिक्स के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जिससे अभ्यर्थी आसानी से टॉपिक खोज सकते हैं और रिविजन आसान हो जाता है।

वैल्यू एडिशन: इसमें ऐसे इन्फोग्राफिक्स, संबंधित घटनाक्रम या सुर्ख़ियाँ शामिल हैं, जो महत्वपूर्ण जानकारी की व्यापक कवरेज सुनिश्चित करते हैं।

क्रिस्प मटेरियल: आर्टिकल्स में क्रिस्प पॉइंट्स का प्रयोग किया गया है। इससे अभ्यर्थियों को सीमित समय में आसानी से कई बार रिविजन करने में सुविधा मिलती है।

इंटीग्रेटेड एप्रोच: UPSC में पूछे गए प्रश्नों के पिछले ट्रेंड के अनुरूप ही करेंट अफेयर्स की सभी बुनियादी अवधारणाओं और सूचनाओं को स्पष्ट तरीके से शामिल किया गया है। इससे स्टेटिक पार्ट और महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को एकीकृत करने में भी मदद मिलती है।

और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

PT 365 एक भरोसेमंद रिसोर्स है जिसने पिछले कुछ वर्षों में लाखों अभ्यर्थियों को समग्र तरीके से करेंट अफेयर्स को कवर करने में मदद की है। इसकी प्रभावशाली विशेषताओं की वजह से UPSC सिविल सेवा परीक्षा में करेंट अफेयर्स को समझने और सफल होने में अभ्यर्थियों को मदद मिलती है।

7. सुर्ख़ियों में रहे महत्वपूर्ण संवैधानिक/ सांविधिक/ कार्यकारी निकाय (Important Constitutional/ Statutory/ Executive Bodies in News)

7.1. लोकपाल (Lokpal)

सुर्ख़ियों में क्यों?

एक उच्च स्तरीय खोज समिति ने **लोकपाल** के अध्यक्ष और सदस्यों के पदों के लिए आवेदन प्राप्त करने की तारीख बढ़ा दी है।

लोकपाल के बारे में

- भारत में **एल. एम. सिंघवी** ने "लोकपाल-लोकायुक्त" शब्दावली का इस्तेमाल किया था। हालांकि, देश में लोकपाल शब्द का पहली बार प्रयोग **1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग की एक रिपोर्ट में किया गया था।**
- लोकपाल का गठन **लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013** के तहत **एक सांविधिक निकाय** के रूप में किया गया था। यह अधिनियम संघ के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त के पद के सृजन का प्रावधान करता है। इसका उद्देश्य लोक पदाधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना है।

लोकायुक्त

- संघ के लोकपाल के समान ही, राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है
  - कुछ राज्यों ने पहले ही लोकायुक्तों का गठन कर दिया गया है। **उदाहरण के लिए, 1971 में महाराष्ट्र और 1999 में केरल।**
- **उनका अधिकार क्षेत्र मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों, सभी राज्य सरकार के कर्मचारियों और कुछ निजी संस्थाओं (धार्मिक संस्थानों सहित)** पर होगा।

- अधिनियम के अनुसार, एक **जांच निदेशक (Director of Inquiry) होगा, जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे नहीं होगा।** इसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाएगी।
  - लोकपाल द्वारा भेजी गई शिकायतों की प्रारंभिक जाँच करने का अधिकार केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) को दिया गया है।
  - हालांकि 2019 में लोकपाल तो अस्तित्व में आ गया, लेकिन जांच निदेशक अभी तक नियुक्त नहीं किया गया है।

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013

विशेषताएं	विवरण
संरचना	• लोकपाल के तहत **इसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम आठ सदस्य** शामिल होंगे। इनमें से 50% न्यायिक सदस्य होंगे और 50% अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं में से होंगे।
कार्यकाल	• अध्यक्ष और सदस्यों को **पांच वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक (जो भी पहले हो)** के लिए नियुक्त किया जाता है।
चयन समिति	• अध्यक्ष और सदस्यों को एक **चयन समिति की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा।** ○ चयन समिति में **प्रधान मंत्री (अध्यक्ष), लोक सभा अध्यक्ष, विपक्ष का नेता, भारत का मुख्य न्यायाधीश (या उसके द्वारा नामित व्यक्ति) और प्रतिष्ठित न्यायविद (समिति के अन्य सदस्यों की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा नामित)** शामिल होंगे। ○ 2013 के लोकपाल अधिनियम के अनुसार, **कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग** को उन उम्मीदवारों की सूची तैयार करनी होगी, जो लोकपाल के अध्यक्ष या सदस्य बनने के इच्छुक हैं।
संपत्ति की जब्ती	• भ्रष्टाचार के माध्यम से अर्जित संपत्ति की जब्ती की जाएगी, भले ही इससे संबंधित मुकदमा लंबित हो।
पूछताछ व जांच के लिए समय	• **CBI द्वारा पूछताछ पूरी करने के लिए 60 दिन और जांच पूरी करने के लिए 6 महीने का समय निर्धारित** किया गया है। • CBI के लिखित अनुरोध पर लोकपाल द्वारा 6 महीने की इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है।

CBI के संबंध में शक्ति	• लोकपाल को इस अधिनियम के तहत उसके द्वारा जांच के लिए निर्दिष्ट किए गए मामलों के संबंध में CBI पर अधीक्षण करने और निर्देश देने की शक्ति होगी। • लोकपाल द्वारा संदर्भित मामलों की जांच कर रहे **CBI के अधिकारियों के स्थानांतरण** के लिए **लोकपाल की मंजूरी की आवश्यकता** होगी।
पद से हटाना	• लोकपाल के सदस्यों और अध्यक्ष को **सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।** इसके लिए, **संसद के कम से कम 100 सदस्यों (सांसदों) द्वारा एक याचिका पर हस्ताक्षर** किए जाने चाहिए।
लोकपाल का क्षेत्राधिकार	• यह **प्रधान मंत्री, मंत्रियों, सांसदों, ग्रुप ए, बी, सी और डी अधिकारियों तथा केंद्र सरकार के अधिकारियों** तक विस्तृत है। • **कोई भी संस्था या ट्रस्ट या निकाय जो 10 लाख रुपये से अधिक का विदेशी योगदान प्राप्त करता है।**

7.2. परिसीमन आयोग (Delimitation Commission)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को **नए सिरे से परिसीमन आयोग गठित** करने को कहा है। कोर्ट ने देश में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के रूप में निर्दिष्ट समुदायों का संविधान के अनुसार उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए एक नया परिसीमन आयोग गठित करने को कहा है।

परिसीमन आयोग के बारे में:

- **संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत** संसद परिसीमन अधिनियम पारित करती है।
- यह **आयोग प्रत्येक जनगणना के बाद** लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के **निर्वाचन क्षेत्रों (संख्या एवं सीमाओं) के फिर से समायोजन के लिए उत्तरदायी** है।
- **परिसीमन आयोग के निर्णय अंतिम माने जाते हैं** और इन्हें किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
- इसके आदेशों की प्रतियां लोक सभा और संबंधित राज्य विधान सभा के समक्ष रखी जाती हैं। हालांकि, वे **इन आदेशों में कोई संशोधन नहीं कर सकती हैं।**
- **आयोग की संरचना:**
  - सुप्रीम कोर्ट (SC) का एक **न्यायाधीश (वर्तमान या सेवानिवृत्त) अध्यक्ष** के रूप में कार्य करता है।
  - भारत का **मुख्य निर्वाचन आयुक्त** या उसके द्वारा नामित निर्वाचन आयुक्त सदस्य होता है।
  - संबंधित **राज्य का निर्वाचन आयुक्त** भी सदस्य होता है।

भारत में परिसीमन का कार्य

- स्वतंत्रता के बाद से **चार बार (यानी 1952, 1963, 1973 और 2002 में) परिसीमन आयोग का गठन** किया गया है।
- 1976 में, **42वें संविधान संशोधन के जरिए 2000 के बाद की पहली जनगणना प्रकाशित होने तक परिसीमन के कार्य पर रोक** लगा दी गई थी।।
- **84वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2001** ने परिसीमन पर रोक को **25 साल** के लिए और बढ़ा दिया था। इसलिए, अब **2026 के बाद की पहली जनगणना** के आंकड़ों के आधार पर ही परिसीमन का कार्य किया जा सकता है।

7.3. प्रवर्तन निदेशालय (Directorate of Enforcement)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **सुप्रीम कोर्ट** ने **प्रवर्तन निदेशालय** के **निदेशक**[40] **के कार्यकाल में किए गए विस्तार (तीसरे सेवा विस्तार) को अवैध** घोषित कर दिया है।

[40] Director of Enforcement/ प्रवर्तन निदेशक/ ED डायरेक्टर

© Vision IAS

प्रवर्तन निदेशालय (ED) की शक्तियां

- **परिसंपत्तियों को जब्त करने की शक्ति।**
- **सम्मन जारी करने की शक्ति:** ED को अन्वेषण, निरीक्षण, साक्ष्य जुटाने, सम्मन जारी करने, जांच करने, आदेश (Commissions) जारी करने आदि के संबंध में एक **सिविल न्यायालय के समान शक्ति प्राप्त है।**
- **गिरफ्तार करने की शक्ति:** ED, धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA)[41], 2002 और FEMA, 1999 के उल्लंघन की जांच करने के लिए एक नोडल एजेंसी है। यह इन मामलों में पुलिस द्वारा औपचारिक FIR दर्ज किए बिना ही **जांच एवं गिरफ्तारी** कर सकता है।
- **रिकॉर्ड किए गए साक्ष्यों की स्वीकार्यता (Record Admissibility):** वर्ष 2022 में, सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि **ED अधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए बयानों को न्यायालय में साक्ष्य के रूप में स्वीकार** किया जा सकता है।
- **जुर्माने, अर्थदंड और अर्थदंड की बकाया राशि[42] की वसूली:** प्रवर्तन निदेशालय, FEMA के तहत संबंधित व्यक्ति से जुर्माने, अर्थदंड और अर्थदंड की बकाया राशि की वसूली के लिए आवश्यक कदम उठा सकता है।

प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement directorate: ED) — जांच एजेंसी

स्थापना: इसकी स्थापना 1952 में हुई थी और यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन कार्यरत है।

संरचना: **ED डायरेक्टर** इसका प्रमुख होता है, जिसे CVC अधिनियम, 2003 की धारा 25 के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त किया जाता है।

कार्यकाल: दो वर्ष का कार्यकाल, लेकिन तीन वार्षिक विस्तार दिया जा सकता है।

सौंपे गए कार्य: यह निम्नलिखित कानूनों के कुछ प्रावधानों को लागू करने के लिए उत्तरदायी है:

- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999
- धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002
- भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (FEO), 2018
- विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम (COFEPOSA), 1974

7.4. केंद्रीय जांच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation: CBI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

तमिलनाडु सरकार ने **राज्य में मामलों की जांच के लिए CBI को दी गई सामान्य सहमति (General consent) को वापस** ले लिया है।

CBI किस तरह के मामलों की जांच करती है:

- **भ्रष्टाचार विरोधी:** ऐसे मामले आमतौर पर लोक अधिकारियों, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध पंजीकृत होते हैं।
    - **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अपराधों** की जांच से संबंधित **CBI के काम-काज के देख-रेख की शक्ति** केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) के पास है।
- **विशेष अपराध:** राज्य सरकारों के अनुरोध पर या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश पर भारतीय दंड संहिता के तहत **गंभीर और संगठित अपराध** की जांच।

विशिष्ट सहमति (Specific consent) के मामले में CBI को हर मामले में जांच आरंभ करने से पहले राज्य सरकार को **आवेदन करना** होता है।

- यदि **विशिष्ट सहमति नहीं दी जाती है,** तो CBI अधिकारियों के पास संबंधित राज्य में प्रवेश करने पर पुलिस की शक्ति प्राप्त नहीं होती है।
- सामान्य सहमति को वापस लेने से **उन मामलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिनकी जांच पहले से ही चल रही हो।**

[41] Prevention of Money Laundering Act

[42] Penalties and Arrears

- **आर्थिक अपराध:** वित्तीय कदाचार, बैंक धोखाधड़ी, धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग), काले धन आदि से संबंधित अपराध। हालांकि, CBI आमतौर पर **धन शोधन के मामलों को ED को हस्तांतरित कर देती है।**
- **स्वत: संज्ञान के आधार पर:** CBI **केवल केंद्र शासित प्रदेशों** में अपराधों की स्वत:संज्ञान से जांच कर सकती है।
    - **केंद्र सरकार संबंधित राज्य की सहमति के बाद ही** CBI को राज्य में किसी अपराध की जांच के लिए अधिकृत कर सकती है।
    - हालांकि, **सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट CBI** को राज्य की सहमति के बिना देश में **कहीं भी किसी अपराध की जांच करने का आदेश** दे सकते हैं।

सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टीगेशन (CBI) | जांच एजेंसी

स्थापना: इसकी स्थापना 1963 में हुई थी तथा यह कार्मिक, पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के अधीन कार्यरत है।

- यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE) अधिनियम, 1946 द्वारा शासित होती है।
- इसकी स्थापना की सिफारिश **भ्रष्टाचार के रोकथाम पर संथानम समिति (1962–64)** द्वारा की गई थी।

संरचना: CBI का डायरेक्टर इसका प्रमुख होता है। CBI के डायरेक्टर की नियुक्ति प्रधान मंत्री, लोक सभा में विपक्षी दल के नेता और CJI से मिलकर बनी तीन सदस्यीय समिति द्वारा की जाती है।

कार्यकाल: दो वर्ष का कार्यकाल, लेकिन तीन वार्षिक विस्तार दिया जा सकता है।

कार्य:

- गहन जांच और अभियोजन (Prosecution) के जरिए **सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार से निपटना तथा आर्थिक एवं हिंसक अपराधों पर अंकुश लगाना।**
- **साइबर एवं एडवांस प्रौद्योगिकी** से संबंधित **अपराधों** की रोकथाम में सहयोग करना।
- केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) और लोकपाल को सहायता प्रदान करना।
- यह भारत में नोडल पुलिस एजेंसी है, जो **इंटरपोल के सदस्य देशों की ओर से जांच का समन्वय** करती है।

सामान्य सहमति के बारे में

- दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम[43], 1946 की धारा 6 के तहत CBI को **किसी राज्य में जांच करने के लिए संबंधित राज्य सरकार से पूर्व-अनुमति लेनी पड़ती है।**
    - राज्य सरकार द्वारा CBI को दी गई सहमति **सामान्य या केस-विशिष्ट** हो सकती है।
- **सामान्य सहमति वास्तव में स्वतः सहमति होती है।**
    - हाल ही में, कुछ राज्यों ने CBI को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली है। इनमें पश्चिम बंगाल, मिजोरम, पंजाब जैसे राज्य शामिल हैं।
- **सामान्य सहमति से जुड़े अपवाद:**
    - सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट राज्य की सहमति के बिना भी CBI को देश कहीं भी अपराध की जांच करने का आदेश दे सकते हैं।
    - उन मामलों में जहां कोई व्यक्ति रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गय हो, वहां जांच के लिए सामान्य सहमति संबंधी प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

7.5. राष्ट्रीय कैडेट कोर (National Cadet Corps: NCC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) **विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन** है। 2023 में इस संगठन की **75वीं वर्षगांठ** मनाई गई।

NCC के बारे में

- NCC का गठन **1948 में राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 (संसद का अधिनियम क्रमांक XXXI)** के तहत किया गया था।
    - इससे पहले **पंडित एच.एन. कुंजरू** की अध्यक्षता वाली एक समिति ने राष्ट्रीय स्तर पर स्कूलों और कॉलेजों में एक **कैडेट संगठन** स्थापित करने की सिफारिश की थी।

---

[43] Delhi Special Police Establishment Act

- **NCC के उद्देश्य:** जीवन के सभी क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करने और राष्ट्र की सेवा के लिए हमेशा उपलब्ध रहने के लिए संगठित, प्रशिक्षित व उत्साहित युवाओं का संगठन तैयार करना।
- यह एक **त्रि-सेवा संगठन** है जिसमें **थल सेना, नौसेना और एयर विंग** शामिल होती है।
- **मुख्यालय:** नई दिल्ली।
- **NCC निदेशालय:** राज्य स्तर पर **NCC को 17 निदेशालयों** में विभाजित किया गया है। ये निदेशालय एक राज्य या राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के समूह को कवर करते हैं।
- **NCC के कार्यक्रम की प्रकृति:** स्वैच्छिक।
  - छात्रों पर सक्रिय सैन्य सेवा के लिए कोई दायित्व नहीं होता है।
- NCC की अवधि के आधार पर छात्रों को **तीन प्रकार के प्रमाण-पत्र** प्रदान किए जाते हैं।

NCC बनाम राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS)

- यद्यपि ये दोनों ही प्रकृति में **स्वैच्छिक** हैं, फिर भी इनमें कुछ अंतर मौजूद हैं।

NCC और राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) में अंतर

मानदंड	NCC	NSS
मंत्रालय	रक्षा मंत्रालय	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
स्थापना का वर्ष	1948	1969
लक्ष्य	राष्ट्र की सेवा और सैन्य करियर के लिए अनुशासित व निःस्वार्थ युवा नेतृत्व को बढ़ावा देना।	सामुदायिक सेवा के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास करना।
गठन	इसे राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 (संसद का अधिनियम क्रमांक XXXI) के तहत गठित किया गया था।	यह एक केंद्रीय क्षेत्रक की योजना है।
वर्दी	NCC कैडेट्स के लिए वर्दी अनिवार्य होती है।	NSS स्वयंसेवकों के लिए कोई वर्दी निर्धारित नहीं है।
कौन शामिल हो सकता है?	• **जूनियर डिवीजन/ विंग:** स्कूलों के छात्र (13 वर्ष या उससे अधिक आयु के)। • **सीनियर डिवीजन/ विंग:** कॉलेजों और 11वीं व 12वीं कक्षा के छात्र।	• 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्र। • तकनीकी संस्थान के छात्र, देश के कॉलेजों और विश्वविद्यालय स्तर पर स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर के छात्र।

7.6. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News)

<table>
<tr><td>भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India: CCI)</td><td>

- रवनीत कौर CCI के **अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला** हैं।

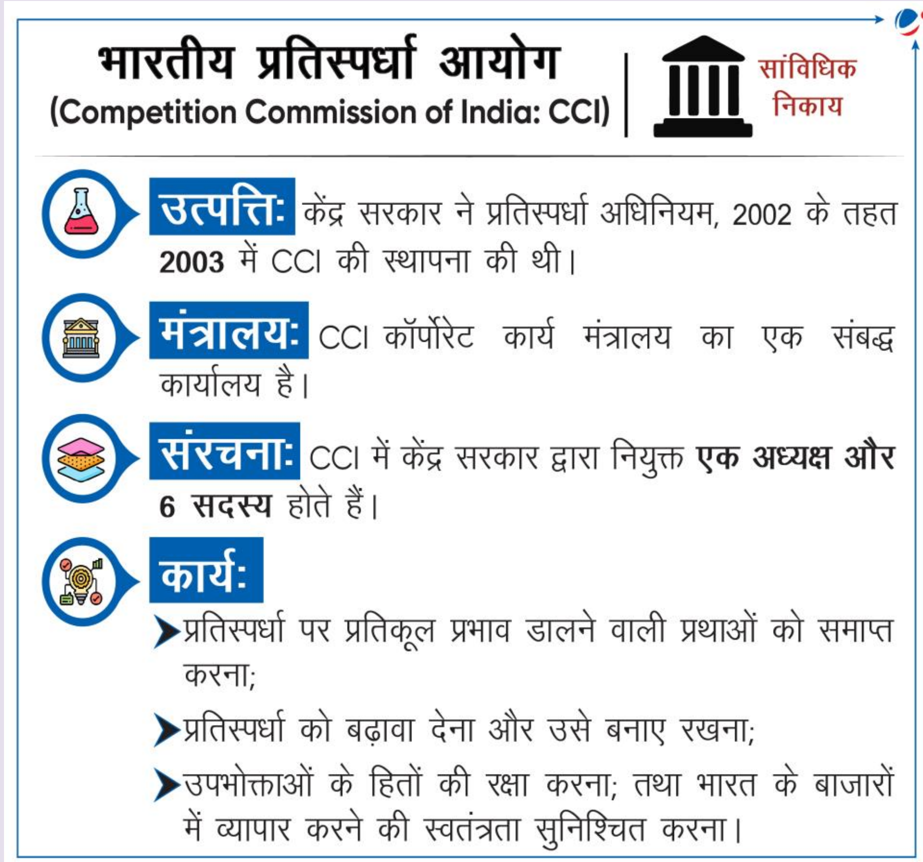

</td></tr>
<tr><td>राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के वैश्विक गठबंधन (Global Alliance of National Human Rights Institutions: GANHRI)</td><td>

- इसकी स्थापना 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों की **अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति (ICC)** के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य मानवाधिकारों का प्रचार-प्रसार और संरक्षण करना है।
- **महासभा,** GANHRI की सर्वोच्च विचार-विमर्श करने वाली संस्था है।
- ब्यूरो GANHRI की **कार्यकारी समिति** है। इसमें कुल **16 सदस्य** देश शामिल हैं। इनमें GANHRI के क्षेत्रीय नेटवर्क अफ्रीका, अमेरिका (उत्तर व दक्षिण), एशिया-प्रशांत और यूरोप प्रत्येक से 4-4 सदस्य शामिल हैं।
- **मुख्यालय:** जिनेवा, स्विट्जरलैंड।
</td></tr>
<tr><td>नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (Appointments Committee of the Cabinet: ACC)</td><td>

- **ACC ने स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) के निदेशक पद पर नियुक्ति को मंजूरी प्रदान** कर दी है। SPG प्रधान मंत्री की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है।
- **ACC के बारे में:**
  - ACC केंद्रीय सचिवालय, सार्वजनिक उद्यमों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के **सभी उच्च स्तरीय पदों पर नियुक्ति से जुड़े निर्णय** लेती है।
  - ACC की **अध्यक्षता प्रधान मंत्री** करते हैं।
  - **केंद्रीय गृह मंत्री** भी ACC में एक सदस्य के रूप में शामिल होते हैं।
</td></tr>
</table>

पत्र सूचना कार्यालय (Press Information Bureau: PIB)	• हाल ही में, **पत्र सूचना कार्यालय (PIB) की 100वीं वर्षगांठ मनाई** गई। 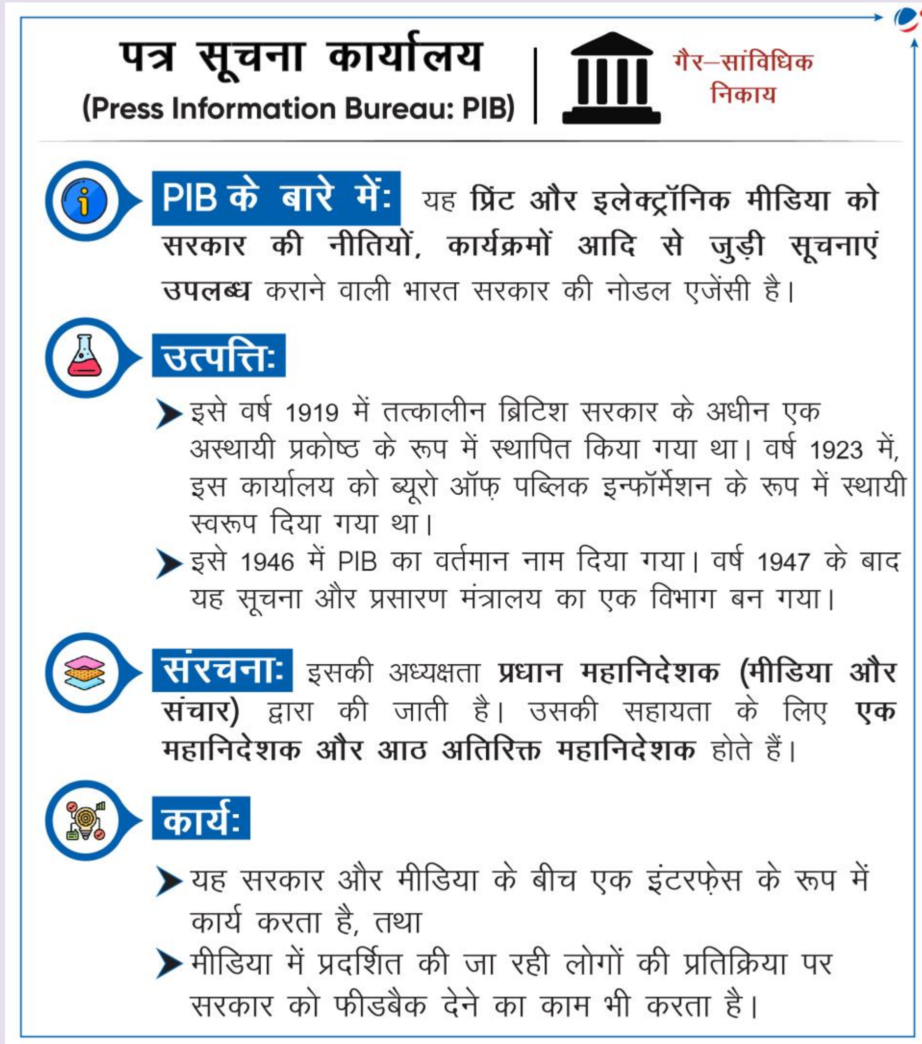

नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस (NCGG)	• NCGG ने मालदीव के सिविल सेवकों के 24वें बैच का प्रशिक्षण पूरा कर लिया है।
	• **नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस NCGG**
	  ○ **उत्पत्ति:** इसे **कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत 2014 में स्थापित** किया गया था।
	  ○ **शासी निकाय:** इसकी अध्यक्षता **कैबिनेट सचिव** करता है।
	  ○ **कार्य:** यह गवर्नेंस, नीतिगत सुधारों, क्षमता निर्माण आदि क्षेत्रकों में कार्य करता है। साथ ही, भारत तथा अन्य विकासशील देशों के सिविल सेवकों और तकनीशियनों को प्रशिक्षण भी प्रदान करता है।
	    ▪ **गुड गवर्नेंस (सुशासन) को बढ़ावा देने वाली सर्वोत्तम पद्धतियों,** पहलों और कार्यप्रणाली पर जानकारी के राष्ट्रीय भंडार के रूप में कार्य करता है।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी या राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (National Investigation Agency: NIA)	• NIA ने लंदन में भारतीय उच्चायोग पर हमले में शामिल लोगों का पता लगाने के लिए अलग-अलग स्थानों पर तलाशी ली है।
	• NIA का गठन 26/11 हमले के बाद **NIA अधिनियम 2008** द्वारा किया गया था।
	  ○ यह एक **संघीय आतंकवाद-रोधी एजेंसी** है। यह भारत के किसी भी हिस्से में आतंकवादी गतिविधि का स्वत: संज्ञान ले सकती है।
	  ○ **NIA (संशोधन) अधिनियम, 2019** ने NIA को अंतर्राष्ट्रीय संधियों और अन्य देशों के घरेलू कानूनों

	के अधीन रहते हुए, **भारत के बाहर किए गए अनुसूचित अपराधों की जांच करने का अधिकार** दिया है। ▪ वर्ष 2019 के अधिनियम ने केंद्र को NIA द्वारा जांचों के लिए **सत्र न्यायालय को विशेष अदालत के रूप में नामित** करने का अधिकार भी दिया है।
कैबिनेट सचिव (Cabinet Secretary)	• कैबिनेट सचिव को एक और साल के लिए सेवा विस्तार दिया गया है। • **कैबिनेट सचिव पद के बारे में** ○ कैबिनेट सचिव की नियुक्ति **मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ACC) द्वारा वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार** पर की जाती है.। ○ कैबिनेट सचिव **भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 और भारत सरकार (कार्य-संचालन) नियम, 1961** के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। ○ कैबिनेट सचिव **सिविल सेवा बोर्ड (CSB) का प्रमुख** भी होता है।

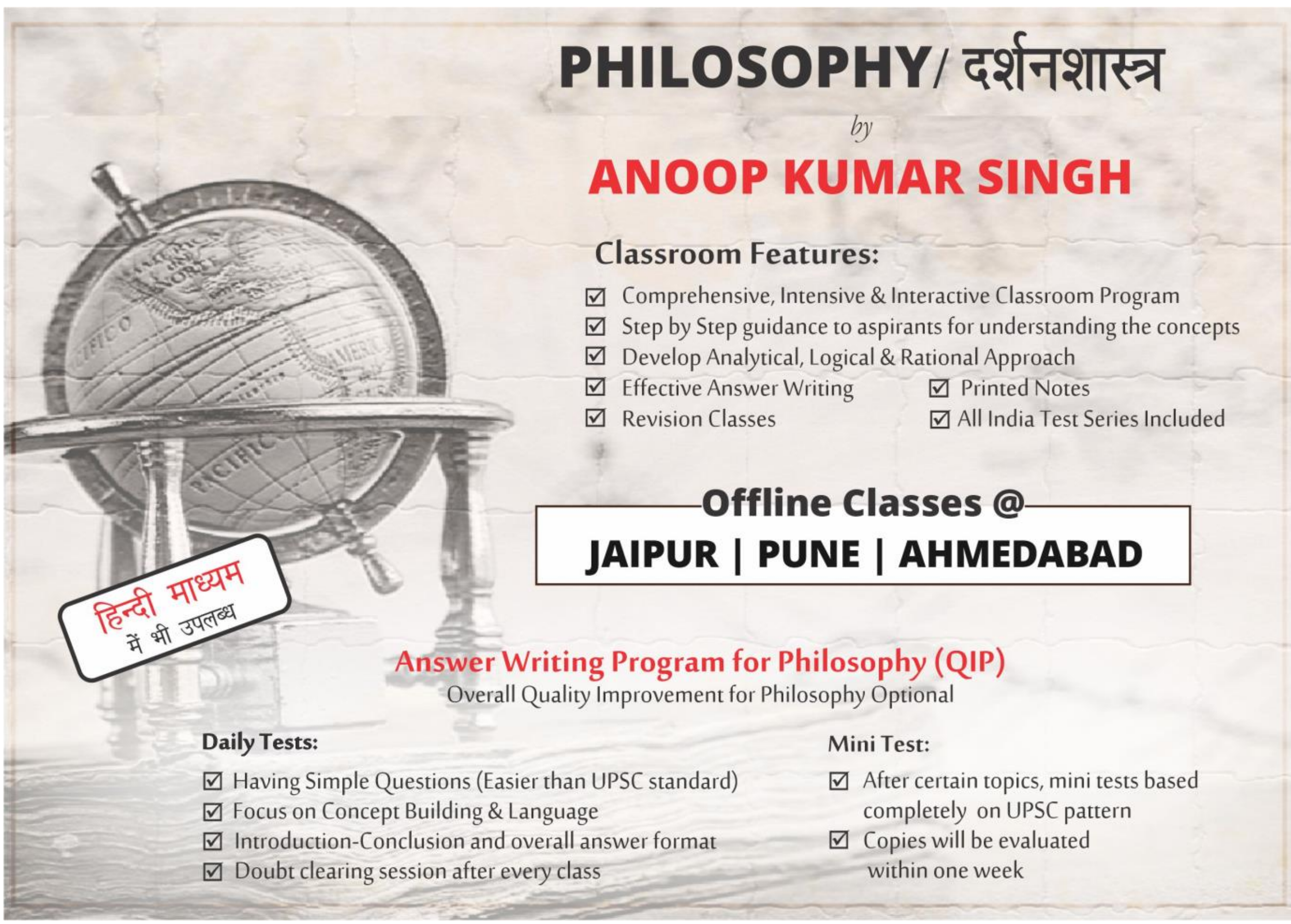

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन

UPSC मुख्य परीक्षा में सबसे ज्यादा उत्तर लेखन का कौशल मायने रखता है। इसका कारण यह है कि उत्तर लिखने की कला ही अभ्यार्थियों के लिए अपने ज्ञान, समझ, विश्लेषणात्मक क्षमता और टाइम मैनेजमेंट के कौशल को प्रदर्शित करने के एक प्राथमिक साधन के रूप में कार्य करती है। मुख्य परीक्षा में प्रभावी उत्तर लेखन, इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से पेश करने, विविध दृष्टिकोणों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने और संतुलित तर्क प्रस्तुत करने की क्षमता प्रदर्शित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कुशलतापूर्वक एवं समग्रता से लिखा गया उत्तर, परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करने एवं इस प्रतिस्पर्धी माहौल में अभ्यार्थियों को भीड़ से अलग करने में सहायक होता है, जो अंततः UPSC मुख्य परीक्षा में उनकी सफलता का निर्धारण करता है।

प्रभावशाली उत्तर लेखन के प्रमुख घटक

संदर्भ की पहचानः प्रश्न के थीम या टॉपिक को समझना एवं उस टॉपिक के संदर्भ में ही अपना उत्तर लिखना।

सटीक एवं प्रभावी इंट्रोडक्शनः उत्तर शुरू करने के लिए भूमिका को आकर्षित ढंग से लिखने से, परीक्षक का ध्यान आकर्षित होता है एवं इससे उत्तर के आगे होने वाली चर्चाओं का संक्षिप्त विवरण मिलता है।

संतुलित निष्कर्षः मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में लिखने का प्रयास करना चाहिए। यदि प्रश्न में पूछा गया हो तो अंतर्दृष्टि या सिफारिशें प्रस्तुत करनी चाहिए। साथ ही, अपने तर्क या चर्चा को संतोषजनक निष्कर्ष तक पहुंचाना भी आवश्यक होता है।

कंटेंट की प्रस्तुतीः विषय–वस्तु की व्यापक समझ का प्रदर्शन करना भी जरूरी होता है। इसके लिए प्रश्न से संबंधित सटीक तथ्यों, प्रासंगिक उदाहरणों एवं व्यावहारिक विश्लेषण को उत्तर में शामिल करना चाहिए।

संरचना एवं प्रस्तुतीकरणः उत्तर को क्लियर हेडिंग के साथ, सब–हेडिंग या बुलेट पॉइंट के माध्यम से व्यवस्थित तरीके से लिखना आवश्यक होता है। इसके अलावा, आसान समझ के लिए जानकारी को तार्किक ढंग से एवं बेहतर रूप से प्रस्तुत करना जरूरी होता है।

भाषाः संदर्भ के अनुरूप सटीक और औपचारिक भाषा का उपयोग करना आवश्यक होता है। साथ ही, शब्दजाल, आम बोलचाल की भाषा के इस्तेमाल या अस्पष्टता से बचते हुए अभिव्यक्ति में प्रवाह एवं स्पष्टता का प्रदर्शन करना आवश्यक होता है।

Vision IAS के "ऑल इंडिया GS मेन्स टेस्ट सीरीज़ और मेंटरिंग प्रोग्राम" से जुड़कर प्रभावशाली उत्तर लेखन की कला एवं रणनीति में महारत हासिल कीजिए। इस प्रोग्राम में शामिल हैं:

- उत्तर लेखन पर 'मास्टर क्लासेज'
- विस्तृत मूल्यांकन
- व्यक्तिगत मेंटरिंग
- फ्लेक्सिबल टेस्ट शेड्यूल
- व्यापक फीडबैक
- पोस्ट–टेस्ट डिस्कशन

यह हमेशा ध्यान रखिए कि **सिविल सेवा मुख्य परीक्षा UPSC CSE** की यात्रा का एक चरण मात्र नहीं है, बल्कि यह सिविल सेवाओं में प्रतिष्ठित पद तक पहुंचने का एक डायरेक्ट गेटवे है। इस प्रकार, यह परीक्षा आपकी आकांक्षाओं को वास्तविकता में बदल देता है।

"ऑल इंडिया GS मेन्स टेस्ट सीरीज़ और मेंटरिंग प्रोग्राम" के लिए रजिस्टर करने और ब्रोशर डाउनलोड करने हेतु QR कोड को स्कैन कीजिए।

टॉपर्स के एप्रोच और तैयारी की रणनीतियों को जानने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

8. शासन के महत्वपूर्ण पहलू (Important Aspects of Governance)

8.1. मिशन कर्मयोगी (Mission Karmayogi)

सुशासन दिवस (Good Governance Day)

यह दिवस पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय **श्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में प्रतिवर्ष 25 दिसंबर** को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 2014 में हुई थी। यह दिवस **नागरिक-केंद्रित, कुशल और पारदर्शी शासन व्यवस्था को बढ़ावा देने तथा सेवा-वितरण में सुधार** लाने के लिए मनाया जाता है।

सुर्ख़ियों में क्यों?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने सुशासन दिवस पर मिशन कर्मयोगी का विस्तारित संस्करण शुरू किया।

मिशन कर्मयोगी के बारे में

- मिशन कर्मयोगी, **सिविल सेवकों के क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम** है। इसका उद्देश्य नए भारत के विज़न के अनुसार **भविष्य के लिए तैयार (फ्यूचर रेडी) सिविल सेवा का निर्माण** करना है। **ये निम्नलिखित गुणों वाली सिविल सेवा होगी:**
    - **सही दृष्टिकोण वाली सिविल सेवा:** इसके तहत सिविल सेवकों को **इनोवेटिव, पेशेवर** इत्यादि बनाने पर ध्यान दिया जाएगा;
    - **तकनीकी क्षमता से युक्त कुशल सिविल सेवक;** और
    - **न्यू इंडिया के विजन और ज्ञान** से युक्त सिविल सेवक।

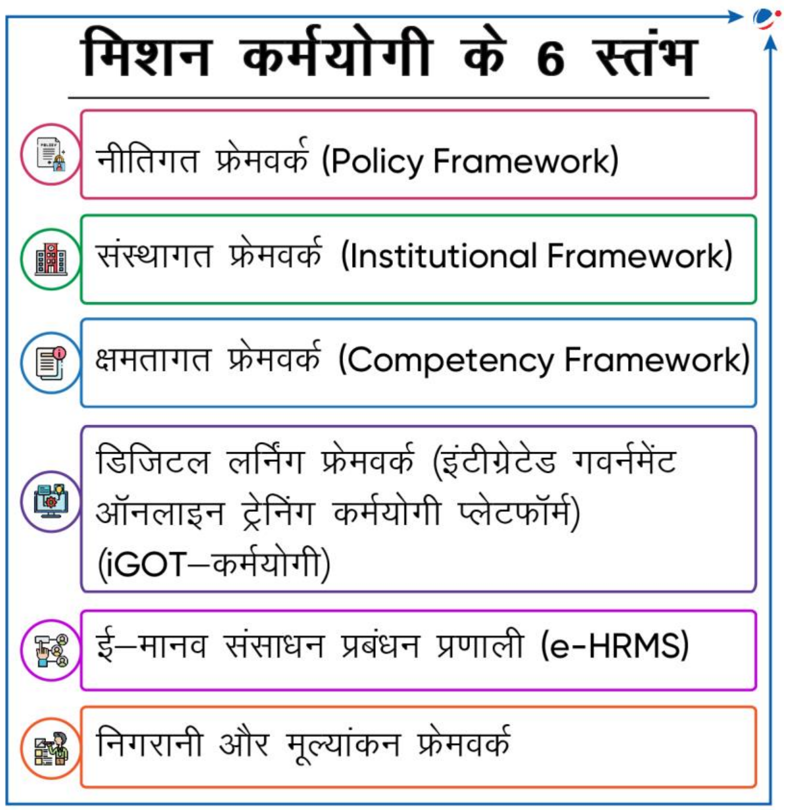

- **मिशन कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर शुरू की गई नई सुविधाएं:**
    - **My iGOT:** यह व्यक्तिगत अधिकारी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया **प्रशिक्षण पाठ्यक्रम** है।
    - **मिश्रित कार्यक्रम:** इसमें **सभी स्तरों पर प्रशिक्षण के तरीकों तक समान पहुंच** सुनिश्चित की जाएगी। इसमें **ऑफलाइन कक्षा पाठ्यक्रमों को ऑनलाइन लर्निंग घटकों के साथ एकीकृत** किया जाएगा।
    - **विकास/VIKAS (वेरिएबल एंड इमर्सिव कर्मयोगी एडवांस्ड सपोर्ट):** यह केंद्रीय सचिवालय में कार्यरत सिविल सेवकों के प्रबंधन के लिए नया मिश्रित शिक्षण कार्यक्रम है।
    - **क्यूरेटेड कार्यक्रम:** यह कार्यक्रम, मंत्रालयों/ विभागों और प्रशिक्षण संस्थानों की विविध लर्निंग आवश्यकताओं को पूरा करता है।
    - **12 डोमेन विशिष्ट क्षमता निर्माण ई-लर्निंग पाठ्यक्रम** विकसित किए गए हैं।
- **केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम**[44]**, 1964** के **नियम 14** में **निजी निकायों और संस्थानों से सरकारी कर्मचारियों** द्वारा पुरस्कारों की स्वीकृति के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं।
    - **केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964** भारत में सरकारी कर्मचारियों के आचरण को नियंत्रित करते हैं।

[44] Central Civil Services (Conduct) Rules

कर्मयोगी प्रारंभ

- "कर्मयोगी प्रारंभ" एक **ऑनलाइन ओरिएंटेशन** कार्यक्रम है। इसे **कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय** के तहत शुरू किया गया है।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य **'रोजगार मेलों'** से भर्ती किए गए सभी **नए सरकारी कर्मचारियों को सरकारी नीतियों से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्रदान** करना है।
  - कर्मयोगी प्रारंभ कार्यक्रम **आठ पाठ्यक्रमों का एक सेट** है, जिन्हें रोजगार मेले से भर्ती किए गए सभी कर्मियों के लिए तैयार किया गया है।
- कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल, **मिशन कर्मयोगी** का हिस्सा है।

8.2. सूचना का अधिकार (Right to Information: RTI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को क्रमश: केंद्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग में रिक्तियों को भरने का निर्देश दिया है।

सूचना का अधिकार (RTI) के बारे में

- RTI का तात्पर्य है कि **कोई भी भारतीय नागरिक राज्य या केंद्र सरकार के कार्यालयों और विभागों से कोई भी सूचना (जिसे सार्वजनिक जानकारी माना जाता है) प्राप्त करने का अनुरोध** कर सकता है।
- **नोडल एजेंसी: कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT)** RTI अधिनियम को लागू करने के लिए उत्तरदायी नोडल एजेंसी है। यह **कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय** के अधीन कार्य करता है।
- **RTI अधिनियम, 2005 के मुख्य प्रावधानों पर एक नज़र:**
  - **धारा 2(h): लोक प्राधिकारी (Public authority)** का तात्पर्य किसी ऐसे प्राधिकरण या निकाय या स्वायत्तशासी संस्था से है, जिसे-
    - **संविधान** द्वारा या उसके अधीन स्थापित किया गया हो;
    - **संसद/ राज्य विधान-मंडल द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून** द्वारा स्थापित किया गया हो;
    - **सरकार द्वारा जारी अधिसूचना या आदेश** के जरिए स्थापित या गठित किया गया हो।

    इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
    - ✓ ऐसी संस्था जो सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण में हैं या जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार से वित्त-पोषित हैं;
    - ✓ ऐसे गैर-सरकारी संगठन जो सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराए गए फंड्स से वित्त-पोषित हों।
  - **धारा 6(1):** कोई व्यक्ति, जो इस **अधिनियम के तहत कोई सूचना प्राप्त** करना चाहता है, उसे केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (CPIO)[45] या राज्य लोक सूचना अधिकारी (PIO) को लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अनुरोध करना होता है।

केंद्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission: CIC) — सांविधिक निकाय

- **स्थापना:** इसका गठन 2005 में **RTI अधिनियम, 2005** के तहत किया गया था।
- **नियुक्ति:** राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश के बाद की जाती है। समिति में शामिल होते हैं–
  - प्रधान मंत्री (समिति के अध्यक्ष),
  - लोक सभा में विपक्ष के नेता, और
  - प्रधान मंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री।
- **कार्यकाल:** तीन वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष
- **संरचना:**
  - इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) और अधिकतम दस सूचना आयुक्त (IC) शामिल होते हैं।
  - **CIC पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होता है।**
- **कार्य:**
  - समन जारी करने, दस्तावेजों के प्रकटीकरण आदि के संबंध **सिविल न्यायालय के समान शक्तियां।**
  - इसे **RTI, 2005 के तहत किसी व्यक्ति द्वारा मांगी गई सूचना से संबंधित शिकायतों की जांच करने का अधिकार** प्रदान किया गया है।

[45] Central Public Information Officer

© Vision IAS

- ○ **धारा 7:** इसके तहत PIOs द्वारा सूचना प्रदान करने के लिए **अधिकतम समय-सीमा** तय की गई है।
- ○ **धारा 8:** इसके तहत कुछ मामलों में **सूचना के प्रकटीकरण से छूट** प्रदान की गई है।

- **RTI अधिनियम, 2005 के तहत छूट:**
  - ○ **RTI अधिनियम की धारा 24** में यह प्रावधान किया गया है कि RTI कानून **दूसरी अनुसूची में शामिल किए गए आसूचना (Intelligence) और सुरक्षा संगठनों पर लागू नहीं** होगा।
    - ▪ हालांकि, **भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों से संबंधित सूचना को इस उपधारा के तहत छूट नहीं** दी जाएगी।
  - ○ दूसरी अनुसूची में CERT-in, रॉ (RAW), IB जैसी **आसूचना (खुफिया) और सुरक्षा एजेंसियां** शामिल हैं।
- **RTI अधिनियम, 2005 के तहत अन्य छूटों में शामिल हैं.**
  - ○ **धारा 8(1): सभी छूटों की सूची** (टेबल देखें):

ऐसी सूचना, जिसे प्रकट करने से **भारत की संप्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, अन्य देशों के साथ संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या किसी अपराध को बढ़ावा** मिलता हो;	ऐसी सूचना, जो **वाणिज्यिक गोपनीयता, ट्रेड सीक्रेट या बौद्धिक संपदा** से जुड़ी हुई हो, जिसे प्रकट करने से किसी तीसरे पक्ष की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता हो; यदि सक्षम प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाए कि ऐसी जानकारी का खुलासा करना व्यापक जनहित के लिए जरूरी है तो उसे प्रकट करना होगा।
ऐसी सूचना, जिसे प्रकट करने से **न्यायालय की अवमानना** होती हो;	ऐसी सूचना, जिसे प्रकट करने से **किसी व्यक्ति का जीवन या शारीरिक सुरक्षा खतरे में पड़ सकता/ सकती हो;**
ऐसी सूचना, जो **संसद या राज्य विधान-मंडल के विशेषाधिकारों का उल्लंघन** करती हो;	ऐसी सूचना जो **अपराधों की जांच या गिरफ्तारी या अभियोजन की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती हो;**
किसी विदेशी सरकार से विश्वास पर प्राप्त सूचना;	**मंत्रिमंडल के दस्तावेज,** जिसमें मंत्रिपरिषद, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार-विमर्श के दस्तावेज शामिल होते हैं;
किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वासिक संबद्धता (Fiduciary relationship) से संबंधित सूचना के मामले में; यदि सक्षम प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाए कि ऐसी जानकारी का खुलासा करना व्यापक जनहित के लिए जरूरी है तो उसे प्रकट करना होगा।	**ऐसी सूचना जो किसी की व्यक्तिगत सूचना से संबंधित हो**, जिसे प्रकट करने का किसी सार्वजनिक क्रियाकलाप या हित से कोई संबंध न हो, या जिससे **निजता का अनावश्यक उल्लंघन** होता हो।

  - ○ **धारा 8(2)** में कहा गया है कि यदि सूचना के प्रकटीकरण के कारण लोक हित को होने वाला लाभ **संरक्षित हित के नुकसान से अधिक** है, तो RTI अधिनियम की **धारा 8(1) और ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट, 1923** के तहत छूट प्राप्त जानकारी का खुलासा किया जा सकता है।

8.3. आधार (Aadhaar)

सुर्ख़ियों में क्यों?

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने सरकारी मंत्रालयों एवं विभागों के अलावा अन्य संस्थाओं को भी आधार प्रमाणीकरण के प्रयोग में सक्षम बनाने हेतु नियमों को प्रस्तावित किया है। इसका प्रस्ताव नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के वितरण को और अधिक बेहतर बनाने के लिए किया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- वर्तमान में, मंत्रालयों और विभागों को **2020 के नियमों के तहत आधार प्रमाणीकरण को लागू करने की अनुमति दी** गई है।

- यह अनुमति **सुशासन के हित में, सार्वजनिक धन के रिसाव को रोकने, नवाचार को सक्षम बनाने तथा ज्ञान का प्रसार** करने जैसे उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दी गई है।

- इसके अतिरिक्त, 2019 के संशोधन में उपबंध किया गया है कि यदि UIDAI **बैंकों और दूरसंचार कंपनियों** जैसी संस्थाओं द्वारा **गोपनीयता एवं सुरक्षा संबंधी मानकों के अनुपालन** से संतुष्ट हो जाता है, तो इन संस्थाओं को भी प्रमाणीकरण करने की अनुमति दी जा सकती है।
- अब, यह प्रस्तावित किया गया है कि **मंत्रालय या विभाग के अलावा कोई भी संस्था,** जो आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करना चाहती है, उसे केंद्र या राज्य स्तर पर **संबंधित मंत्रालय/विभाग को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत** करना होगा।

प्रमुख-प्रौद्योगिकी विशेषताएं

- **बायोमेट्रिक्स आधारित डी-डुप्लीकेशन:** वर्तमान में बायोमेट्रिक सेवा प्रदाता (Biometric Service Providers: BSPs) डी-डुप्लीकेशन के लिए **10 फिंगरप्रिंट और दो आइरिस (Iris) के साथ-साथ अन्य बायोमेट्रिक विशेषता के रूप में चेहरे की छवि** का भी उपयोग कर रहे हैं।
- **बायोमेट्रिक्स धोखाधड़ी का पता लगाना:** वर्तमान में BSPs नामांकन के दौरान मिश्रित बायोमेट्रिक्स, गलत उंगलियों, गैर-मानवीय उंगलियों, कृत्रिम उंगलियों (Gummy fingers), आइरिस की उल्टी (Inverted) छवियों और आंखों को बंद करने आदि का पता लगा सकते हैं।

आधार की प्रमुख विशेषताएं

- **विशिष्टता:** आधार 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या है। किसी भी नागरिक के पास इसकी डुप्लिकेट संख्या नहीं हो सकती है क्योंकि यह उनके व्यक्तिगत बायोमेट्रिक्स से जुड़ी होती है।
- **क्रमरहित संख्या:** आधार नामांकन प्रक्रिया में जाति, धर्म, आय, स्वास्थ्य, भूगोल आदि जैसे विवरण शामिल नहीं हैं।
- **व्यापक प्रौद्योगिकी अवसंरचना:** UID की अवसंरचना ओपन और स्केलेबल है। इसमें नागरिक का डेटा केंद्रीय रूप से भंडारित किया जाता है। इसे देश में कहीं से भी ऑनलाइन प्रमाणित किया जा सकता है।
- **लक्षित डिलीवरी:** आयकर रिटर्न दाखिल करने और सरकारी सब्सिडी या लाभ प्राप्त करने के लिए आधार अनिवार्य है। गैर-आधार धारकों को सब्सिडी हेतु पहचान के वैकल्पिक साधनों की पेशकश की जाएगी।
- **पते और पहचान का प्रमाण:** यह भारत के निवासियों के लिए पहचान और पते के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। हालांकि, आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है।
- **इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण:** UID से जुड़े बैंक खातों का नेटवर्क निवासियों को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए एक सुरक्षित और कम लागत वाला मंच प्रदान करता है।

आधार अधिनियम की संवैधानिकता (न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ वाद)

- **आधार (वित्तीय एवं अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016** को **सुप्रीम कोर्ट में चुनौती** दी गई थी। इस चुनौती का आधार अधिनियम को **धन विधेयक के रूप में पारित** करना और इसलिए इस प्रक्रिया में **संसद के ऊपरी सदन को महत्त्व नहीं** दिया जाना था।
- के. एस. पुट्टास्वामी वाद से जुड़े निर्णय (2018) में सुप्रीम कोर्ट ने आधार अधिनियम की **संवैधानिकता** की पुष्टि की थी।
- **कोर्ट के निर्णय के मुख्य निष्कर्ष:**
  - इस अधिनियम को संसद द्वारा **सक्षम रूप से** पारित किया गया था, भले ही इसे धन विधेयक के रूप में पारित किया गया हो।
  - यह अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 के तहत प्रदत्त **मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं** करता है।
  - **समाज कल्याण योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार अनिवार्य** होगा। इसे लोगों पर **बैंक खाता खुलवाने या मोबाइल एवं इंटरनेट कनेक्शन के लिए एक अनिवार्य शर्त के रूप में नहीं थोपा** जा सकता है।

 © Vision IAS

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
(Unique Identification Authority of India: UIDAI)

सांविधिक निकाय

उत्पत्तिः इसे **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Meity)** के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा **आधार अधिनियम, 2016** के प्रावधानों तहत स्थापित किया गया था।

कार्य (Functions):

- **विशिष्ट पहचान संख्या (UID) अर्थात् 'आधार' जारी करना।**
- आधार के सभी चरणों का **संचालन और प्रबंधन** करने सहित आधार का नामांकन और प्रमाणीकरण करना।
- व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करने हेतु **नीति, प्रक्रिया और प्रणाली** विकसित करना।
- व्यक्तियों की पहचान संबंधी जानकारी और प्रमाणीकरण रिकॉर्ड की **सुरक्षा** सुनिश्चित करना।

8.4. ऑनलाइन गेमिंग का विनियमन (Regulation of Online Gaming)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeiTY) ने आई.टी. नियम अथवा सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021** में संशोधन किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इन संशोधनों का उद्देश्य ऑनलाइन गेम और सरकारी कार्य से संबंधित नकली या झूठी भ्रामक जानकारी के संबंध में **ऑनलाइन गेमिंग और सोशल मीडिया मध्यवर्तियों** द्वारा अधिक व्यापक स्तर पर उचित सूचनाओं का प्रसार करना है।
- आई.टी. नियम, 2021 और इसके संशोधनों को **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 87** के तहत लाया गया है।
- सोशल मीडिया मध्यवर्तियों को विनियमित करने के लिए आई.टी. नियम, 2021 को लागू किया गया था।

ऑनलाइन गेमिंग पर नियमों की मुख्य विशेषताएं

- **स्पष्ट परिभाषाएं:**
    - **"ऑनलाइन गेम"** का अर्थ **इंटरनेट के माध्यम से खेला जाने वाला** एक गेम है और इसे खेलने के लिए एक उपयोगकर्ता को कंप्यूटर संसाधन या मध्यवर्ती का सहारा लेना होता है।
    - **"ऑनलाइन गेमिंग मध्यवर्ती (OGI)"** का अर्थ किसी भी ऐसे मध्यवर्ती से है, जो अपने कंप्यूटर संसाधन के उपयोगकर्ताओं को एक या अधिक ऑनलाइन गेम खेलने में सक्षम बनाता है।
- **मध्यवर्तियों की भूमिका:** किसी भी ऐसे **ऑनलाइन गेम को होस्ट, प्रकाशित या साझा नहीं** करने के लिए पर्याप्त प्रयास करना-
    - जो **उपयोगकर्ता को नुकसान पहुंचा** सकता है अथवा
    - जिसे केंद्र सरकार द्वारा नामित **ऑनलाइन गेमिंग स्व-विनियामक निकाय/निकायों (SRBs) द्वारा अनुमत ऑनलाइन गेम के रूप में सत्यापित नहीं** किया गया है।
        - मध्यवर्ती को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि **प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन या स्थानापन्न विज्ञापन या ऐसे ऑनलाइन गेम का प्रचार जो कि एक अनुमत ऑनलाइन गेम नहीं है, को होस्ट नहीं** किया जाता है।

© Vision IAS

- **OGI पर अतिरिक्त दायित्व:** संशोधित नियमों के तहत OGI को **रियल मनी के लेन-देन से जुड़े ऑनलाइन गेम के संबंध में** अतिरिक्त दायित्व सौंपे गए हैं। **इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:**
  - ऐसे गेम्स पर स्व-विनियामक निकाय द्वारा **सत्यापन चिन्ह प्रदर्शित** करना;
  - अपने उपयोगकर्ताओं को **जमा धन निकालने या भुगतान** के लिए नीति के बारे में सूचित करना;
  - उपयोगकर्ताओं के **KYC विवरण प्राप्त** करना; और
  - तृतीय पक्षों द्वारा उपयोगकर्ताओं को **क्रेडिट नहीं देना या उनका वित्त-पोषण नहीं** करना।
- **एक से अधिक SRBs:** ऑनलाइन गेम को अनुमत के रूप में सत्यापित करने के उद्देश्य से MeiTY **कई SRBs** को अधिसूचित कर सकता है। **एक SRB को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना चाहिए:**
  - उसे कंपनी अधिनियम 2013 की **धारा 8 (गैर-लाभकारी संस्था) के तहत पंजीकृत कंपनी के रूप में होना चाहिए।**
  - **वह ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के प्रतिनिधि के रूप में हो** और जिम्मेदार तरीके से ऑनलाइन गेम को बढ़ावा दे रहा हो।
  - **उसके द्वारा शिकायत निवारण, आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल, प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग** से संबंधित प्रावधानों को शामिल किया गया हो। साथ ही, सदस्यता के लिए स्पष्ट मानदंड निर्धारित किए गए हों।
    - **आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल:** एक व्यापारिक सौदा, जिसमें खरीदार और विक्रेता एक-दूसरे पक्ष को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं।
- **SRBs का प्राधिकार:** SRB किसी भी खेल को अनुमत खेल के रूप में वर्गीकृत कर सकता है, यदि वह संतुष्ट है कि:
  - ऑनलाइन गेम में किसी नतीजे पर **दांव लगाना शामिल नहीं** है,
  - **OGI और गेम संबंधित नियमों तथा एक अनुबंध (वर्तमान में 18 वर्ष) में प्रवेश करने के लिए कानून के तहत निर्धारित अपेक्षाओं का अनुपालन** करते हों, और
  - OGI और गेम सुरक्षा उपायों के संबंध में **SRB द्वारा बनाए गए ढांचे का अनुपालन** करते हों।
- **निषेध:** किसी भी प्रकार के **जुए (विज्ञापनों सहित) वाले ऑनलाइन गेम निषिद्ध** होंगे।

8.5. भारत में उपभोक्ता संरक्षण (Consumer Protection in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल की कुछ रिपोर्ट्स से पता चलता है कि उपभोक्ता संरक्षण आयोग (CPA)[46] के समक्ष **लंबित मामलों की संख्या में गिरावट** आई है। दिसंबर, 2022 में लंबित मामलों की संख्या 5.55 लाख थी, जो सितंबर, 2023 में घटकर 5.45 लाख हो गई थी।

उपभोक्ता किसे कहते हैं?

- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (CPA), 2019 के अनुसार, वह व्यक्ति **उपभोक्ता** कहलाता है **जो किसी वस्तु या सेवा** को खरीदने या प्राप्त करने के लिए, भुगतान करता है या भुगतान करने का वचन देता है, अथवा कुछ हिस्से का भुगतान करता है या कुछ हिस्से का भुगतान करने का वचन देता है, या भविष्य में भुगतान करने के लिए कोई अनुबंध करता है।

---

46 Consumer Protection Act

 © Vision IAS

- ○ यह इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से या टेलीशॉपिंग अथवा डायरेक्ट सेलिंग या मल्टीलेवल मार्केटिंग के जरिए ख़रीदे गए/ प्राप्त **ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह के लेन-देन** पर लागू होता है।
- हालांकि, यदि कोई व्यक्ति वस्तुओं को **पुनः बेचने के लिए या उसका वाणिज्यिक उपयोग करने के लिए खरीदता है या सेवाओं का लाभ उठाता है,** तो उसे **उपभोक्ता नहीं** माना जाता है। साथ ही, वह CPA, 2019 के दायरे में भी नहीं आता है।

भारत में उपभोक्ता संरक्षण के लिए किए गए उपाय

- **CPA, 2019:** यह **केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA)**[47] की स्थापना का प्रावधान करता है।
- **उपभोक्ता संरक्षण (जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के अधिकार क्षेत्र) नियम**[48]**, 2021:** उपभोक्ता विवादों का सरल, शीघ्र और वहनीय समाधान प्रदान करने के लिए CPA, 2019 में **राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर 3-स्तरीय अर्ध-न्यायिक तंत्र** के गठन का प्रावधान किया गया है।
- **कॉन्फोनेट प्रोजेक्ट (ConfoNet Project):** इसे देश में उपभोक्ता मंचों का कम्प्यूटरीकरण करने और कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए शुरू किया गया है। इसे CPA, 1986 की पृष्ठभूमि में लागू किया गया है।
  - ○ इसका उद्देश्य उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े न्यायिक प्रशासन के काम-काज में दक्षता, समन्वय, पहुंच और गति में सुधार करना है। साथ ही, इसके जरिए पूरे देश में **उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोगों** में **ICT संबंधी अवसंरचना की स्थापना** की गई है।
- **एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र (INGRAM)**[49] **पोर्टल:** इसे **उपभोक्ता मामलों के विभाग** के तत्वावधान में **जागरूकता पैदा करने, सलाह देने और उपभोक्ता संबंधी शिकायतों का निवारण** करने हेतु विकसित किया गया है। इसके अतिरिक्त, यह उपभोक्ता संबंधी शिकायतों को दर्ज करने के लिए एक **केंद्रीय रजिस्ट्री** के रूप में भी कार्य करता है।
- **ई-दाखिल पोर्टल:** यह उपभोक्ताओं को संबंधित उपभोक्ता फोरम से आसानी से संपर्क करने के लिए **परेशानी रहित, त्वरित और किफायती सुविधा प्रदान करता** है। इस सुविधा से देश भर के उपभोक्ताओं को अपनी शिकायत निवारण के लिए यात्रा करने और शारीरिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता समाप्त हो गई है।
- **प्रमाणन चिन्ह प्रदान करना (Certification markers):** यह गुणवत्ता मानकों के संबंध में उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करता है तथा उनके प्रति उन्हें जागरूक करता है।

8.6. सेलिब्रिटिज़, इन्फ्लुएंसर्स और वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स के लिए दिशा-निर्देश (Guidelines for Celebrities, Influencers, and Virtual Influencers)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (ASCI)**[50] **ने डिजिटल मीडिया में इन्फ्लुएंसर्स द्वारा किए जाने वाले विज्ञापनों हेतु व्यापक दिशा-निर्देश** जारी किए हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- ये दिशा-निर्देश **'भ्रामक विज्ञापनों और भ्रामक विज्ञापनों के समर्थन की रोकथाम दिशा-निर्देश, 2022'** का विस्तार हैं।
- **उपभोक्ता मामलों का विभाग** सक्रिय रूप से इन दिशा-निर्देशों की निगरानी और कार्यान्वयन करेगा। यह विभाग **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन** है।
- नए दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर इन्फ्लुएंसर्स को **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019** के तहत दंडित किया जा सकता है।

---

[47] Central Consumer Protection Authority

[48] Consumer Protection (Jurisdiction of District Commission, State Commission and National Commission) Rules

[49] Integrated Grievance Redressal Mechanism

[50] Advertising Standards Council of India

सेलिब्रिटिज़, इन्फ्लुएंसर्स और वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स के लिए प्रमुख प्रावधान

- **सभी के लिए दिशा-निर्देश:**
  - **प्रकटीकरण: विज्ञापनदाता** और **इन्फ्लुएंसर** के बीच **सभी भौतिक संबंधों (जैसे- मौद्रिक या अन्य पारितोषिक, निःशुल्क उत्पाद आदि) का खुलासा करना अनिवार्य है।**
    - इसका उल्लेख **ईमानदारी एवं स्पष्ट** रूप से किया जाना चाहिए, ताकि एक **औसत उपभोक्ता को भी इसके बारे में स्पष्ट जानकारी प्राप्त** हो सके।
    - **विज्ञापन, प्रायोजित, सहभागिता और भुगतान युक्त प्रचार** (Paid Promotion) जैसी शब्दावलियों का प्रयोग किया जा सकता है। इन्हें **हैशटैग या हेडलाइन टेक्स्ट** के रूप में दर्शाया जाना चाहिए।
  - **यथोचित उत्तरदायित्व:** विज्ञापनकर्ताओं (Endorsers) को **गहन समीक्षा करने** और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वे विज्ञापन में किए गए दावों को **प्रमाणित करने** की स्थिति में हैं।
    - उन्हें किसी **उत्पाद या सेवा** का विज्ञापन करने से पहले उसका **उपयोग या अनुभव** करना होगा।
    - इन्फ्लुएंसर को **झूठे, भ्रामक या अतिरंजित दावे करने से बचना** चाहिए।
- **स्वास्थ्य से संबंधित इन्फ्लुएंसर के लिए:**
  - **प्रमाणीकरण के बारे में बताना:** प्रमाणित चिकित्सकों और स्वास्थ्य एवं फिटनेस विशेषज्ञों को जानकारी साझा करते समय या प्रचार करते समय यह बताना होगा कि वे प्रमाणित स्वास्थ्य/फिटनेस विशेषज्ञ एवं चिकित्सा व्यवसायी हैं।
  - **डिस्क्लेमर:** विज्ञापनकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि दर्शक उनकी (विज्ञापनकर्ताओं) पुष्टि को पेशेवर चिकित्सा सलाह, निदान या उपचार के विकल्प के रूप में नहीं देखें।
- **फिनफ्लुएंसर (Finfluencers) के लिए:**
  - **पंजीकरण: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)** में पंजीकरण के बाद ही वे बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा (BFSI) जैसे विषयों पर **निवेश संबंधी सलाह** दे सकते हैं।
    - **अन्य वित्तीय इन्फ्लुएंसर** के पास भी **उचित प्रमाण-पत्र** होने चाहिए, **जैसे कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) से प्राप्त लाइसेंस।**

'भ्रामक विज्ञापनों और भ्रामक विज्ञापनों के समर्थन की रोकथाम दिशा-निर्देश, 2022

- **मुख्य दिशा-निर्देश:**
  - **सरोगेट विज्ञापनों पर रोक: उन वस्तुओं या सेवाओं के लिए कोई सरोगेट विज्ञापन नहीं किया जाएगा,** जिनका विज्ञापन निषिद्ध या प्रतिबंधित है। जैसे अल्कोहल ब्रांड सोडा/ संगीत का विज्ञापन करते हैं।
  - **बच्चों को लक्षित करने पर प्रतिबंध: बच्चों की अनुभवहीनता का फायदा उठाने वाले** विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
  - **जुर्माना:** इन दिशा-निर्देशो का उल्लंघन होने पर **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019** और कानून के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है।
    - **केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA)** विनिर्माताओं, विज्ञापनदाताओं और विज्ञापनकर्ताओं पर **10 लाख रुपये** तक का जुर्माना लगा सकता है। इसके बाद के उल्लंघनों के लिए **50 लाख रुपये** तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

8.7. अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 या वन अधिकार अधिनियम (FRA) {Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 or Forest Right Act (FRA)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार, राज्यों ने **वन अधिकार अधिनियम (FRA)** के तहत वन भूमि संबंधी लगभग 40% दावों को खारिज कर दिया है।

वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 के बारे में

- **वन में निवास करने वाले जनजातीय समुदायों (FDSTs)**[51] और **अन्य परंपरागत वनवासियों (OTFDs)**[52] को निवास के लिए या जीविका के लिए वन संसाधनों के अधिकारों को मान्यता देता है।

---

[51] Forest Dwelling Tribal Communities:

© Vision IAS

- **FRA अधिनियम की धारा 3 के तहत अधिकारों के प्रकार:**
    - **व्यक्तिगत वन अधिकार (Individual Forest Rights: IFR):** इसके अंतर्गत व्यक्तिगत या साझा रूप में वन भूमि पर निवास करने या जीविका हेतु स्वयं-खेती करने का अधिकार प्रदान किया गया है।
    - **सामुदायिक वन अधिकार (Community Forest Rights: CFR):** यह वन-निवासी समुदायों के सभी प्रथागत और परंपरागत[53] भूमि उपयोग अधिकारों को पुनर्बहाल करने का प्रावधान करता है।
        - ध्यातव्य है कि इस अधिकार का प्रयोग गांव की **परंपरागत या प्रथागत सीमाओं** के भीतर किया जाएगा, भले ही वनों का स्वामित्व, वर्गीकरण और आकार जैसा भी हो।
    - **सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन अधिकार (Community forest resource management rights):** इसके तहत गांव की सीमा के भीतर या बाहर पारंपरिक रूप से संग्रह किए जाने वाले **लघु वनोपजों** के स्वामित्व, संग्रह करने के लिए पहुंच, उनका उपयोग और निपटान का अधिकार प्रदान किया गया है।
- **नोडल एजेंसी:** इस अधिनियम के अनुसार, इसके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी **राज्य सरकारों/ केंद्र शासित प्रदेश** के प्रशासनों की है।
- **ग्राम सभा की भूमिका**: ग्राम सभा को व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति और सीमा निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार प्राप्त है।

त्रिस्तरीय मंजूरी प्रक्रिया:

- **ग्राम सभा** वन अधिकार से जुड़े दावों के लिए आवेदन प्राप्त करने और इसे सत्यापित करके पूरी प्रक्रिया शुरू करने वाला प्राथमिक प्राधिकरण है।
- ग्राम सभा के निर्णय से असहमत व्यक्ति **अनुमंडल स्तरीय समिति (SDLC)** के समक्ष अपील दायर कर सकता है।
- SDLC के निर्णय से असहमत कोई भी व्यक्ति **जिला स्तरीय समिति (DLC)** के समक्ष अपील कर सकता है।
    - रिकॉर्ड ऑफ़ फॉरेस्ट राइट्स (या वन अधिकार अभिलेख) पर DLC का निर्णय **अंतिम और बाध्यकारी** होगा।

- **भूमि स्वत्वाधिकार/ भूमि पर मालिकाना हक़ (Land titles)**: यह अधिनियम भूमि पर किसी व्यक्ति या परिवार या समुदाय के अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है। हालांकि भूमि पर किया गया दावा **चार हेक्टेयर से अधिक का नहीं** होना चाहिए।
    - FRA के तहत प्रदान किया गया **भूमि पर मालिकाना हक़** एक **कानूनी अधिकार** है।
    - इस अधिनियम के तहत प्रदत्त **भूमि अधिकार वंशानुगत {FRA की धारा 4(4)}** हैं। **हालांकि इन अधिकारों का न तो हस्तांतरण किया जा सकता है न ही स्वामित्व में परिवर्तन (Alienable) किया जा सकता है।**
- **स्थानीय विकास के लिए वन भूमि के उपयोग का अधिकार:** यह अधिकार स्कूलों, औषधालयों या अस्पतालों, आंगनवाड़ी केंद्रों, इत्यादि की स्थापना के लिए प्रदान किया जाएगा।
- **संरक्षित क्षेत्र (Protected Areas): FRA** के प्रावधान **राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों और टाइगर रिजर्व** में भी लागू होते हैं।
- यह अधिनियम जैव विविधता और सांस्कृतिक विविधता से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकारों एवं पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है।

जनजातीयों को मिले कानूनी और संवैधानिक सुरक्षोपाय	जनजातीय समुदाय से संबंधित महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय
FRA की धारा **3(1)(a):** यह **वन में निवास करने वाले जनजातीय समुदायों (FDSTs) और अन्य परंपरागत वनवासियों (OTFDs)** को निवास के लिए या जीविका के लिए स्वयं खेती करने हेतु वन भूमि को धारित करने और उसमें रहने का अधिकार देती है।	**ओडिशा माइनिंग बनाम भारत संघ (2013) वाद:** सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि किसी क्षेत्र की ग्राम सभा को अपने क्षेत्र से संबंधित परियोजना के बारे में निर्णय लेने का अधिकार होगा।
अनुच्छेद 244: यह अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है।	

52 Other Traditional Forest Dwellers

53 Customary and traditional

8.8. अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां (Other Important News)

ई-शासित राज्य
(E-Governed State)
	• **केरल** भारत का **पहला पूर्ण 'ई-शासित राज्य'** बन गया है।
	• इसने अपने नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं का शीघ्र और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करते हुए कई सेवाओं का डिजिटलीकरण किया है।
	• ई-गवर्नेंस (ई-शासन) का तात्पर्य **'इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस'** से है। यह गवर्नेंस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से **वाइड एरिया नेटवर्क, इंटरनेट और मोबाइल कंप्यूटिंग जैसी सूचना-संचार प्रौद्योगिकी** का उपयोग करता है।
	• **ई-गवर्नेंस के लिए केरल की पहलें:**
	  ○ **केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क (KFON) परियोजना:** इसने इंटरनेट के उपयोग को नागरिकों का एक अधिकार बना दिया है।
	  ○ **ई-सेवानम:** यह तालुक स्तर तक के कार्यालयों के लिए 900 सार्वजनिक सेवाओं हेतु एक एकल पोर्टल है।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) की भूमिकाओं का सीमांकन (Demarcation of Roles of MCA And Meity)	• केंद्र सरकार ने डिजिटल बाजारों पर **विनियमन के दोहराव की संभावना को दूर करने के लिए** दोनों मंत्रालयों की **भूमिका का सीमांकन** किया है। ○ यह अनुमान व्यक्त किया गया है कि भारत का डिजिटल बाजार **2025-26 तक 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच** सकता है। • कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय (MCA) डिजिटल बाजार में सभी प्रतिस्पर्धात्मक मुद्दों का समाधान करने के लिए **नोडल मंत्रालय** होगा। • **MeitY,** क्षेत्रक विशेष से जुड़े मामलों को देखेगा। • केंद्र सरकार भारत में डिजिटल बाजार के विविध पहलुओं को विनियमित करने के लिए **डिजिटल इंडिया अधिनियम और डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून** सहित अन्य कानून लाने की दिशा में काम कर रही है।

पंचायत विकास सूचकांक (Panchayat Development Index: PDI)	• इसे केंद्रीय **पंचायती राज मंत्रालय** जारी करता है।
	  ○ यह सूचकांक पंचायतों द्वारा प्राप्त अंकों के माध्यम से **पंचायतों की प्रगति की निगरानी और उनका मूल्यांकन करने के लिए एक मैट्रिक्स** प्रदान करता है।
	  ○ यह **स्कोर के आधार पर पंचायतों को रैंकिंग** प्रदान करता है। साथ ही, उन्हें **चार श्रेणियों** में वर्गीकृत करता है।
	  ○ इन श्रेणियों में A (75 से 90%), B (60-75%), C (40-60%) और D (40% से कम) शामिल हैं।

आईना (AAINA) डैशबोर्ड फॉर सिटीज (AAINA Dashboard for Cities)	हाल ही में, **आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय** ने "आईना (AAINA) डैशबोर्ड फॉर सिटीज" पोर्टल शुरू किया है। • यह विशेष पोर्टल **पांच मुख्य विषय क्षेत्रों (Thematic areas) में शहरों की स्थिति और प्रगति के बारे में जानकारी** प्रदान करेगा। इन पांच क्षेत्रों को इन्फोग्राफिक में दर्शाया गया है। • मंत्रालय **डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (DIC) के माध्यम से डेटा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में ULBs/ राज्यों को सहायता** प्रदान करेगा। ○ DIC, **डिजिटल इंडिया मिशन** को आगे बढ़ाने के लिए मंत्रालयों/ विभागों को रणनीतिक सहायता प्रदान करता है।
सरकारी सेवकों द्वारा पुरस्कारों की स्वीकृति पर	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सरकारी सेवकों द्वारा पुरस्कारों को स्वीकार करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए।

© Vision IAS

दिशा-निर्देश (Guidelines on Acceptance of Awards by Government Servants)	• **मुख्य दिशा-निर्देशों पर एक नजर:** ○ निजी संस्थाओं या संगठनों द्वारा दिए गए पुरस्कार **केवल सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही स्वीकार** किए जा सकते हैं। ○ सक्षम प्राधिकारी पुरस्कार प्राप्त करने वाले **कर्मचारी के मंत्रालय या विभाग का सचिव** होगा। ○ **सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित शर्तों के तहत पुरस्कार स्वीकार करने की मंजूरी दे सकता है:** ▪ पुरस्कार के तौर पर दी जाने वाली वस्तुओं में **कोई धनराशि शामिल नहीं होनी** चाहिए। ▪ पुरस्कार देने वाली **निजी संस्थाओं को विश्वसनीय** होना चाहिए।
संविधान का अनुच्छेद 311(2)(c)	• हाल ही में, जम्मू और कश्मीर सरकार ने "राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा" बताकर **अनुच्छेद 311(2)(c) के तहत चार सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त** कर दिया है। • **अनुच्छेद 311(1):** इसमें प्रावधान किया गया है कि संघ या राज्य के अधीन किसी भी सिविल सेवक को उसे नियुक्त करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा बर्खास्त या पद से नहीं हटाया जाएगा। • **अनुच्छेद 311(2):** यह प्रावधान करता है कि किसी भी सिविल सेवक को तभी बर्खास्त किया जाएगा या पद से हटाया जाएगा या उसके रैंक में कमी की जाएगी, जब ○ **जांच के बाद,** उसे उसके खिलाफ लगे आरोपों के बारे में सूचना दे दी गई हो; तथा ○ **सुनवाई का उचित अवसर** दिया गया हो। • **अनुच्छेद 311(2)(c):** यह सरकार को संबंधित **कर्मचारियों के खिलाफ जांच का आदेश दिए बिना** या उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिए बिना उन्हें **बर्खास्त करने की अनुमति** देता है। यह प्रावधान तभी लागू होता है, जब ○ राष्ट्रपति या राज्यपाल, जैसा भी मामला हो, **इस बात से संतुष्ट हो जाए कि राज्य की सुरक्षा के हित में ऐसी जांच** कराना सही नहीं है।

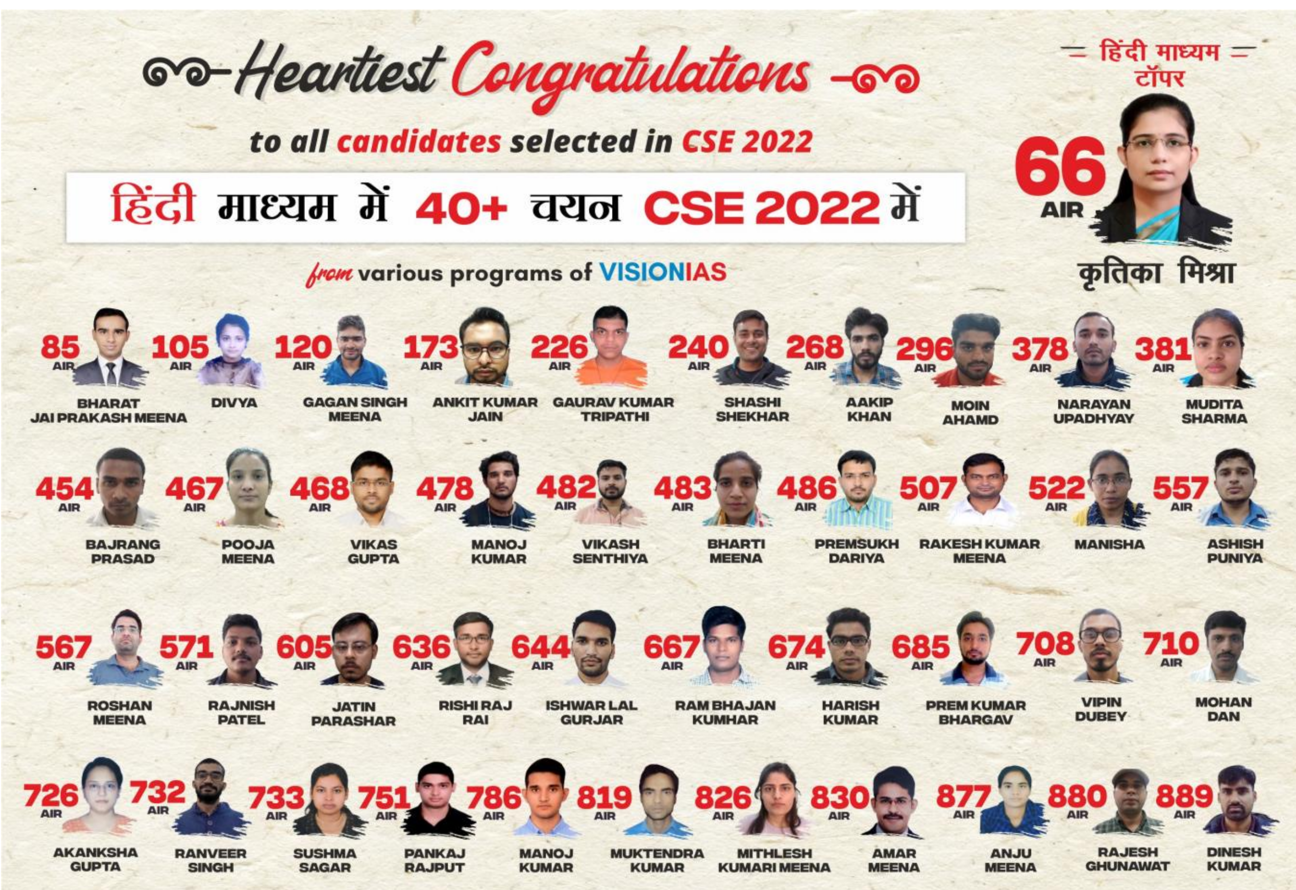

करेंट अफेयर्स की बेहतर तैयारी कैसे करें?

करेंट अफेयर्स सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की आधारशिला है, जो प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू तीनों चरणों में जरूरी होता है। परीक्षा के प्रश्न डायनेमिक स्रोतों से तैयार किए जा रहे हैं। ये प्रश्न सीधे वर्तमान की घटनाओं से जुड़े होते हैं या स्टैटिक कंटेंट तथा वर्तमान की घटनाओं, दोनों से जुड़े होते हैं। इस संदर्भ में, करेंट अफेयर्स से अपडेट रहना अभ्यर्थी को सिविल सेवा परीक्षा के नए ट्रेंड को समझने में सक्षम बनाता है। सही रिसोर्सेज और एक रणनीतिक दृष्टिकोण के जरिए अभ्यर्थी इस विशाल सेक्शन को अपना सकारात्मक पक्ष बना सकते हैं।

करेंट अफेयर्स के लिए दोहरी स्तर वाली रणनीति

करेंट अफेयर्स के लिए दोहरी स्तर वाली रणनीति

अपनी फाउंडेशन को मजबूत करना

न्यूज़पेपर पढ़ना: फाउंडेशन

वैश्विक और राष्ट्रीय घटनाओं की व्यापक समझ हेतु न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए प्रतिदिन एक घंटा समर्पित करना चाहिए।

न्यूज़ टुडे: संदर्भ की सरल प्रस्तुति

न्यूज़पेपर पढ़ने के साथ-साथ, न्यूज़ टुडे भी पढ़िए, जिसमें लगभग 200 या 90 शब्दों में करेंट अफेयर्स का सारांश प्रस्तुत किया जाता है। यह रिसोर्स अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण न्यूज़ की पहचान करने, तकनीकी शब्दों और घटनाओं को समझने में मदद करता है।

मासिक समसामयिकी मैगजीन: गहन विश्लेषण

व्यापक कवरेज और घटनाओं के विस्तृत विश्लेषण के लिए मासिक समसामयिकी मैगजीन आपकी जरूरत पूरी कर सकती है। इससे अलग-अलग क्षेत्रों में विभिन्न घटनाओं के संदर्भ, महत्त्व और निहितार्थ को समझने में सुविधा होती है।

तैयारी और रिविजन में महारत हासिल करना

वीकली फोकस: फाउंडेशन को मजबूत करना

किसी टॉपिक के बारे में अपनी समझ को मजबूत करने के लिए वीकली फोकस का संदर्भ लीजिए। इसमें किसी प्रमुख मुद्दे के विभिन्न पहलुओं और आयामों के साथ-साथ स्टेटिक तथा डायनेमिक घटकों को शामिल किया जाता है।

आर्थिक सर्वेक्षण और बजट के हाईलाइट्स तथा सारांश

इनमें आसानी से समझ के लिए जटिल जानकारी को एक कॉम्पैक्ट प्रारूप में प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण और केंद्रीय बजट के सारांश डाक्यूमेंट्स से आप महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

PT 365 और Mains 365: परीक्षा में प्रदर्शन बढ़ाना

पूरे वर्ष के करेंट अफेयर्स की तैयारी के लिए PT 365 और Mains 365 का उपयोग कीजिए। इससे प्रीलिम्स और मेन्स, दोनों के लिए रिविजन में भी मदद मिलेगी।

Vision IAS का **त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट** उन छात्रों के लिए उपयोगी रिसोर्स है, जो 2-3 महीनों से मंथली अपडेट पढ़ने से चूक गए हैं। यह प्रमुख घटनाक्रमों का सारांश प्रदान करके लर्निंग में निरंतर सहायता प्रदान करता है।

ब्रोशर पढ़ने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

"याद रखिए, करेंट अफेयर्स को केवल याद ही नहीं रखना होता है, बल्कि घटनाओं के व्यापक निहितार्थों और अंतर्संबंधों को समझना भी होता है। जिज्ञासा के साथ आगे बढ़िए; समय के साथ, यह बोझ कम होता जाएगा और यह एक ज्ञानवर्धक अनुभव बन जाएगा।"

अहमदाबाद | बेंगलूरू | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

समसामयिकी त्रैमासिक रिवीजन

सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की **पृष्ठभूमि, आयु, वर्किंग शेड्यूल और पारिवारिक जिम्मेदारियां अलग-अलग होती हैं।**

इसे ध्यान में रखते हुए हमने **समसामयिकी: त्रैमासिक रिवीजन** डॉक्यूमेंट को तैयार किया है। इससे उन अभ्यर्थियों को तैयारी में काफी सहायता मिलेगी, जिनका शेड्यूल अधिक व्यस्त होता है, जिन्हें मासिक समसामयिकी मैगजीन को पढ़ने व रिवीजन करने के लिए कम समय मिलता है और सिलेबस के बारे में बुनियादी एवं थोड़ी बहुत समझ होती है।

त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट को काफी सावधानीपूर्वक और बारीकी से तैयार किया गया है। इससे आपको **सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए आवश्यक लर्निंग एवं रिवीजन के लिए मजबूत आधार मिलेगा।**

इस डॉक्यूमेंट में हमने विगत तीन माह की मासिक समसामयिकी मैगजीन से सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को कवर किया है। इससे महत्वपूर्ण टॉपिक्स का रिवीजन करने के लिए आपको एक समग्र और सटीक रिसोर्स मिलेगा।

डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट की कुछ मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

कम समय में रिवीजन करने के लिए: इसे पिछले तीन महीने के करेंट अफेयर्स को कवर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि कम समय में भी रिवीजन किया जा सके।

और अधिक जानकारी के लिए अवश्य पढ़ें: इससे आपको करेंट अफेयर्स को स्टैटिक मटेरियल से जोड़कर समझने तथा टॉपिक के बारे में अपनी समझ को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इसमें NCERTs सहित बेसिक रीडिंग मटेरियल से संबंधित अध्याय के बारे में बताया गया है।

प्रश्नोत्तरी: हर भाग के अंत में 5 MCQs और मुख्य परीक्षा के लिए प्रैक्टिस हेतु 2 प्रश्न दिए गए हैं। ये प्रश्न आपको अपनी समझ का आकलन करने और प्रमुख अवधारणाओं/तथ्यों को प्रभावी ढंग से याद रखने में मदद करेंगे।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि: प्रत्येक आर्टिकल से संबंधित एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि दी गई है, जिससे आपको संबंधित आर्टिकल को समझने और उसका विश्लेषण करने के लिए एक मजबूत आधार मिलेगा।

विश्लेषण और महत्वपूर्ण तथ्य: इससे आपको महत्वपूर्ण नज़रिए और अलग-अलग पहलुओं से जुड़ी जानकारी तथा तथ्यों के बारे में पता चलेगा।

स्पष्ट एवं संक्षिप्त जानकारी: इसमें इन्फॉर्मेशन को सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जिससे क्विक और इफेक्टिव रिवीजन में मदद मिलेगी।

हमें पूरी उम्मीद है कि यह त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट समसामयिकी घटनाक्रमों के लिए काफी फायदेमंद होगा। PT 365 और Mains 365 डाक्यूमेंट्स के साथ-साथ इसे पढ़कर UPSC CSE की तैयारी की राह में आपका आत्मविश्वास काफी बढ़ जाएगा।

स्मार्ट तरीके से तैयारी कीजिए। "त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट" कुशल, टार्गेटेड और प्रभावी रिवीजन के लिए सबसे बेहतर साथी है। इसकी मदद से अपनी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की राह में आगे बढ़िए।

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सरकारी योजनाएं

त्रैमासिक रिवीजन

सिविल सेवा परीक्षा में आपके ज्ञान, एनालिटिकल स्किल और सरकारी नीतियों तथा पहलों की गतिशील प्रकृति के साथ अपडेटेड रहने की क्षमता को जांचा जाता है। इसलिए इस चुनौतीपूर्ण परीक्षा के लिए एक व्यापक और सुनियोजित दृष्टिकोण काफी आवश्यक हो जाता है।

"सरकारी योजनाएं त्रैमासिक रिविजन" डॉक्यूमेंट के साथ सिविल सेवा परीक्षा में सफलता की अपनी यात्रा शुरू कीजिए। यह विशेष पेशकश आपको परीक्षा की तैयारी में एक परिवर्तनकारी अनुभव प्रदान करेगी। सावधानीपूर्वक तैयार किया गया हमारा यह डॉक्यूमेंट न केवल आपकी सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए बल्कि टाइम मैनेजमेंट और याद रखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। इस डॉक्यूमेंट को त्रैमासिक आधार पर तैयार किया जाता है। यह डॉक्यूमेंट फाइनल परीक्षा के लिए निरंतर सुधार और तनाव मुक्त तैयारी हेतु अभ्यर्थियों के लिए एक आधार के रूप में कार्य करेगा।

यह सीखने की प्रक्रिया को बाधारहित और आसान यात्रा में बदल देता है। इसके परिणामस्वरूप, आप परीक्षा की तैयारी के साथ-साथ सरकारी योजनाओं, नीतियों और उनके निहितार्थों की गहरी समझ विकसित करने में सफल होते हैं।

डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए
QR कोड को स्कैन कीजिए

सरकारी योजनाएं त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

1. सुर्ख़ियों में रहीं में योजनाएं: अपडेट रहिए, आगे रहिए!

इस खंड में **आपको नवीनतम घटनाक्रमों से अवगत** कराया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपकी तैयारी न केवल व्यापक हो, बल्कि हालिया तिमाही के लिए प्रासंगिक भी हो। सुर्ख़ियों में रही योजनाओं के रियल टाइम एकीकरण से आप नवीनतम ज्ञान से लैस होकर आत्मविश्वास से परीक्षा देने में सक्षम बन पाएंगे।

2. सुर्ख़ियों में रहीं फ्लैगशिप योजनाएं: परीक्षा में आपकी सफलता की राह!

भारत सरकार की 'फ्लैगशिप योजनाएं' **सिविल सेवा परीक्षा के सिलेबस के कोर** में देखने को मिलती हैं। हम इस डॉक्यूमेंट में इन महत्वपूर्ण पहलों को गहराई से कवर करते हैं, जिससे सरकारी नीतियों के बारे में **आपकी गहरी समझ विकसित** हो। इन फ्लैगशिप योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करके, हम आपको उन प्रमुख पहलुओं में महारत हासिल करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं, जिन्हें परीक्षक सफल उम्मीदवारों में तलाशते हैं।

3. प्रश्नोत्तरी: पढ़िए, मूल्यांकन कीजिए, याद रखिए!

मटेरियल को समझने और मुख्य तथ्यों को याद रखने में काफी अंतर होता है। इस अंतर को खत्म करने के लिए, हमने इस डॉक्यूमेंट में एक 'प्रश्नोत्तरी' खंड शामिल किया है। इस डॉक्यूमेंट में **सावधानी से तैयार किए गए 20 MCQs** दिए गए हैं, जो आपकी **समझ को मजबूत करने के लिए चेकपॉइंट** के रूप में काम करते हैं। ये मूल्यांकन न केवल आपकी प्रगति का आकलन करने में मदद करते हैं बल्कि महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रभावी ढंग से याद रखने में भी सहायक होते हैं।

'सरकारी योजनाएं त्रैमासिक रिवीजन' एक डॉक्यूमेंट मात्र नहीं है; बल्कि यह आपकी परीक्षा की तैयारी में एक रणनीतिक साथी भी है। यह आपकी लर्निंग एप्रोच में बदलाव लाता है, जिससे यह एक सतत और कुशल प्रक्रिया बन जाती है। परीक्षा की **तैयारी के आखिरी चरणों में आने वाले तनाव को अलविदा कहिए, प्रोएक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस** को आपनाइए और आत्मविश्वास के साथ सफलता की ओर आगे बढ़िए।

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

लाइव / ऑनलाइन
कक्षाएं भी उपलब्ध

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स 2025

प्रीलिम्स और मेन्स, दोनों

दिल्ली	अवधि
5 मार्च | 1 PM	12–14 महीने

VisionIAS ऐप को डाउनलोड करने के लिए दिए गए **QR कोड** को स्कैन कीजिए

निःशुल्क काउंसिलिंग के लिए **QR** कोड को स्कैन कीजिए

डेली MCQs और अन्य अपडेट्स के लिए हमारे ऑफिशियल **टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए**

- सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स में GS मेन्स के सभी चारों पेपर, GS प्रीलिम्स, CSAT और निबंध के सिलेबस को विस्तार से कवर किया जाता है।
- अभ्यर्थियों के ऑनलाइन स्टूडेंट पोर्टल पर लाइव एवं ऑनलाइन रिकॉर्डेड कक्षाओं की सुविधा भी उपलब्ध है, ताकि वे किसी भी समय, कहीं से भी लेक्चर और स्टडी मटेरियल तक प्रभावी ढंग से पहुंच सकें।
- इस कोर्स में पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शामिल है।
- 2025 के प्रोग्राम की अवधिः 12–14 महीने
- प्रत्येक कक्षा की अवधिः 3–4 घंटे, सप्ताह में 5–6 दिन (आवश्यकता पड़ने पर रविवार को भी कक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं)

नोटः अभ्यर्थी फाउंडेशन कोर्स की लाइव वीडियो कक्षाएं घर बैठे अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। साथ ही, अभ्यर्थी लाइव चैट के जरिए कक्षा के दौरान अपने डाउट्स और विषय संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा, वे अपने डाउट्स और प्रश्न को नोट कर दिल्ली सेंटर पर हमारे क्लासरूम मेंटर को बता सकते हैं, जिसके बाद फोन/ मेल के जरिए अभ्यर्थियों के प्रश्नों का समाधान किया जाता है।

GS फाउंडेशन कोर्स की अन्य मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

नियमित तौर पर व्यक्तिगत मूल्यांकन
अभ्यर्थियों को नियमित ट्यूटोरियल, मिनी टेस्ट एवं ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के माध्यम से व्यक्तिगत व अभ्यर्थी के अनुरूप और ठोस फीडबैक दिया जाता है

सभी द्वारा पढ़ी जाने वाली एवं सभी द्वारा अनुशंसित
विशेषज्ञों की एक समर्पित टीम द्वारा तैयार की गई मासिक समसामयिकी मैगजीन, PT 365 और Mains 365 डॉक्यूमेंट्स तथा न्यूज़ टुडे जैसी प्रासंगिक एवं अपडेटेड अध्ययन सामग्री

नियमित तौर पर व्यक्तिगत मार्गदर्शन
इस कोर्स के तहत अभ्यर्थियों के डाउट्स दूर करने और उन्हें प्रेरित रखने के लिए नियमित रूप से फोन/ ईमेल/ लाइव चैट के माध्यम से "वन–टू–वन" मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़
प्रत्येक 3 सफल उम्मीदवारों में से 2 Vision IAS की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज को चुनते हैं। Vision IAS के पोस्ट टेस्ट एनालिसिस के तहत टेस्ट पेपर में स्टूडेंट्स के प्रदर्शन का विस्तार से विश्लेषण एवं समीक्षा की जाती है। यह अपनी गलतियों को जानने एवं उसमें सुधार करने हेतु काफी महत्वपूर्ण है।

कोई क्लास मिस ना करें
प्रत्येक अभ्यर्थी को एक व्यक्तिगत "स्टूडेंट पोर्टल" उपलब्ध कराया जाता है। इस पोर्टल के जरिए अभ्यर्थी किसी भी पुराने क्लास या छूटे हुए सेशन और विभिन्न रिसोर्सेज़ को एक्सेस कर सकते हैं एवं अपने प्रदर्शन का सापेक्ष एवं निरपेक्ष मूल्यांकन कर सकते हैं।

बाधा रहित तैयारी
अभ्यर्थी VisionIAS के क्लासरूम लेक्चर्स एवं विभिन्न रिसोर्सेज़ को कहीं से भी तथा कभी भी एक्सेस कर सकते हैं और वे इन्हें अपनी जरुरत के अनुसार ऑर्गनाईज कर सकते हैं।

/c/VisionIASdelhi /vision_ias /visionias_upsc /VisionIAS_UPSC

Congratulations

to all Successful Candidates

39 in Top 50 Selections in CSE 2022

1 AIR ISHITA KISHORE

2 AIR GARIMA LOHIA

3 AIR UMA HARATHI N

हिंदी माध्यम में 40+ चयन CSE 2022 में

– हिंदी माध्यम टॉपर –

66 AIR KRITIKA MISHRA

85 AIR BHARAT JAI PRAKASH MEENA

105 AIR DIVYA

120 AIR GAGAN SINGH MEENA

173 AIR ANKIT KUMAR JAIN

UPSC TOPPERS/OPEN SESSION: QR स्कैन करें

66 AIR KRITIKA MISHRA — TOPPERS' TALK | TOPPER'S COPIES

226 AIR GAURAV KUMAR TRIPATHI — TOPPERS' TALK | TOPPER'S COPIES

18 AIR RAVI KUMAR SIHAG — TOPPERS' TALK | TOPPER'S COPIES

13 AIR NISHANT JAIN — PREPARATION STRATEGY AVAILABLE AT HINDI YOUTUBE CHANNEL

अंतरिम बजट (2024–25) चर्चा एवं विश्लेषण

UPSC 2025 के लिए व्यापक रणनीति

UPSC प्रीलिम्स 2024: 4 महीने के लिए प्रभावी रणनीति

CSAT रणनीति व PYQs पर चर्चा

DELHI

HEAD OFFICE
Apsara Arcade, 1/8-B 1st Floor, Near Gate-6 Karol Bagh Metro Station

MUKHERJEE NAGAR CENTER
Plot No. 857, Ground Floor, Mukherjee Nagar, Opposite Punjab & Sindh Bank, Mukherjee Nagar

GTB NAGAR CENTER
Classroom & Enquiry Office, above Gate No. 2, GTB Nagar Metro Building, Delhi - 110009

FOR DETAILED ENQUIRY
Please Call: +91 8468022022, +91 9019066066

enquiry@visionias.in | /c/VisionIASdelhi | /visionias.upsc | /vision _ias | VisionIAS_UPSC

अहमदाबाद | बैंगलोर | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची